रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2014/कार्तिक 28, 1936
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014/KARTIKA 28, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

फाइल सं.14/02/2013-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष मैसर्स एचईजी लिमिटेड और मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) से एक आवेदनपत्र चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से आयातित "सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन और उनको हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए दायर किया और उनसे पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने का

अनुरोध किया गया है। इस आवेदनपत्र की प्रारंभिक संवीक्षा करने से इसमें कुछ त्रुटियां मिलीं जिनका आवेदक ने उत्तरवर्ती रूप से सुधार कर दिया गया। तदनंतर यह मान लिया गया कि इस आवेदनपत्र के साथ समुचित दस्तावेज संलग्न है।

2. प्राधिकारी ने, आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए उप-नियम 6(1) के अनुसार एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसे दिनांक 20 मई, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जिससे कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटन, यदि कोई के क्षतिकारी प्रभाव को दूर करने, यदि अपेक्षित हो तो, के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया जा सके।

क. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

(i) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार यह जांच की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले आवेदक की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के राजदूतावासों को अधिसूचना प्रेषित की।

(ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 20 मई, 2013 को प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की प्रतियां संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग एसोसिएशनों (जिनका विवरण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराया गया था) अग्रेषित की और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की प्रतियां भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातों (जिनका विवरण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को प्रेषित कीं और उन्हें इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से अवगत कराने का सुझाव दिया गया।

(v) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रितयां सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को प्रेषित की। इस आवेदनपत्र की प्रतियां अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान कराई गई।

(vi) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रश्नावलियां प्रेषित कीं :

(क) मैसर्स सीआईएमएम डोंघाई एडवान्स्ड कार्बन कंपनी लिमिटेड

(ख) एचटीयू इंडस्ट्रियल इंक

(ग) सिचुआन शौन्ग्यू कार्बन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

(घ) फुशुन कार्बन कंपनी लिमिटेड

(ङ) नान्टांग जियांगडांग कार्बन कंपनी लिमिटेड

(च) जिलिन काब्रन (सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड)

(छ) अन्ससेन मेटलर्जीग्रुप

(ज) कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड

(झ) मैसर्स फान्ग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड

(ञ) कार्बन आई/ई कंपनी लिमिटेड

(ट) शिदा कार्बन ग्रुप कंपनी लिमिटेड

(ठ) सिनोटेक (डालियान) कार्बन एंड ग्रेफाइट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन।

(ङ)

(vii) प्राधिकारी को संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों से प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ :

(क) मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी लिमिटेड

(ख) मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी

(ग) मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड

(घ) मैसर्स लिन्यी काउंटी लुबेई कार्बन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) चीन जन.गण.

(ङ) मैसर्स शांगडांग बासन कार्बन प्लांट (उत्पादक), चीन जन.गण.

(च) मैसर्स फुसुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड

(छ) मैसर्स अंससेन मेटलर्जीग्रुप कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) चीन जन.गण.

(ज) मैसर्स नान्टांग यंगजी कार्बन कंपनी लिमिटेड ("नान्टांग यांगजी")

(झ) मैसर्स सिचुआन गुआन्गघन शिदा कार्बन कंपनी ("शिदा कार्बन")

(ञ) मैसर्स कैफेन्ग कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन विंगमेई शेन्मा ग्रुप

(ट) मैसर्स कैफेन्ग कार्बन कंपनी लिमिटेड

(ठ) मैसर्स फुशान ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड

(ड) मैसर्स लिओयांग कार्बन कंपनी लिमिटेड

(ढ) मैसर्स लिंग्घाई हांग्फेंग कार्बन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

(ण) मैसर्स जिन्नाइ कार्बन (एचके) कंपनी लिमिटेड

(त) मैसर्स फुशान कार्बन कंपनी लिमिटेड

(थ) मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मटीरियल कंपनी लिमिटेड

(द) मैसर्स सीआईएमएम ग्रुप कंपनी लिमिटेड ("सीआईएमएम") चीन जन.गण.

(ध) मैसर्स सीआईएमएम डोंघाई एडवान्स्ड कार्बन कंपनी लिमिटेड

(viii) प्राधिकारी को इस जांच शुरुआत के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण चाइना चैम्बर आफ कामर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) से भी प्राप्त हुआ।

(ix) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयतकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गईं :

(क) सेल अलाय स्टील प्लांट

(ख) भूषण स्टील लिमिटेड

(ग) भूषण लिमिटेड

(घ) सेल, भिलाई स्टील प्लांट

(ङ) सेल, बोकारो स्टील प्लांट

(च) विश्वेश्वैय्या आयरन एंड स्टील प्लांट

(छ) सेल राऊरकेला स्टील प्लांट

(ज) सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

(झ) जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड

(ञ) जिंदल विद्यानगर स्टील लिमिटेड

(ट) जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड

(ठ) लायड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ड) मुकंद लिमिटेड

(ढ) सेल, दुर्गापुर स्टील लिमिटेड

(ण) जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील

(त) आईएसएमटी लिमिटेड

(थ) भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड

(x) निम्नलिखित आयातकों के आयात प्रश्नावली में विहित प्रपत्र और स्वरूप में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया :

(i) सेल अलाय स्टील प्लांट

(ii) सेल भिलाई स्टील प्लांट

(iii) सेल, बोकारो स्टील प्लांट

(iv) विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील प्लांट

(v) सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट

(vi) आईएसएमटी लिमिटेड

(xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुली रखी गई फाइल में उपलब्ध कराया।

(xii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा डीजी सिस्टम्स से यह अनुरोध किया गया कि वह जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों में किए गए इस संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त खेंपवार आयात आंकड़ों पर इस अंतिम जांच परिणाम में भरोसा किया गया है। महानिदेशक सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों तथा सहयोगकर्ता आयातकों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने प्रत्युत्तरों में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की प्रति जांच करने के लिए किया गया।

(xiii) संबद्ध वस्तु की भारत में उत्पादन लागत तथा उसको बनाने एवं बिक्री करने की लागत का पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार निर्धारण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के आधार पर किया गया जिससे कि यह सुनिश्चयन हो सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xiv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों से यह कहा गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करें।

(xv) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन किया गया।

(xvi) यह जांच 01 जनवरी, 2012 से प्रारंभ करके 31 दिसम्बर, 2012 (पीओआई) तक की अवधि के लिए की गई। तथापि, क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए अप्रैल, 2009 - मार्च 2010 अप्रैल 2010 - मार्च, 2011, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तथा जांच की अवधि को शामिल किया गया है।

(xvii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। इस सार्वजनिक सूचना में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें। हितबद्ध पक्षकारों को यह अवसर भी प्रदान किया गया कि वे विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के संबंध में अपनी प्रत्युक्तियां भी प्रस्तुत कर सकें। प्राधिकारी ने प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों तथा प्रत्युक्तियों पर संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया और उनका इस प्रकटन विवरण में संगत स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है।

(xviii) प्राधिकारी के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ने यह जांच पूरी करने तथा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने की अवधि 19 नवम्बर, 2014 तक बढ़ा दी गई है।

(xix) प्राधिकारी ने इस मामले के सभी अनिवार्य तत्वों का सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 को जारी एक प्रकटन विवरण के रूप में कर दिया। इस विवरण में प्रकटन किए गए इस जांच के विभिन्न पहलुओं पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 03 नवम्बर, 2014 तक टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी टिप्पणियों पर संगत समझी गई सीमा तक तथा विधिवत साक्ष्यांकित रूप से विचार किया गया और उनका इस अंतिम जांच परिणाम में उचित स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है।

(xx) इस अंतिम जांच परिणाम में **** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा उसे उसी रूप में मानी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।

(xxi) इस जांच की अवधि के लिए अंगीकृत विनिमय दर 1 यूएस डालर = 53.69/- रुपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

4. जांच शुरुआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत पढ़ा गया है :

"वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. से आयातित "सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स" है। ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का मुख्य कार्य उसका अग्नि भट्टी में चार्ज फेड में विद्युत धारा प्रवाहित करके स्टील को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाना है। इस्पात बनाने की इस प्रक्रिया को गौण इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया भी कहा जाता है। आर्क फरनेसेस में ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का प्रयोग धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के रूप में किया जाता है और इससे विद्युत फीड की अत्यधिक उच्च दर को ले जाने की अपेक्षा की जाती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स को व्यापक तौर पर अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) तथा अन्य जिसमें हाई पावर ग्रेड (एचपीजी) और नॉर्मल पावर ग्रेड (एनपीजी) शामिल हैं, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इतनी उच्च विद्युत प्रवाह और पावर फीड्स लेने के लिए सक्षम हो ओर उन्हें अध्याय शीर्ष संख्या 85-45 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।"

5. हितबद्ध पक्षकारों ने इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी निम्नवत जांच की गई है :

ख.1. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. चाइना चैम्बर आफ कॉमर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स (जिसे एतद्पश्चात "सीसीसीएमई" कहा गया गया है) जो मशीनरी एवं इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर के राष्ट्र व्यापी वाणिज्य परिसंघ है, ने प्रस्तुतिकरण किया है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में प्रत्येक प्रकार के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स को, उसके व्यास, उसकी लंबाई, उसके ग्रेड, उसकी शक्ति, गुणवत्ता आदि की विभिन्नताओं पर विचार किए बिना, पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण भी किया गा कि पावर, ग्रेड एवं व्यास का इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन को प्रभावित करता है और यह ग्राहकों एवं प्रयोक्ताओं द्वारा यथा परिकल्पित उनके प्रयोगों तथा उसकी लागत एवं कीमत को भी प्रभावित करता है।

7. सीसीसीएमई ने इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उस व्यास को भी अपवर्जित करने का अनुरोध किया है जिनका विनिर्माण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्यासेग द्वारा नहीं किया गया है। इसने ब्राजील एवं पोलेंड से ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के मामले में डीजीएडी के अंतिम जांच परिणाम के उद्धरण को उद्धृत किया है। विशेष रूप से, उसने 700 एमएम के बराबर या उससे अधिक के व्यास वाले यूएचपी ग्रेड का अपवर्जन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से करने का अनुरोध किया है।

8. यह भी प्रस्तुतिकरण किया गया है कि यूएचपी एवं गैर यूएचपी समान उत्पाद नहीं है क्योंकि उनका कच्चा माल एवं उत्पादन प्रक्रिया अलग-अलग होती है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी अभिलक्षण एवं वाणिज्यिक अंतिम प्रयोग अलग-अलग होते हैं।

9. यह भी प्रस्तुतिकरण किया गया कि यूएचपी एवं गैर-यूएचपी को संचयी रूप से एक उत्पाद के रूप में बताना भी त्रुटिपूर्ण है और निर्धारित किया गया विचाराधीन उत्पाद, व्यास, लंबाई, ग्रेड आदि के अंतर के बिना निर्धारित की गई है और यह अत्यधिक व्यापक है। उन्होंने पिछली जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परम्परा के संबंध में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया है।

10. यह भी प्रस्तुतिकरण किया गया कि चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद के इलेक्ट्राड्स बाजार में दो ग्रेड/प्रकार हैं, इसलिए प्राधिकारी द्वारा पाटन एवं क्षति मार्जिन सहित पृथक क्षति विश्लेषण किया जाना चाहिए।

11. सीसीसीएमई ने अपने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि वर्तमान जांच में इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उठाए गए मुद्दों का प्रकटन विवरण में समुचित रूप से निराकरण नहीं किया गया है और उन्होंने अपने पिछले प्रस्तुतिकरण को ही पुन: दोहराया है। यह तर्क दिया गया है कि पीआरसी के राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स को रेग्यूलर पावर (आरपी) हाई पावर (एचपी), उच्च घनत्व (एचडी), सुपर हाई पावर (एसएचपी) और अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। सीसीसीएमई ने प्रस्तुतिकरण किया है कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत इस विचाराधीन उत्पाद के वर्गीकरण में सभी ग्रेडों को शामिल करना तथा इसके उपरांत उनको यूएचपी तथा नॉन-यूएचपी के रूप में वर्गीकृत करके क्षति जांच आयोजित करना अत्यधिक अनुपयुक्त है। इन ग्रेडों के बीच में होने वाले कीमत अंतर के कारक का प्राधिकारी द्वारा निराकरण नहीं किया गया है और भारी कीमत अंतर के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादों को एक विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने के विषय पर प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है।

12. प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में इस विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के मुद्दे पर मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड की ओर से मैसर्स इकनामिक लॉ प्रैक्टिस ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

- माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से यह निष्कर्ष निकाला कि यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी संबद्ध वस्तु "समान वस्तुएं" हैं। बड़े समानजनक ढंग से यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि दोनों ग्रेड वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और उनका वाणिज्यिक अंतिम प्रयोग अनुप्रयोगों, उपभोक्ता की जरूरतों एवं अवबोधन में भारी अंतर है।

- यह कि यूएसए, चीन जनवादी गणराज्य, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन और इटली से ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरुआत के संबंध में दिनांक 30 सितम्बर, 1996 की विगत जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या एडीडी/आईडब्ल्यू/43 में विशेष रूप से यूएचपी तथा नॉन–यूएचपी अर्थात एच/एनपीजी पर विचार पृथक एवं विशिष्ट उत्पादों के रूप में किया गया था।

- यह कि चूंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में एक आदेश पहले ही किया हुआ है कि यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स "समान वस्तुएं" नहीं हैं जो घरेलू उद्योग की स्वीकृत एवं संस्वीकृत स्थिति है। वर्तमान जांच में, कोई नया तथ्यात्मक विकास नहीं हुआ है जो उक्त तथ्यपरक एवं विधिक स्थिति को प्रभावित कर सकता हो और समान उत्पाद के संबंध में अपने विगत आदेश विचलित होना रिकार्ड के रूप में एक गंभीर त्रुटि है।

- इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया गया कि इस मामले की जांच अपीलीय अधिकरण द्वारा की गई है और माननीय सेस्टेट ने यह उपपादित किया है कि यूएचपी तथा नॉन-यूएचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स को समान वस्तु" के रूप में नहीं माना जा सकता है और दोनों पर विभेदकारी शुल्क ही लागू होगा।

- यह कि यह एक सुस्थापित विधि है कि "समान वस्तु" के उत्पादों का निर्धारण करने के उद्देश्य से माननीय महानिदेशक को कई पैरामीटरों की जांच करना आवश्यक होता है जैसे विनिर्माण प्रक्रिया, तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता, अंतर्निमयेता, वाणिज्यिक अंत: प्रयोग या अनुप्रयोग और उपभोक्ताओं का अबवोधन एवं अपेक्षा। इस संबंध में विभिन्न कारकों से यह एक सर्वमान्य निष्कर्ष निकलेगा कि यूएचपी और नॉन यूएचपी दोनों ही अलग-अलग एवं भिन्न हैं और इसलिए उन्हें "समान वस्तु" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न प्रस्तुतिकरणों में हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त तर्कों का खंडन किया है और यह प्रस्तुतिकरण किया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राट्स को व्यापकत: दो ग्रेडों में, अर्थात अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) और नान-यूएचपी, श्रेणीबद्ध किया जा सकता है जिसमें हाई पावर ग्रेड (एचपी अथवा एचपीजी) और सामान्य पावरग्रेड (एनपीजी) भी शामिल हैं। घरेलू उद्योग में प्रस्तुतिकरण किया है कि इस विचाराधीन उत्पादन (पीयूसी) में केवल जांचाधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित किया गया है। संबद्ध देश से किए गए सभी आयातों को यूएचपी एवं नान यूएचपी इलेक्ट्राड्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यद्यपि उनका नामकरण प्रथक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण भी किया गया है कि इस कारण से ही केवल घरेलू उद्योग ने यूएचपी एवं नान-यूएचपी ग्रेड के लिए कीमत एवं लागत से संबंधित सूचना प्रति टन आधार पर पृथक-पृथक प्रदान की है जिससे कि समुचित तुलना के लिए लागत एवं कीमत के संबंध में व्यास, ग्रेडों, गुणवत्ता आदि के अंतर का समाधान किया जा सके।

14. यह तर्क दिया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों के यह दावे त्रुटिपूर्ण हैं कि संचयी यूएचपी एवं नान-यूएचपी एकल उत्पाद हैं, और विचाराधीन उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक है, यह तर्क बिना किसी विधिक या तर्क संगत आधार के है। घरेलू उद्योग यह पुन: दोहराता है कि संबद्ध देश से किए गए आयात को यूएचपी एवं नान यूएचपी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है हालांकि किसी विशिष्ट श्रेणी की नामपद्धति अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, गैर-यूएचपी इलेक्ट्राड्स में आरपीजी, एचपीजी आदि जैसे विभिन्न उपसेट्स/प्रकार शामिल हो सकते हैं। यह भी प्रस्तुतिकरण किया गया है कि कुछ ऐसे मानक विनिर्देशन नहीं हैं जिनसे निर्णायक रूप से इन उपसेटों/प्रकारों में अंतर दर्शाया जा सके। साथ ही, यह नामपद्धति विनिर्माता से विनिर्माता में भी अलग-अलग हो सकती है। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे यूएचपी हैं या नान यूएचपी, इलेक्ट्राड्स ही बने रहेंगे और उन्हें "ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स" जो विचाराधीन उत्पाद है की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस संदर्भ में अपने दावे को साक्ष्यांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों आदि के रूप में कोई साक्ष्य भी प्रदान नहीं कराया है।

15. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों का यह प्रस्ताव को कि यूएचपी एवं नान यूएचपी भिन्न उत्पाद है और यह भी सत्य नहीं है कि इस जांच के प्रयोजनार्थ उन्हें एकाकार नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि विधि या न्यायनिर्णय के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि इस विचाराधीन उत्पाद के सभी उप-सेट्स/टाइप्स या उप-सेट्स उनके लिए समग्रतया समजातीय होना चाहिए जिससे कि उन्हें समान विचाराधीन उत्पाद एवं समान जांच के अंतर्गत कवर किया जा सकें और केवल इसी कारण से प्राधिकारी ने विगत में कभी भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और तदनुसार, जब कभी किसी विचाराधीन उत्पाद के उप-सेट्स/राइट्स हो तो उसे हमेशा एकल उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग ने चीन एवं अन्य देशों से एआरडब्ल्यू, मलेशिया तथा अन्य देशों से सालर सेलों, चीन जन.गण. से इन्सुलेटरों से संबंधित पाटनरोधी जांच का उद्धरण दिया है जिनमें विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार या उप-सेट्स शामिल थे जो परस्पर रूप से समान या तुलनीय नहीं थे।

16. यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि सीसीसीएमई द्वारा किया गया यह दावा निराधार और बिना किसी खूनी के है कि 700 एमएम के बराबर व्यास वाली या उससे अधिक व्यास वाली संबद्ध वस्तु का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग ने आवेदकों द्वारा 700 एमएम और उससे अधिक की व्यास वाली संबद्ध वसतु की बिक्री के बीजक प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया कि 700 एमएम से अधिक के व्यास वाले इलेक्ट्राड्स घरेलू उद्योग के उत्पाद रेंज का काफी कुछ भाग हैं यद्यपि 700 एमएम से अधिक के इलेक्ट्राड्स की मांग छिटपुट ही रही। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बीजक निसंदेह यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग के 700 एमएम से अधिक के व्यास के इलेक्ट्राड्स का उत्पादन करने की न केवल क्षमता है बल्कि उन्होंने इनकी जब भी कभी उन्हें आर्डर प्राप्त हुए, आपूर्ति

भी की है। इसके अतिरिक्त, साथ ही घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध भी किया है कि सीसीसीएमई को 700 एमएम और उससे अधिक के व्यास वाले इलेक्ट्राड्स के वास्तविक निर्यात के संबंध में आंकड़े प्रदान करने को मजबूर किया जाए, इसके अतिरिक्त वह देश में बाजार मांग का पूर्ण विवरण भी प्रदान करे। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को ऐसे दावों की अनुमति नहीं देना चाहिए जो किसी तथ्यात्मक आंकड़ों या विधिक प्राधिकारी द्वारा समर्थित न हो। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सीसीसीएमई द्वारा 700 एमएम के व्यास वाली या उससे अधिक के व्यास वाली संबद्ध वस्तु का अपवर्जन किए जाने के दावे को सरसरी नजर से ही नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

ख. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों तथा कतिपय हितबद्ध पक्षकारों की ओर से प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरणों को नोट किया है। यह जाचं सभी व्यास के "ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स" के रूप में विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स को मोटे तौर पर दो ग्रेडों अर्थात अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) और नान यूएचपी जिसमें हाई पावर ग्रेड (एचपीजी) और नार्मल पावर ग्रेड (एनपीजी) शामिल हैं, में वर्गीकृत किया जा सकता है। जांच के दौरान यह नोट किया गया कि गैर-यूएचपी संबद्ध वस्तु के आयातों में रेग्यूलर पावर ग्रेड (जिसे आरपी ग्रेड के रूप में भी जाना जाता है) भी शामिल है।

18. सीसीसीएमई द्वारा उठाए गए इस मुद्दे की जांच की गई कि 700 एमएम के बराबर व्यास वाले या उससे अधिक के व्यास वाले संबद्ध वस्तु का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर देना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यहां वास्तव में 700 एमएम के बराबर व्यास वाले या उससे अधिक व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का ही विनिर्माण और बिक्री की है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में की गई बिक्रियों के कुछ नमूना बीजक प्रस्तुत किए है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक, आयातक या अन्त: प्रयोक्ता ने आवश्यक साक्ष्य देकर इनका अपवर्जन किए जाने के बारे में नहीं कहा है। डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़े भी विचाराधीन अवधि के दौरान 700 एमएम व्यास से अधिक के व्यास के इलेक्ट्राड्स के आयातों को इंगित नहीं करते हैं। इस कारण, सीसीसीएमई द्वारा उसका अपवर्जन किए जाने के दावे में कोई खास गुण नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के उस दावे को स्वीकार कर लेते हैं कि 700 एमएम व्यास के या उससे अधिक के व्यास की संबद्ध वस्तु उसकी उत्पाद श्रृंखला के अंतर्गत आती है और इसलिए उसका अपवर्जन नहीं किया जा सकता है।

19. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का प्रश्न है कि यूएचपी एवं नान यूएचपी इलेक्ट्राड्स समान वस्तुएं नहीं हैं और इसलिए उन्हें समान जांच के अंतर्गत और समान उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी द्वार अपनाई गई विगत जांचों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों उत्पाद प्रकार मोटे तौर पर समान उत्पाद विवरण के अंतर्गत आते हैं और उनका प्रयोग आर्क फरनेसेस में विभिन्न क्षमताओं से ओर पावर रेटिंग के जरिए इस्पात का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि यूएचपी एवं गैर-यूएचपी इलेक्ट्राड्स के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और उनकी उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रयोग मोटे तौर पर समान होते हैं। यूएचपी उत्पादों की न्यूनतर विद्युत अवरोधकता एवं उच्चतर विद्युत प्रवाह क्षमता होती है। दोनों ही प्रकारों का प्रयोग इलेक्ट्रिकल आर्क फरनेसेस में स्टील विनिर्माण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक आर्क का विनिर्माण करने के लिए समान अनुप्रयोगों में किया जाता है। वे स्पष्टत: दो उत्पाद प्रकार हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की जांच इस विषय पर न्याय निर्णय के संदर्भ में की गई है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नार्वे से फार्म्ड साल्मान के आयातों के विरूद्ध डब्ल्यूटीओ पैनल ने अपनी दिनांक 16 नवम्बर, 2007 की रिपोर्ट संख्या डब्ल्यूटी/डीएस 337/आर में इस उत्पाद प्रकार की आंतरिक एकरूपता के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि :-

"7. पाटन की जांच किसी निर्यातित जांच – विचाराधीन उत्पाद के रूप में उल्लिखित उत्पाद – और एक समान उत्पाद की कीमतों की तुलना करके ही की जा सकती है, नार्वे ने इस प्रावधान के पाठ का कोई विश्लेषण प्रदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त नार्वे अपने इस दावे के समर्थन में कि "विचाराधीन उत्पाद" में एकल, आंतरिक रूप से एकरूप उत्पाद या वैकल्पिक रूप से श्रेणियां शामिल हो जो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के "समान" उत्पाद हो जिससे कि वे एकल समान उत्पाद बन सकें।

7.48 हम सहमत हैं कि अनुच्छेद 2.1 में "एक उत्पाद" का पाटन किया जा रहा हैं के रूप में उल्लेख किया गया है, परंतु इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि उस प्रावधान में उस उत्पादन के दायरे के संबंध में किसी भी तरह की बाध्यता का कोई उल्लेख है। सामान्यत: अनुच्छेद 2.1 के पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी तरह के ऐसे किसी दिशानिर्देशों का प्रावधान हो कि इस उत्पाद के क्या पैरामीटर होने चाहिए। मात्र यह तथ्य कि पाटन का निर्धारण अंतत: एक ऐसे "उत्पाद" के बारे में किया गया है जिसे संगत उत्पाद के दायरे के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 2.1 के पाठ में निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है (जिसे नार्वे द्वारा उल्लिखित आंतिरक संगतता के प्रकार को समझा जा सकता हो :-

7.49 साथ ही पाटनरोधी 47 के अन्य प्रावधान यह उल्लेख करने के परे है कि अनुच्छेद 2.1 की भाषा यह व्यक्त करती है कि इस संदर्भ में संगत एक निर्धारण करार सुझाव देता है कि अनुच्छेद 2.1 में "उत्पाद" के पैरामीटर कुछ भी हो पंरतु इसकी संकल्पना नार्वे द्वारा दिए गए तर्क के रूप में सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 6.10 में उन मामलों में सीमित जांच का प्रावधान किया गया है जहां "अंतर्ग्रस्त उत्पादों के प्रकार" की संख्या इतनी अधिक है कि उनसे पाटन का व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारण करना अव्यवहार्य हो जाता है। इसी तरह अपीलीय निकाय ने यह माना है कि जांचकर्ता प्राधिकारी "विविध औसतीकरण" की परम्परा के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना में करने के लिए किसी उत्पाद को तुलनीय वस्तु के समूहों या श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें से किसी क की भी आवश्यकता नहीं होगी यदि अनुच्छेद 2.1 में "किसी उत्पाद" के आशय का नार्वे का विचार केवल अनुमेय निर्वचन हो। एक से अधिक "उत्पाद प्रकार" की जांच करने की संभावना बन सकती है, जैसाकि अनुच्छेद 6.10 में उल्लेख किया गया है और उस उत्पाद के लिए समग्र रूप से एकल पाटन मार्जिन का परिकलन करने की प्रक्रिया में प्रत्येक समूह के लिए कीमत की तुलना करने के प्रयोजन के लिए तुलनीय वस्तु को समूह में बनाने का कोई कारण नहीं है। इन विचारों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि अनुच्छेद 2.1 से यह सिद्ध होता है कि किसी एकल विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है, उस उत्पाद के पैरामीटरों का निर्धारण करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं ओर उस अनुच्छेद में उस उत्पाद की आंतरिक एकरूपता की निश्चित रूप से कोई आवश्यकता नहीं है।

7.6.8 अत:, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नार्वे के दावे के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद अनुच्छेद 2.1 की कई श्रेणियों का बना हुआ है और पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.6 किसी जांचकर्ता प्राधिकारी पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व सिद्ध नहीं करता है कि इन उत्पादों के मामले में उक्त उत्पाद की सभी श्रेणियां एक दूसरे के व्यक्तिगत रूप से "समान" होंगी, तद्वारा वह एकल "उत्पाद" बनता है।

20. उपर्युक्त प्रेक्षण स्पष्टत: यह सिद्ध करते हैं कि पाटनरोधी जांच में किसी विचाराधीन उतपाद की आंतरिक एकरूपता होने की कोई जरूरत नहीं है और जांच में शामिल किए गए विभिन्न उतपाद प्रकारों को पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप आशय के अंतर्गत परस्पर समान उत्पाद होने की आवश्यकता नहीं है। समान वस्तु का निर्धारण पाटित किए जा रहे उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बारे में किया जाना अपेक्षित है, न कि विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परस्पर उत्पादों के बीच। यह नोट किया जाता है कि यूएचपी एवं नान यूएचपी इलेक्ट्राड्स दोनों को घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों द्वारा ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के दो रूपों के रूप में माना गया है और प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों ने इन दो प्रकारों के इलेक्ट्राड्स के लिए सूचना प्रदान करके ही स्पष्टत: प्रत्युत्तर दिया है। जांच शुरूआत अधिसूचना में भी स्पष्टत: यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें दो उत्पाद प्रकारों के रूप में माना जा रहा है और सभी पाटन एवं क्षति जांच समान तुलना के लिए उत्पाद प्रकार स्तरों पर की गई है। इसलिए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत सही ही दो उत्पादों के रूप में माना गया है।

21. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों एवं आयामों के कारण होने वाली भिन्नता का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से होने वाले सभी आयातों को मोटे तौर पर यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी इलेक्ट्राड्स के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, और गैर-यूएचीप के अंतर्गत भी नामपद्धति अलग-अलग हो सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देशन नहीं हैं जिनसे इन उप-सेट्स/प्रकार के अंतर्गत निर्णायक रूप से विभाजित किया जा सकता हो जैसे कि आरपी ग्रेड, हाई पावर ग्रेड, एसएचपी ग्रेड आदि। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की शुरूआत करने के पश्चात सभी निर्यातकों ने 2 उप-प्रकार के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स अर्थात यूएचपी एवं नान यूएचपी ग्रेड के रूप में सूचना प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को कच्चे माल, उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों और इन विभिन्न इलेक्ट्राड्स

के व्यापक प्रयोगों में कोई प्रवाहित करने की क्षमता, अवरोधकता आदि जैसे अन्य पैरामीटरों के संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि इन ग्रेडों में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है क्योंकि इन विभिन्न भौतिक पैरामीटरों में अतिच्छादन है।

22. प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में यूएचपी और गैर-यूएचपी ग्रेडों के लिए प्रति टन आधार पर लागत एवं कीमत सूचना अलग-अलग प्रदान की है ताकि यथासंभव सीमा तक समुचित समान से समान तुलना के लिए कीमत और लागत के संबंध में व्यास, ग्रेड, गुणक्ता आदि के रूप में विभिन्नताओं का निराकरण किया जा सके। दोनों प्रकार के इलेक्ट्राड्स की पृथक पाटन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस विचाराधीन उत्पाद का समग्र रूप से अर्थात ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने से पहले दोनों प्रकारों के लिए पृथक पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। इसी तरह कीमत प्रभाव विश्लेषण भी, विचाराधीन उत्पाद के लिए उनका संयोजन करने से पहले, दोनों प्रकारों के लिए किया गया।

23. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक है और यूएचपी तथा गैर-यूएचपी इलेक्ट्राड्स को कम्बाइन नहीं किया जा सकता है, बिना किसी विधिक आधार के है। इस विचाराधीन उत्पाद का विवरण पूर्णतया इस मुद्दे पर विधिक प्रावधानों और न्यायनिर्णयों के अनुरूप है। इसलिए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को जांच शुरूआत अधिसूचना में यथपरिभाषित के रूप में संपुष्ट करते हैं।

24. समान उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :-

"कोई वस्तु जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के सभी रूपों में समान या समरूप हो या ऐसी वस्तु न होने पर कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी रूपों में एक समान न होने पर भी, उसके अभिलक्षण जांचाधीन उत्पाद के अभिलक्षणों के घनिष्ठता से सादृश्य हो।"

25. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों के प्रश्नावली प्रत्युत्तरों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच उनके उत्पाद प्रकारों के संबंध में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु कुछ अभिलक्षणों के संबंध में तुलनीय हैं जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन तथा संबद्ध वस्तु का प्रशुल्क वर्गीकरण। उपभोक्तागण इन दोनों का प्रयोग अंतर निमेय रूप से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में विभिन्न नामों से आयात किया जा रहा है। किसी संबद्ध वस्तु के नाम में अंतर होने से ही कोई आयातित वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु से भिन्न एवं गैर-प्रतिस्थापनीय नहीं हो जाती है। प्राधिकारी जांच के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के आशय के अंतर्गत संबद्ध देश में उत्पादित या संबद्ध देश के आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग एवं आधार

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रुप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातिकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को केवल शेष उत्पादकों के रुप में माना जाएगा।"

27. यह आवेदनपत्र मैसर्स एचईजी लिमिटेड और मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकगण/याचिकाकर्ता ही देश में इस घरेलू समान उत्पाद के उत्पादक/विनिर्माता हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का उतपादन कुल भारतीय उत्पादकों का 100 प्रतिशत उत्पादन है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही उनका इस विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से कोई संबंध है। इसलिए, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम

2(ख) में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार, घरेलू उद्योग हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा या घरेलू उद्योग की ओर से किया गया यह आवेदनपत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "आधार" की जरूरत को पूरा करता है।

घ. विविध प्रस्तुतिकरण

घ.1. आयातकों/उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. घरेलू उद्योग के अलावा आयातकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए है।

(i) घरेलू उद्योग के विनिर्माता निर्यातोन्मुख विनिर्माता है और घरेलू उद्योग का निष्पादन भारत की स्थिति पर आधारित नहीं है बल्कि यह इस्पात की मांग/उत्पादन तथा इस्पात की कीमतों के वैश्विक परिदृश्य पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस्पात सेक्टर के उत्पादन में आर्थिक संकट के कारण वर्ष 2011-12 तथा जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा भारी गोपनीयता का दावा किया गया है जो पाटनरोधी नियमावली के गोपनीयता प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। याचिका का अगोपनीय पाठ पूर्ण नहीं है और यह व्यापक रूप से प्रस्तुतिकरण दायर करने के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों का गंभीर रूप से हनन करता है।

(iii) घरेलू उद्योग की ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के लिए पृथक क्षमता नहीं है, जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों के साक्ष्यों से स्पष्ट है। तदनुसार, उन्होंने उस आधार पर प्रकटन का अनुरोध किया है जिसपर ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स की क्षमता का इस जांच के प्रयोजनार्थ निर्धारण किया जाता है।

(iv) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान जीआईएल के बंगलौर संयंत्र को बंद किए जाने के संबंध में आवेदन में कोई सूचना नहीं दी है।

(v) माननीय प्राधिकारी कई मामलों में यह निर्धारण किया है कि जिनमें सीमित प्रत्युत्तर के आधार पर चीन के किसी भी निर्यातक में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे की मांग नहीं की है। तदनुसार, फंग्डा एवं फुशुन ने ईयू/ईसी द्वारा यथा अपेक्षित, इतना सीमित प्रत्युत्तर दायर किया है।

(vi) चीन के उत्पाद तथा भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर है। तदनुसार, चीन के कम गुणवत्ता वाले उत्पाद को शामिल किए जाने के लिए समायोजन किया जाना चाहिए जैसाकि विगत में की गई जांचों में किया गया है।

(vii) यह दावा किया गया है कि यह कार्रवाई विधि के अनुरूप नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने जांच प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात समय में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की है जिसकी पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के निबंधनों के अनुरूप अनुमति नहीं है और इसलिए इस जांच को समाप्त कर दिया जाना अपेक्षित है।

(viii) यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने मामले को अपने उपयुक्त बनाने के लिए कतिपय गैर-न्यायोचित क्रियापद्धतियों का आश्रय लेकर अपनी आयात कीमत में भारी परिवर्तन किया है। यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता ने जिन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है वे आयात आंकड़े उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि उनका सार्थक खंडन किया जा सके।

(ix) यह प्रस्तुतिकरण भी किया गया है कि याचिकाकर्ता ने आयात सूचना का विश्लेषण करते समय सही विवेक का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि मलेशिया से दिनांक 26 जून, 2010 को किया गया एक आयात संव्यवहार 18 एमटी का है जिसे 18542 एमटी के रूप में रिपोर्ट किया गया है जो स्पष्टत: एक हताशपूर्ण मांग और वर्ष 2010-11 के लिए आंकड़ों से जुड़ा बाजार हिस्सा है और यह प्रासंगिक अवधि के लिए किया गया था। अत: याचिकाकर्ता द्वारा यथा दावाकृत आयात सूचना की विश्वसनीयता विवादास्पद है।

(x) घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि सीसीसीएमई को वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में न माना जाए, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि याचिकाकर्ता के इस दावे को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से संवहनीय नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार में दी गई हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक परिभाषा में इस वाक्यांश की अत्यधिक उदारतापूर्वक परिभाषा का प्रावधान किया गया है जिससे कि किसी

विशिष्ट मामले में रूचि प्रदर्शित करने वाले पक्षकारों को जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा बिना किसी पक्षपात के जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण भी किया गया है कि सीसीसीएमई एक राष्ट्रव्यापी तथा लाभ न अर्जिन करने वाला संगठन है, जिसका गठन मशीनरी एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग में विभिन्न विनिर्माण, आयात एवं निर्यात तथा उससे संबद्ध गतिविधियों में लगे विभिन्न आर्थिक संगठनों द्वारा स्वेच्छा से एवं संयुक्त रूप से किया गया है। मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एकमात्र राष्ट्रव्यापी चैम्बर आफ कामर्स के रूप में सीसीसीएमई के 10,000 से अधिक सदस्य हैं जिनमें अग्रणी उद्यमी तथा लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियां दोनों शामिल है जो इस उद्योग का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। चीन जनवादी गणराज्य की विदेश व्यापार विधि के अध्याय 9, अनुच्छेद 56 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार इस चैम्बर का मिशन इसके सदस्यों को विनिर्माण, विपणन, सूचना एवं प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में विदेश व्यापार से संबंधित सेवा प्रदान करना है, और स्व-अनुशासन एवं समन्वयन में सकारात्मक भूमिका अदा करता है, अपने सदस्यों तथा उद्योग के हितों की रक्षा करता है। सीसीसीएमई, एक पंजीकृत मध्यवर्ती संगठन के रूप में, इक्विटी, न्याय एवं निष्पक्षता के आधार पर सेवाएं प्रदान करता है, सिविल अफेयर्स मंत्रालय से पर्यवेक्षण प्राप्त करता है और वाणिज्य मंत्रालय से प्रचालनात्मक दिशानिर्देश प्राप्त करता है। अत:, यह प्रस्तुत किया गया है कि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम (2) के खंड (i) के उपनियम (ग) के आशय के अंतर्गत एक हितबद्ध पक्षकार है। उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के होते हुए भी और बिना किसी पूर्वावधारणा के उद्धरणों सहित यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के अधिकांश ज्ञात उत्पादक/निर्यातक सीसीसीएमई के सदस्य है।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

29. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिया है।

(i) सीसीसीएमई (चाइना चैम्बर आफ कॉमर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स) को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ग) में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि किसी जांच में केवल वे ही व्यापारी या बिजनेस एसोसिएशन प्रतिभागिता कर सकती हैं "जिनके अधिकांश सदस्य उक्त वस्तु के उत्पादक, निर्यातक या आयातकों हों।"

(ii) सीसीसीएमई ने स्वयं ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह एक राष्ट्र व्यापी औद्योगिक एवं लाभार्जन न करने वाली ऐसा संगठन है जिसका गठन मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विनिर्माण, आयात एवं निर्यात तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों में लगे विभिन्न आर्थिक संगठनों द्वारा स्वेच्छा से तथा संयुक्त रूप से किया गया है। यह मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक राष्ट्र व्यापी वाणिज्य परिसंघ है और इसके लगभग 10,000 से अधिक सदस्य हैं जिनमें अग्रणी उद्यमी तथा उद्योग का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली लघु एवं मध्यम श्रेणी की कंपनियां दोनों शामिल है।

(iii) यह कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार केवल ऐसा एसोसिएशन ही हितबद्ध पक्षकार के रूप में अर्ह होगी, यदि इसके 10000 सदस्यों में से अधिकांश सदस्य संबद्ध वस्तु अर्थात ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के उत्पादक, निर्यातक या आयातक हो। यह देखा जाता है कि रिकार्ड में न तो ऐसा कोई साक्ष्य है और न ही ऐसा कोई अभिकथन है कि सीसीसीएमई के अधिकांश सदस्य विधि में यथा अधिदेशित सदस्यता हेतु पात्र अभ्यर्थी हैं।

(iv) यह कि सीसीसीएमई को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदनुसार घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि ऐसे मामले में सीसीसीएमई द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर अपनी अभ्युक्तियां प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। घरेलू उद्योग, सीसीसीएमई की इस जांच में प्रतिभागिता करने की पात्रता से संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों संबंधी मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने पर भी, अधिकारी सुरक्षित है। प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण पर घरेलू उद्योग ने सीसीसीएमई के इस जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में उसकी स्थिति के संबंध में भी अपने तर्कों को दोहराया है।

(v) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए यह प्रस्तुतिकरण भ्रामक एवं उनके द्वारा स्वयं अपने प्रस्तुतिकरणों के विपरीत है कि घरेलू उद्योग कथित रूप से निर्यातोन्मुखी है और संबद्ध वस्तु की मांग स्टीम उद्योग में मांग द्वारा संचालित होती है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण भी किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त बेशी क्षमता है जिससे वह घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग को, पूरा कर सकती है, खासकर, जांच की अवधि में जब उसकी 23 प्रतिशत क्षमता का उपयोग ही नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास अपने लगातार घाटे को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक बाजार की तलाश करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह गया था क्योंकि संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी बिक्री में वृद्धि करने का अवसर प्रदान नहीं कर रहे थे।

(vi) यह कि स्वयं सीसीसीएमई द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान मांग में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जैसाकि विश्व इस्पात एसोसिएशन के कुछ अंशों से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का यह अभिकथन है कि उसने क्षति विश्लेषण करते समय याचिकाकर्ता कंपनियों के निर्यात निष्पादन पर विचार नहीं किया है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुस्थापित परम्परा के अनुरूप है। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि सीसीसीएमई इस तथ्य को सराहने में असफल रहा कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों के अभाव में उनकी स्थिति औसत उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण और भी बदतर हो जाती। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में इस तथ्य के बावजूद कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू बाजार की मांग में 37 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। केवल 23 प्रतिशत तक की ही वृद्धि हुई। साथ ही जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त बेशी क्षमता उपलब्ध थी। इससे स्पष्टत: यह प्रदर्शित होता है कि चीन से पाटित संबद्ध वस्तु के प्रभाव है तथा इससे घरेलू उद्योग के इस विचार की भी पुष्टि होती है कि उन्हें पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण अपनी संपूर्ण क्षमता के मुताबिक अपनी घरेलू बिक्रियों में वृद्धि करने से वंचित किया गया।

(vii) यह कि प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे दिशानिर्देशों और विधिक प्रावधानों के अनुसार उसने अपनी व्यवसाय संवेदी सूचना की पर्याप्त कारणों से गोपनीयता का दावा किया है। गोपनीयता का दावा करने के आधार एवं कारणों का उल्लेख आवेदन के अगोपनीय पाठ में किया गया है। अत: इस संदर्भ में सीसीसीएमई का दावा बिना किसी ठोस साक्ष्य के है।

(viii) यह कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स की क्षमता का निर्धारण संयंत्र की ग्रेफाइटीकरण क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण भी किया गया है कि यह नोट करना संगत है कि केवल ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का प्रयोग करने के लिए ही ग्रेफाइटीकरण की आवश्यकता पड़ती है तथा उसकी आवश्यकता याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित किसी अन्य उत्पाद के लिए नहीं होती है।

(ix) यह कि सीसीसीएमई का बंगलौर संयंत्र बंद किए जाने के संबंध में किया गया प्रस्तुतिकरण एक खोखला अभिकथन है और इसमें कोई सार नहीं है। उनके अनुसार, बंगलौर संयंत्र जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान पूरी तरह से प्रचालनात्मक था। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने जांच की संपूर्ण अवधि अर्थात जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012 के लिए मासिक उत्पाद कर (एक्साइज) विवरणी (ईआर-1) की प्रतियां प्रदान की है जिसमें मासिक उत्पादन दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने ऐसे साक्ष्य रहित प्रस्तुतिकरणों को सरसरी नजर से ही नामंजूर कर दिए जाने का अनुरोध किया है।

(x) यह कि यह कथन की एमईटी का दावा न किए जाने की स्थिति में सीमित प्रत्युत्तर दायर करना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया है, निराधार एवं साक्ष्य रहित है और भी, निर्यातक प्रश्नावली प्ररूप के सामान्य प्रस्तावना खंड में विहित दिशानिर्देश स्पष्टत: यह प्रावधान करते हैं कि निर्यातकों को सभी परिशिष्ट भरना अपेक्षित होता है जिससे कि उसे सहयोगकर्ता के रूप में माना जा सके। इसलिए, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह निर्यातकों द्वारा दायर किए गए वह सभी प्रत्युत्तर नामंजूर कर दें जिनमें प्रश्नावली में किए गए अनुरोध के अनुरूप संपूर्ण सूचना प्रदान नहीं कराई गई है।

(xi) यह कि उन्हें अपने वास्तविक उत्पादन, क्षमता एवं घरेलू बिक्रियों की मात्रा का समग्र रूप से प्रकटन करने के लिए मजबूर किया गया। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान तथा उससे पहले के 3 वर्षों में निर्यातकों की क्षमता, उत्पादन और भारत में ही गई निर्यात बिक्रियों की वास्तविक समग्र मात्रा घरेलू उद्योग को प्रदान कराई जानी चाहिए।

(xii) यह कि हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि चीन जन.गण. में विनिर्मित संबद्ध उत्पाद भारत में उत्पादित किए जा रहे संबंधित उत्पाद के बिल्कुल समान एवं प्रतिस्थापनीय हैं, तदनुसार, उतराई मूल्य में समायोजन करने के लिए हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

(xiii) यह कि हितबद्ध पक्षकारों के यह दावे की कार्यवाही विधि विरूद्ध है क्योंकि केंद्रीय सरकार ने जांच शुरूआत की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात समय में वृद्धि करने की अनुमति दी है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 में अनुमेय नहीं है और बिना किसी विधिक या तार्किक श्रेष्ठता के है। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि उक्त नियम 17 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि शुरूआती अवधि समाप्त हो जाने से पहले ही समय में वृद्धि करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(xiv) यह कि बाजार आसूचना के आधार पर यह विश्वास करने के कारण है कि कतिपय निर्यातकों द्वारा भारतीय प्राधिकारियों को रिपोर्ट की गई समनुरूपी आयात कीमतों तथा निर्यात मात्रा में भारी अंतर है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि इन निर्यात कीमतों को नामंजूर कर दिया जाए जैसाकि प्राधिकारी द्वारा एआरडब्ल्यू (दिनांक 13.01.2014 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/7/2012 – डीजीएडी के पैराग्राफ 49 से 51 में किया गया है) मामले में किया गया है और इन निर्यातकों को असहयोगकर्ता निर्यातक के रूप में माना जाए तथा उन्हें व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के लिए पात्र न माना जाए।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का विश्लेषण निम्नवत किया है :

(क) पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) में हितबद्ध पक्षकार को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"हितबद्ध पक्षकार" में निम्नलिखित शामिल है :

(i) भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के निर्यातक या विदेशी उत्पादन या आयातक या कोई ऐसी व्यवसाय एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य उस वस्तु के उत्पादक, निर्यात या आयातक हों;

(ii) निर्यातक देश की सरकार; और

(iii) भारत में समान वस्तु का कोई उत्पादक या व्यापारी या व्यवसाय एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य भारत में उस समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हों।

(ख) प्राधिकारी यह नोट करते है कि सीसीसीएमई द्वारा जांच की शुरूआत के संबंध में कतिपय प्रस्तुतिकरण किए गए हैं। सीसीसीएमई एक राष्ट्रव्यापी और लाभार्जन न करने वाला संगठन है, जिसका गठन मशीनरी और इलेक्ट्रानिक उद्योग में विनिर्माण, आयात एवं निर्यात करने तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे विभिन्न आर्थिक संगठनों द्वारा स्वेच्छा से एवं संयुक्त रूप से किया गया है। यह मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में राष्ट्रव्यापी वाणिज्य परिसंघ है और इसके अग्रणी उद्यमियों तथा लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों दोनों उद्योगों का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व शामिल है।

(ग) प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों की जांच करने के पश्चात यह प्रतिपादित करते हैं कि रिकार्ड में इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि सीसीसीएमई में पाटनरोधी नियमावली और करार में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप हितबद्ध पक्षकार है। अत:, प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण में उक्त एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे का समाधान कर दिया है।

(घ) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निर्यातोन्मुखता के संदर्भ में और इस तथ्य की कि यह उद्योग स्टील उद्योग द्वारा संचालित होता है, सीसीसीएमई के दावों की जांच की है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में देश में इसकी मांग में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग की अपयुक्त क्षमता 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी उसी अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में केवल 21 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीसीसीएमई द्वारा किए गए दावे में कोई दम नहीं है।

(ड.) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, यथावांछित, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के साथ में ही माना गया और उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। यह प्रेक्षा की गई कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावे पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा पृष्ठांकित हैं और यह विधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं तथा प्राधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं तथा उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। प्राधिकारी सीसीसीएमई के उस तर्क में कोई गुण नहीं पाते हैं कि घरेलू उद्योग ने बेशी गोपनीयता का दावा किया है।

(च) प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स की क्षमता का घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारण प्रत्येक संयंत्र की ग्रेफिटाईकरण क्षमता के आधार पर किया गया।

(छ) जहां तक बंगलौर संयंत्र के बंद होने के मुद्दे का प्रश्न है घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए उत्पादकर उत्पादन रिकार्ड प्रस्तुत किया है कि यह संयंत्र संपूर्ण जांच की अवधि के दौरान प्रचालनात्मक रहा है।

(ज) एक हितबद्ध पक्षकार के इस दावे के संबंध में कि इसकी कार्यवाही विधि विरुद्ध है क्योंकि केंद्रीय सरकार ने जांच की शुरूआत की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात समय में वृद्धि करने की अनुमति दी है जिसकी पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत अनुमति नहीं है, बिना किसी विधिक एवं तार्किक दमखम के है। यह नोट किया जाता है कि उक्त नियम 17 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय में वृद्धि जांच की शुरूआत की अवधि की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि समय में वृद्धि करने का कार्य विशुद्धता एक प्रशासनिक कार्य है और इससे किसी भी रूप में जांच प्रभावित नहीं होती है।

(झ) एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि चूंकि नमूनाकृत सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों ने पूर्ण प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी द्वारा उनका प्रत्युत्तर प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि जांच शुरूआत हो जाने के पश्चात और निर्यातक प्रश्नावली जारी हो जाने के पश्चात एक निर्यातक द्वारा दायर किया गया प्रत्युत्तर पूर्ण नहीं था और उनको इस अपूर्णता के बारे में बताए जाने के पश्चात उस निर्यातक में संपूर्ण प्रत्युत्तर दायर कर दिया था।

(ञ) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत और आयात मात्रा, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो जाने के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों के उपलब्ध नहीं हुई, के संबंध में यह नोट किया जाता है कि आयात आंकड़ों की मात्रा एवं मूल्य का सारांश, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त होने के पश्चात, सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस से खेपवार आयात आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात पाटन एवं क्षति का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

31. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 को जारी प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कतिपय प्रस्तुतिकरण किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को, उस सीमा तक जिस तक वे मुद्दे पहले नहीं उठाए गए थे, का प्राधिकारी द्वारा समाधान कर दिया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ड.1 एएनएम ग्लोबल इंक द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

32. मैसर्स एएनएम ग्लोबल इंक ने (i) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई सेन्मा ग्रुप, (ii) मैसर्स पिंगिडंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, (iii) मैसर्स नानटोंग पांगजी कार्बन कम्पनी लिमिटेड, और (iv) मैसर्स सिचुऑन ग्वांग्घान शिदा कार्बन कंपनी लिमिटेड की ओर से प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- यह कि प्राधिकारी को यूएचपी ग्रेड तथा नान-यूएचपी ग्रेडों के लिए वर्तमान जांच में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन दोनों ग्रेडों की लागत और कीमत में भारी अंतर है, पृथक शुल्क या यथा मूल्य शुल्क अधिरोपित करना चाहिए। यूएचपी ग्रेड की लागत एवं कीमत प्रयोग किए गए कच्चे माल में भिन्नता के कारण नान-यूएचपी ग्रेड की

लागत एवं कीमत से लगभग दोगुनी है। यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्यत:, कीमत विकृति को दूर करना है न कि अपने कीमत विभेदकारी व्यवहार के कारण निर्यातक को दंडित करना। यूएचपी तथा गैर-यूएचपी ग्रेडों में लागत और कीमत के बीच भारी अंतर होने पर एकल शुल्क का अधिरोपण करना उपयुक्त नहीं होगा। दोनों ग्रेडों के लिए पृथक शुल्क या यथामूल्य शुल्क व्यापार एवं उद्योग के हितों को बेहतर पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया गया है कि विभिन्न ग्रेडों और प्रकारों की कीमत के बीच भारी अंतर होने पर प्राधिकारी द्वारा विगत के मामलों में पृथक शुल्क या यथामूल्य शुल्क का अधिरोपण किया गया गया है।

- यह कि मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई शेन्मा ग्रुप की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी नहीं है और दोनों कंपनियों के डायरेक्टर भी साझा नहीं हैं। इसलिए, इन दोनों के लिए संयुक्त पाटन मार्जिन और संयुक्त शुल्क से उन अन्य शेयरधारकों के हितों के साथ समझौता करना होगा जिनकी मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड में 38.73 प्रतिशत की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता है। चूंकि शेयरधारकों के दो समूह हैं इसलिए मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी लिमिटेड से संबंधित कार्य के लिए सभी निर्णय केवल कैफेंग कार्बन द्वारा ही नहीं लिए जाते हैं और वे सदैव उन शेयरधारकों के हितों से प्रभावित होते हैं जिनका इसमें पर्याप्त शेयर है। अत:, उपर्युक्त दो कंपनियों के लिए संयुक्त पाटन मार्जिन की संगणन करना वर्तमान जांच में न्यायोचित नहीं होगा।

- यह कि वर्तमान जांच में प्रस्तावित निर्यात कीमत पर वैट का समायोजन भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित नहीं है कि चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का विनिर्माण किया गया है। निर्यातकगण निर्यात कीमत पर 17 प्रतिशत की दर से वैट के प्रस्तावित समायोजन को यह मानकर अभिशंसित नहीं करते हैं कि वैट को निर्यात कीमत में शामिल किया जाता है क्योंकि कि संबद्ध वस्तु की निर्यात बिक्रियों से संबंधित वैट रिफंड शून्य है। यह तर्क दिया गया है कि निर्यात कीमत के 17 प्रतिशत का प्रत्यक्ष समायोजन भी सर्वथा सही नहीं है। निर्यात बिक्रियों पर वैट का पुनःअदायगी न होने योग्य भाग वह भाग होता है जिसका उद्ग्रहण संबद्ध वस्तु के लिए प्रयोग किए गए इनपुटों पर किया जाता है न कि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत पर। इसके अतिरिक्त, यदि कोई समायोजन किए जाने की आवश्यकता होती है तो यह वैट के कम न होने योग्य/रिफंड न होने योग्य भाग पर किया जाता है और यह कि इसका समायोजन सामान्य मूल्य के लिए किया जाना चाहिए न कि निर्यात कीमत के लिए। चूंकि वर्तमान जांच में सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण (विनिर्माण) किया गया है इसलिए निर्यात कीमत के कम न होने योग्य/रिफंड न होने योग्य भाग के लिए समायोजन किया जाना अपेक्षित नहीं है और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य की तुलना वैट समायोजन के बिना निर्यात कीमत के साथ किया जाना चाहिए।

- यह कि निवल निर्यात कीमत पर 17 प्रतिशत का समायोजन करने के लिए एक फार्मूला त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वैट को निवल निर्यात कीमत में शामिल किया गया है और इसलिए वैट समायोजन के फार्मूला में निवल निर्यात कीमत X वैट दर (100 + वैट दर) के रूप में सुधार किया जाना चाहिए।

- यह कि चीन से पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने पहले आवेदन में इस तथ्य के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया है कि चीन से आयात कीमत और घरेलू कीमतों के बीच प्रतिलोभित संबंध है। यह देखा जा सकता है कि चीन की आयात कीमतों में क्षति जांच अवधि के दौरान 11 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि, दूसरी ओर घरेलू कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत तक की कमी आई है जिससे स्पष्टतः यह संकेत मिलता है कि चीन की आयात कीमतों का घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं है और उनमें आयात कीमतों के प्रभाव के बिना ही उतार-चढ़ाव हो रहा है। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि घरेलू उत्पादकों की कीमतें उनके बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुई हैं न कि संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण।

- यह कि संबद्ध वस्तु के कार्य निष्पादन पर इस्पात उद्योग की बुरी हालत का भी प्रभाव पड़ा है। अत:, घरेलू उद्योग पर पड़ने वाला प्रभाव चीन से आयातों के कारण नहीं पड़ा है बल्कि यह प्रभाव इस्पात उद्योग की स्थिति के कारण पड़ा है।

- यह कि घरेलू उद्योग की प्रमुख बाजार निर्यात बाजार है। उन्होंने जांच की अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्रियों के 240 प्रतिशत का निर्यात किया है। चूंकि इस्पात उद्योग की वैश्विक स्थिति भी अच्छी नहीं है इसलिए जांच की अवधि के दौरान विगत वर्ष की तुलना में उनके निर्यात निष्पादन में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता

उपयोग में गिरावट आई है और प्रति यूनिट नियत लागत में वृद्धि हुई है। अत: घरेलू उद्योग के थ्रस्ट का प्रभाव घरेलू बाजार में उनके निर्यात निष्पादन पर भी पड़ा है। जांच की अवधि के दौरान विगत वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग एवं उत्पादन में गिरावट से स्पष्टत: यह संकेत मिलता है कि उसमें कमी उस वर्ष के दौरान निर्यातों में गिरावट के कारण आई है।

- यह कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है और यह कि इसका उसकी लागत पर प्रत्यक्षत: प्रभाव पड़ा है जैसाकि ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार मूल्यह्रास लागत और ब्याज लागत में उक्त अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड.2. मैसर्स टीपीएम कंसल्टेन्ट्स द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

33. मैसर्स टीपीएम कंसल्टेन्ट्स ने मैसर्स फुशान ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड, लिआओयांग कार्बन कंपनी लिमिटेड, लिंघाय हांगफंग कार्बन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जिन्नाय कार्बन (एचके) कंपनी लिमिटेड की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरणों में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- यह कि घरेलू उद्योग भारी निर्यातोन्मुख उद्योग है और इसलिए प्राधिकारी कृपया यह जांच कर सकते हैं कि निष्पादन में यह गिरावट वर्णात्मक रूप से घरेलू बाजार में हुई है या यह गिरावट निर्यात बाजारों में भी आई है।

- यह कि इस विचाराधीन उत्पाद का केवल दो प्रकारों - यूएचपील एवं नान-यूएचपी में पृथक्करण करना ही पाटन एवं क्षति विश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि नान-यूएचपी ग्रेड में दो अलग-अलग प्रकार के इलेक्ट्राड्स – नार्मल पावर ग्रेड (एनपीजी) और हाई पावर ग्रेड (एचपीजी) होते हैं और इन एनपीजी एवं एचपीजी इलेक्ट्राड्स की लागत एवं कीमत के बीच भारी अंतर है। नान-यूएचपी ग्रेड के मामले में पाटन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण उच्च ग्रेड में किया जाएगा जबकि यह यूएचपी ग्रेड, नान-यूएचपी ग्रेडों में इस उत्पाद के विभिन्न प्रकारों का समुच्चयन होने के कारण के मामले में वह न्यून होगा।

- यह कि नान-यूएचपी उत्पादों के मामले में पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन, यूएचपी उत्पादों के पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की तुलना में असामान्य रूप से उच्चतर होता है। इन यूएचपी और नान-यूएचपी उत्पादों में व्यापक भिन्नता के लिए कोई औचित्य नहीं है, परंतु यह एक तथ्य है कि नान-यूएचपी उत्पाद वास्तव में समरूप उत्पाद नहीं है।

- यह कि कीमत पैरामीटरों की प्रवत्ति की तुलना मात्रा पैरामीटरों से करने पर यह प्रदर्शित नहीं होता है कि कीमत पैरामीटरों में यह गिरावट चीन से आयातों के कारण आई है। वर्ष 2011-12 आयातों में भारी वृद्धि हुई और वर्ष 2011-12 में करपूर्व लाभ एवं निवेश पर प्रतिलाभ में भी वृद्धि हुई जबकि कर-पश्चात लाभ में गिरावट आई है। इससे यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि वर्ष 2011-12 में लाभ में आई गिरावट इस अवधि में आयातों में वृद्धि के कारण नहीं आई है। बल्कि यह ब्याज लागत में वृद्धि के कारण आई है।

- यह कि जब कीमत अधोरदन की मात्रा उच्चतर थी, तो चीन से आयातों की मात्रा न्यूनतर थी और घरेलू उद्योग का लाभ बेहतर था। चूंकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर में भारी गिरावट आ गई थी, इसलिए चीन से होने वाले आयातों में वृद्धि प्रदर्शित होने लगी। इससे कारणात्मक संबंध भंग हो जाता है। यदि क्षति अवधि के दौरान कीमत अधोरदन में सुधार हो गया होता तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिलोभित कीमत प्रभाव आयातों के कारण हुआ है। तथापि, आयातित उत्पाद एवं घरेलू उत्पाद के बीच कीमत अंतर में गिरावट आई तथा घरेलू उद्योग के लाभ में भी गिरावट आई। इससे स्पष्टत: घरेलू उद्योग की कीमत उगाहने की अक्षमता प्रदर्शित होती है, जिसके लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

- यह कि आयात कीमतों तथा घरेलू उद्योग की कीमतों के बीच कोई सह संबंध नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा सहन किया जो वाला कीमत निग्रहण/अवमंदन चीन से होने वाले आयातों से नहीं हुआ है।

- यह कि यह दावा कि घरेलू उद्योग द्वारा कीमत निग्रहण सहन किया गया है परंतु यह आयातों के कारण नहीं हुआ है। यह कतिपय अन्य कारकों के कारण हुआ है। यह अन्य कारक जांच की अवधि में मांग में गिरावट और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा हो सकती है। चूंकि (क) इस उत्पाद की मांग में 8231 एमटी की गिरावट आई है, (ख) घरेलू उद्योग की निर्यातों की तुलना में घरेलू बाजार में बेहतर लाभप्रदता है और (ग) घरेलू

उद्योग अनुपयुक्त सुविधाओं का सामना कर रही है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग एक दूसरे के साथ गहन प्रतिस्पर्धा कर रहा था और आयात कीमत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।

- यह कि उसी उत्पाद के लिए प्राधिकारी द्वारा 1997 में की गई अपनी विगत जांच में प्राधिकारी ने घरेलू एवं उत्पादित आयात के बीच गुणवत्ता अंतर के लिए समायोजन किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए इस कीमत समायोजन को घरेलू उद्योग द्वारा सेस्टेट के समक्ष चुनौती दी गई जिसने निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का समर्थन कर दिया। उपर्युक्त परिस्थितियों के अंतर्गत और घरेलू उद्योग की ओर से किसी ऐसी सामग्री के अभाव में कि चीन के उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद के बीच यह अंतर अब विद्यमान नहीं है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय इस समायोजन को ध्यान में रखें ।

ड.3. मैसर्स एमएस पोथाल एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

34. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के दायरे के संबंध में इस मुद्दे के अतिरिक्त मैसर्स एम एस पोथाल एंड एसोसिएट्स ने सीसीसीएमई की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- यह कि प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम में निर्यातकों की गैर-नमूनाकृत श्रेणी के नामों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं और भविष्य में अवांछित दिक्कतों, यदि कोई हो, से बचने के लिए उनका उल्लेख शुल्क तालिका में भी कर सकते हैं।

- प्राधिकारी द्वारा विचारित 22 प्रतिशत की दर से आरओसीई अत्यधिक अतर्कसंगत है। इस रोस को तर्कसंगत बनाने के लिए हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए उच्चतम रोस (आरओसीई) या प्राधिकारी द्वारा नियमित परम्परा के अनुसार विचारित 22 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों, रोस पर रोस के तर्कसंगत आधार के रूप में विचार करें। वर्तमान मामले में 22 प्रतिशत की दर से रोस अत्यधिक गैर-न्यायोचित है।

- यह कि यदि कोई पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की मांग की जाती है तो उसे यथा-मूल्य आधार पर उद्ग्रहित किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य ढंग से। यदि शुल्क का अधिरोपण करने की जरूरत पड़ती ही है तो शुल्क का यथामूल्य स्वरूप वांछनीय है और यह इस मामले में तर्कसंगत ही है क्योंकि इस विचाराधीन उत्पाद में दो असंदिग्ध श्रेणियां हैं अर्थात यूएचपी एवं नान-यूएचपी और इन दोनों ग्रेडों की कीमत में भारी अंतर है।

- यह कि शुल्क का नियत स्वरूप से एक ऐसी स्थिति सृजित हो जाएगी जिससे सस्ते ग्रेड पर उच्चतर कीमत ग्रेड का अनावश्यक बोझ पड़ेगा। सीसीसीएमई यूएचपी एवं गैर-यूएचपी ग्रेडों में भारी कीमत अंतर के आलोक में शुल्क के नियत स्वरूप के प्रति बहुत अधिक चिन्तित हैं और प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि यदि शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक ही हो तो यथामूल्य स्वरूप के शुल्क पर विचार करें।

- यह कि चीन के उत्पादकों पर यह गलत दोषारोपण किया गया है कि वह भारतीय उत्पादों को क्षति कारित कर रहे हैं जब कि भारतीय उत्पादकों द्वारा स्वीकृत तथ्य स्वयं यह दर्शाता है कि कुछ अन्य कारण भी मौजूद हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा होगा, इन कारणों में शामिल है स्टील उद्योग के दुर्दिन तथा एक संयंत्र का अस्थायी रूप से बंद होना।

- ग्रेफाइट इलेक्ट्राड उद्योग के कार्यनिष्पादन का सीधा संबंध इस्पात उद्योग में घटित होने वाली घटनाओं से है। इसे घरेलू उद्योग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। परंतु वर्तमान मामले में तथ्यों का अनुकरण करते समय इस पहलू की अनदेखी कर दी गई जो यह दर्शाता है कि कथित पाटन एवं कथित क्षति के बीच प्रतिलोभित संबंध है।

- यह कि घरेलू उद्योग ने निर्यातों को अधिक महत्व दिया। उनके द्वारा किए गए भारी निवेश भी भारी उदार निर्यात बाजार को लक्ष्य बनाकर किए गए हैं । भारत में तुलनात्मक रूप से कम मांग बेशी क्षमता के कारण उठे मुद्दे का उत्तर कभी भी प्रदान नहीं कर सकता है क्योंकि वह मुख्यता निर्यात बाजारों के लिए की गई है।

- कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। उतराई कीमत घरेलू कीमतों पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है; घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता पर चीन से कथित पाटन के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति अवधि में लाभ अर्जित करता रहा।

- यह कि वर्तमान मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संपूर्ण विश्व के ग्रेफाइट उत्पादकों पर इस्पात उद्योग में होने वाली मंथर एवं ऋणात्मक वृद्धि का विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिनमें संबद्ध उत्पाद का प्राथमिकत: प्रयोग किया जाता है। तथापि, भारतीय उत्पादकों को लाभ नहीं हो रहा था और वे इस उत्पाद में भारी निवेश कर रहे थे। यद्यपि आउटलुक यह भी कहता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राड के उत्पादकों के लिए आशा की एक किरण यह है कि इस्पात उद्योग में पुन: सुधार हो जाए, इसलिए ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है जो पाटनरोधी शुल्क द्वारा इस मामले में पूरा किया जा सकता हो। इसलिए, संबद्ध वस्तु की मांग में आई गिरावट से उत्पन्न हुई अस्थायी विपरीत स्थिति की व्याख्या वर्तमान मामले में पाटन के रूप में की गई है जो बिल्कुल भी युक्तियुक्त नहीं है।
- यह कि वर्तमान मामले की इस तथ्यपरक स्थिति पर विचार करते हुए सीसीसीएमई वर्तमान पाटनरोधी जांच को बिना किसी शुल्क अधिरोपण को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

ड.4. मैसर्स इकनामिक लॉ प्रैक्टिस द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

35. मैसर्स इकनामिक लॉ प्रैक्टिस ने मैसर्स आईएसएमटी की ओर से किए गए अपने प्रस्तुतिकरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

- यह कि आवेदक ने चुनिंदा रूप से क्षति पैरामीटरों, जैसे पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन अधोरदन, आयात मात्रा एवं कीमत, बिक्री लागत और यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी के लिए बिक्री कीमत का पृथक्कृत विवरण प्रदान किया है जबकि घरेलू उद्योग ने यूएचपी तथा गैर-यूएचपी के लिए मांग लाभप्रदता, घरेलू बिक्री, उत्पादन तथा क्षमता का पृथक विश्लेषण प्रदान नहीं कराया है।
- यह कि प्राधिकारी को विनिर्मित सामान्य मूल्य के आंकड़ों का, कम से कम, श्रृंखला में प्रकटन किया जाना चाहिए। चूंकि कच्चे माल, कीमत निर्धारण या खपत मानदंडों का प्रकटन नहीं किया जा रहा है, अंतिम सामान्य मूल्य का प्रकटन करने से कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक नहीं होगी।
- यह कि प्राधिकारी को सुस्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए जिसमें चीन जन.गण. से गैर नमूनाकृत और असहयोगकर्ता उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का तथा उसके आधार एवं क्रियापद्धति का स्पष्ट रूप से प्रकटन किया गया है।
- यह कि अर्थशास्त्रीय सभी संगत विश्लेषणों के लिए आंकड़ों में उक्त प्रकटन विवरण में याचिका के बाद से, बदलाव किया गया है। इस जांच में इसे विलंब से किए जाने वाला यह अंतर अनुचित, गैर-न्यायोचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला है। इससे यह आशय भी मिलता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान जांच की शुरूआत के समय साक्ष्य की उपयुक्तता एवं यथार्थता की जांच करने में असफल रहे हैं और इसलिए यह जांच शुरूआत आदिश: निरर्थक है।
- यह कि यद्यपि कुल आयात मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, संबद्ध देश से आयातों ने अन्य आयातों के केवल प्रतिस्थापित किया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि संबद्ध देश के आयातों का कुल आयातों में हिस्सा 42 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया जबकि अन्य स्रोतों से होने वाले आयातों का हिस्सा 57 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत हो गया। इसके बाबजूद, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा संगत रूप से आधार वर्ष के 61 प्रतिशत की तुलना में जांच की अवधि में 69 प्रतिशत स्थिर बना रहा। अत: वास्तव में घरेलू उद्योग पर संवर्धित आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- न्यूनतम कीमत अधोरदन हुआ है। इसके अतिरिक्त, कीमत अधोविक्रयण को प्रतिलाभ, जो घरेलू उद्योग के लिए 22 प्रतिशत विचार किया गया है की दर पर त्रुटिपूर्ण विचार करके बढ़ा चढ़ा कर बिना किसी औचित्य प्रस्तुत किया गया है।
- यह कि बिक्री कीमत में जांच की अवधि में केवल 10 प्रतिशत की गिरावट हुई है जबकि उतराई मूल्य में बिक्री लागत के अनुरूप वृद्धि हुई है और कीमत अधोरदन में भी गिरावट हुई है। अत:, कीमत प्रभाव से संबंधित निष्कर्ष पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है और उस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

- यह कि घरेलू उद्योग ने, निर्यातोन्मुख होने के कारण अपने उत्पादन में वृद्धि को निर्यातों की ओर विपथित कर दिया इसलिए घरेलू बिक्री में उसी स्तर की वृद्धि नहीं हुई जबकि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान निर्यातों में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- यह कि जहां तक लाभदायकता का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट आई है। इसी तरह, यह भी प्रेक्षा की जानी चाहिए कि क्षति अवधि में निवेश पर प्रतिलाभ में भी गिरावट आई है। यह गिरावट संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई परंतु संबद्ध आयातों से पूर्णतया असंबद्ध त्रुटिपूर्ण कारक के कारण हुई है।

- यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत लाभप्रदता में गिरावट, कीमत अधोरदन, अधोविक्रयण और कीमत निग्रहण के लिए स्पष्टतया अन्य कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, न कि संबद्ध देश से होने वाले कथित पाटन के कारण।

- यह कि वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 में आयातित कच्चे माल की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई साथ ही रुपए के मूल्य में अवक्षयण हुआ जिससे घरेलू उद्योग को भारी घाटा उठाना पड़ा। स्पष्टत:, इसके लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है और इसके लिए संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है।

- यह एक सुस्थापित विधि है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए पाटित आयातों और क्षति की बीच "कारणात्मक संबंध" होना एक अनिवार्य कारक है। आदर सहित यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में कई ऐसे कारक हैं जो कारणात्मक संबंध में विस्थापित करते हैं और यह घरेलू उद्योग को क्षति पाटन द्वारा कारित नहीं की गई है।

- यह कि इस मामले में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों में 44 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जिनकी वृद्धि दर घरेलू बिक्रियों की वृद्धि दर की तुलना में बहुत अधिक है। निर्यात बिक्रियां भी अधिक लाभकर हैं क्योंकि जांच की अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों के मूल्य में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि क्षमता में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और निर्यात की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया और निर्यात उत्पादन की 65 प्रतिशत बने रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग ने, घरेलू मांग में 30 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद, निर्यात बाजार पर अधिक बल दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अपनी संवर्धित क्षमता को भी निर्यात की ओर मोड़ दिया। अत:, घरेलू उद्योग की निर्यातोन्मुख के कारण कारणात्मक संबंध स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ है।

- यह कि निसंदेह, फरनेस प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया है और इसकी क्षमताओं के कारण घरेलू प्रयोक्तागण विभिन्न प्रौद्योगिकियों की ओर शिफ्ट हुए और उसके द्वारा उपभोक्ताओं ने गैर-यूएचपी इलेक्ट्राड्स के विपरीत यूएचपी इलेक्ट्राड की ओर अपनी अधिमानता बढ़ा दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और उपभोक्ताओं की अधिमानता से नान यूएचपी बाजार को क्षति हुई जिसको कारणात्मक संबंधों पर प्रत्यक्षत: प्रभाव पड़ा है।

- यह कि घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर सर्वोच्च प्रतिलाभ केवल 8.53 प्रतिशत था। अत:, ऐसे परिदृष्य में नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत का प्रतिलाभ प्रदान करना स्पष्टत: विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अत:, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर, जो 22 प्रतिशत न होकर, 8.53 प्रतिशत से अनधिक हो, पर कीमत अधोविक्रय का परिकलन करके जांच की जानी चाहिए।

ड.5. फुशुन कार्बन कंपनी, लिमिटेड ("फुशुन") और फान्डा कार्बन न्यू मटीरियल कंपनी, लिमिटेड की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण

36. उपर्युक्त निर्यातकों के प्रकटन पश्चात किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों में तर्क दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संरचित सामान्य मूल्य और गैर-यूएचडी श्रेणी के संरचित सामान्य मूल्य में थोड़ा अंतर है और इसी तरह अलग-अलग गैर-क्षतिकारी कीमत में भी थोड़ा अंतर है जो कुछ परिकलन त्रुटि के परिणामस्वरूप भी हो सकता है और इसकी पुन: जांच की जा सकती है क्योंकि यह यूएचडी और नान-यूएचडी श्रेणियों की कीमतों में भारी अंतर की वास्तविकता से प्रथम दृष्टया काफी भिन्न है। नान-यूएचडी श्रेणी के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने के लिए घरेलू तथा आयातित नान-यूएचडी के न्यूनतर विनिर्देशनों के बीच भौतिक अभिलक्षणों में पर्याप्त अंतर के लिए समायोजन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद से उत्पादों का अपवर्जन तथ्य को निष्कर्षों के आधार पर क्यों किया गया और यह कार्य विधि के आधार पर क्यों नहीं किया

गया जैसाकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों में असमान वस्तु को अब समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

ड.6. भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

37. भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने प्रकटन पश्चात प्रस्तुतिकरणों में अधिकांशत: उन्हीं तर्कों को दोहराया है जो घरेलू उद्योग के पाटन एवं क्षति के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए हैं। संक्षेप में प्रस्तुतिकरण के कारण उन कारकों की पुनरावृत्ति यहां नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

- यह कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की कीमतों में लगभग 60-90 प्रतिशत तक की प्रभावकारी कीमत वृद्धि की है और वह विदेशी सामग्री क्षति की कीमत विद्रूपण के लिए उत्तरदायी है।
- यह कि घरेलू उत्पादकों की भारी निर्यातोन्मुखता रही है और चीन के उन्हीं उत्पादकों के साथ समान कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं और भारी लाभ अर्जित कर रहे है जबकि घरेलू प्रचालनों में वे क्षति का दावा कर रहे हैं।
- यह कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण अपनी परम्परा के अनुसार घरेलू उद्योग को 30 प्रतिशत आर्डर प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करता है जहां वे एल-1 नहीं हैं और यह कि घरेलू उद्योग एल-4 कीमत को मैच करता है। तथापि, घरेलू उद्योग ने निरतंर ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्चतर कीमतों वाली अपनी वांछित कीमत पर बिक्री करने के अपने भरोसे के कारण एल-1 कीमतों से मैच न करने का चयन किया है।
- यह कि चीन जन.गण. में उद्भवित/से आयातित संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता घरेलू उत्पादको द्वारा उत्पादि संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता के समनुरूप है।

ड.7. घरेलू उद्योग की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

38. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में अपने तर्कों को पुन: दोहराया है और यह तर्क दिया है कि :

- यह कि सीसीसीएमई पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार इस मामले में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचारे जाने के लिए पात्र नहीं है।
- यह कि विहित समय सीमा के पश्चात या सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्रश्नावली प्रत्युत्तर में किए गए अनुरोध के अनुरूप आधारभूत सूचना के प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का और निर्दिष्ट प्राधिकारी की पिछली परम्पराओं का उल्लंघन होगा।
- यह कि हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि चीन जन.गण. में विनिर्मित संबद्ध उत्पाद भारत में उत्पादित संबद्ध उत्पाद के समरूप और उसके प्रतिस्थापनीय है। इस तथ्य की कल्पना करते हुए पंरतु उसे स्वीकार न करते हुए कि दोनों वस्तुओं में कुछ गुणवत्ता अंतर है, इसलिए उतराई मूल्य में समायोजन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6(1) के साथ-साथ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप गुणवत्ता में अंतर होने के कारण अनुमेय नहीं है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने गुणवत्ता में अंतर होने के कारण उतराई मूल्य में समायोजन करने के अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। इसलिए, इस तरह के समायोजन के लिए हितबद्ध पक्षकारों के दावों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने कतिपय अनभिप्रेत क्लैरिकल त्रुटियों में क्षति तालिका में सुधार करने का अनुरोध भी किया है।

ड.8. प्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने, जिनमें घरेलू उद्योग भी शामिल है, इस मामले के विभिन्न पहलुओं, पाटन एवं क्षति निर्धारण सहित, के संबंध में दिए गए अपने तर्कों को अधिकांशत: दोहराया है।

40. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सीसीसीएमई को इस जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्र नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे का प्रकटन विवरण में पर्याप्त रूप से समाधान कर दिया गया है और घरेलू उद्योग

द्वारा सीसीसीएमई को हितबद्ध पक्षकार के रूप में न मानने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त तर्क नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी को इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क में कोई दम दिखाई नहीं देता है।

41. जहां विचाराधीन उत्पाद की एकरूपता न होने तथा यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी के बीच कीमत अंतर होने तथा तद्वारा पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारणों को विकृत करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न उत्पाद प्रकारों को शामिल करते हुए विचाराधीन उत्पाद का एक बार निर्धारण हो जाने के पश्चात प्राधिकारी को उत्पाद प्रकार स्तर की वस्तु-दर-वस्तु तुलना करने के पश्चात उत्पाद प्रकार स्तर के पाटन मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित होता है और फिर उसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत मार्जिन का निर्धारण करना होता है। इस क्रियापद्धति का सभी निर्धारणों में कड़ाई से अनुपालन किया गया है जो कि पाटनरोधी करार से भी संगत है।

42. जहां तक पाटन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए नॉन-यूएचपी टाइप के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का उप-टाइप्स में पृथक्करण करने का संबंध है, इस मुद्दे की विस्तृत जांच की गई है और प्राधिकारी ने स्पष्टत: यह नोट कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं विनिर्देशनों के अभाव में किसी उत्पाद प्रकार का उप-वर्गीकरण करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागिताकारी निर्यातकों ने अपने उत्पादों का घरेलू एवं निर्यात बाजारों, दोनों में यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी के रूप स्पष्ट तौर पर वर्गीकरण् किया है, और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सभी तुलना समान-दर-समान आधार पर की गई है। इसलिए, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का कोई साक्ष्यांकन नहीं किया गया है।

43. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि विगत जांचों में यथास्वीकृत गुणवत्ता अंतर के लिए यह मानकर समायोजन का अनुप्रयोग किया जाए कि चीन में उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता घरेलू वस्तु की गुणवत्ता की तुलना में कम है, यह नोट किया जा सकता है कि नियमावली में केवल निर्यात देश की घरेलू बाजार में बिक्री की गई और आयातक देश की बाजार में निर्यात की गई वस्तु के बीच गुणवत्ता अंतर का समायोजन साक्ष्यांकित दावों के आधारा पर किए जाने का प्रावधान है। प्रतिभागिता करने वाले किसी भी निर्यातक ने अपनी घरेलू बिक्रियों के बीच कोई गुणवत्ता समायोजन करने का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टत:, संबद्ध देश से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तु को घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं प्रदाय की जा रही वस्तु के समान एवं प्रतिस्थापनीय पाया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया था कि समायोजन करने की अनुमति विगत के पूर्वोदाहरणों के आधार पर दी जाए।

44. पाटन एवं क्षति निर्धारण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में, प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य प्रस्तुतिकरणों का इस जांच परिणाम के संबंधित खंडों में उस सीमा तक समाधान कर दिया गया है जिस सीमा तक उन्हें इस जांच से संगत पाया गया और जिस सीमा तक वे विधिवत साक्ष्यांकित हैं।

च. पाटन एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण एवं उसकी क्रियापद्धति

च.1 सामान्य मूल्य

45. पाटनरोधी नियमावली के खंड 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी के संबंध में सामान्य मूल्य :

(i) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए वह तुलनीय कीमत होती है जब वह उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के आशय से बनी हो; या

(ii) जब निर्यातक देश की घरेलू बाजार या भू-भाग में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की बिक्री न होने पर या जहां किसी विशिष्ट बाजार स्थिति के कारण या निर्यातक देश की घरेलू बाजार में या भू-भाग में बिक्री की मात्रा कम होने पर, ऐसी बिक्रियां समुचित तुलना की अनुमति न प्रदान करती हों वहां सामान्य मूल्य या तो :

(क) समान वस्तु की वह तुलनीय प्रतिनिधित्व होगी, जब उसका निर्यात निर्यातक देश या भूभाग या उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित उपयुक्त तृतीय देश में किया गया हो; या

(ख) उद्गम के देश में वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित लाभ के लिए और प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत के लिए तर्कसंगत संवर्धन शामिल हों;

46. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां यह सुझाव देते हुए प्रेषित की कि वे विहित प्रपत्र एवं स्वरूप में सूचना प्रदान करें। निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए :

(i) मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी, लिमिटेड

(ii) मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी

(iii) मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड

(iv) लिन्थी काउंटी लुबेई कार्बन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), चीन जन.गण.

(v) मैसर्स शान्डांग बासन कार्बन प्लांट (उत्पादक) चीन जन.गण.

(vi) मैसर्स फुसुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड

(vii) मैसर्स अससेन मैटलार्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) चीन जन.गण.

(viii) मैसर्स नान्टांग यांगजी कार्बन कंपनी लिमिटेड ("नानटांग यांगजी")

(ix) मैसर्स सिचुआन गुआन्धान शिदा कार्बन कंपनी लिमिटेड (शिदा कार्बन)

(x) मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड

(xi) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चाइना पिंगमेई शेन्मा ग्रुप

(xii) मैसर्स फुसान ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड

(xiii) मैसर्स लिआओयंग कार्बन कपंनी लिमिटेड

(xiv) मैसर्स लिन्घाय हांग्फेंग कार्बन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

(xv) मैसर्स जिन्याय कार्बन (एचके) कंपनी लिमिटेड

(xvi) फुशान कार्बन कंपनी लिमिटेड

(xvii) मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मटीरियल कंपनी लिमिटेड

(xviii) मैसर्स सीआईएमएम ग्रुप लिमिटेड ("सीआईएमएस") चाइना पीआर

(xix) मैसर्स सीआईएमएम डोन्घाय एडवान्स्ड कार्बन कंपनी लिमिटेड

47. चूंकि प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देने वाले प्रत्युत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या काफी बड़ी थी, इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार सैम्पलिंग के आधार पर पाटन मार्जिन का विश्लेषण करना उपयुक्त समझते हैं। तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) में उल्लिखित निबंधनें के अनुरूप सैम्पल्ड निर्यातकों उत्पादकों की एक सूची तैयार की गई है और उसे सभी हितबद्ध पक्षकारों के पास अपनी टिप्पणियां देने के लिए भेजा गया हो। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई और इस जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में उनके निर्यात की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों का चयन किया है :

(i) मैसर्स फांग्डा न्यू मटीरियल कंपनी लिमिटेड, चीन

(ii) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंग्मेई शेन्मा ग्रुप

(iii) मैसर्स फुशुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड

(iv) मैसर्स पिंगडिंग शाना सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन

(v) मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड

48. प्राधिकारी ने सभी संबंधित पक्षकारों को चयन प्रक्रिया और उनकी टिप्पणियों के लिए अपनाए गए निकष की सूचना दे दी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों की जांच की गई और जांच के पश्चात सैम्पल्ड निर्यातक उत्पादकों की

एक संशोधित सूची सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणी के लिए प्रेषित की गई। निर्यातकर्ता उत्पादकों की सैम्पिलंग के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

49. तदनुसार सैम्पल्ड निर्यातकर्ता उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तरों की जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए की गई।

50. यह नोट किया गया कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का अनुरोध नहीं किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी भी निर्यातकर्ता उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया।

51. घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया गा है कि चीन को संपूर्ण विश्व के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है और अभिनव मामलों में चीन को भारत में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है और अभिनव मामलों में चीन को भारत में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया था। इसलिए, चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया में निर्धारित किए गए के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है। अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नवत पठित है :

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत या संरचित मूल्य के आधार पर या ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश की कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो वहां किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत शामिल है जिसमें यदि आवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन किया गया हो। संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नावली उत्पाद को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश का चयन किया जाएगा और इस चयन के समय उपलब्ध कराई गई प्रत्येक भरोसेमंद सूचना पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। जहां कहीं उपयुक्त समझा गया वहां किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में समान मामले में की गई किसी जांच पर भी विचार किया जाएगा। जांच के पक्षकारों को इस बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश का चयन की सूचना बिना किसी अतार्किक विलंब के तत्काल दी जाएगी और उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा।"

52. चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में घरेलू बिक्री कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य या ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश को निर्यातक कीमत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर कर सकते हैं, जिसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन का समायोजन करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत शामिल है।

53. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संबद्ध वस्तु के लिए किसी कीमत एवं लागत विवरण के अभाव के कारण और नोट किए गए इस तथ्य के कारण कि किसी भी नमूनाकृत उत्पादक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप बाजार अर्थव्यस्था दर्जे का दावा नहीं किया है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास भारत में समान के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय, विधिवत समायोजित, जिससे कि तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके, कीमत के आधार पर अनुमानित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नहीं रह गया था।

54. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की संरचना की गई। चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, उसका निर्धारण बिक्री सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों एवं लाभ को शामिल करके विधिवत समायोजित संरचित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

55. घरेलू उद्योग उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर यूएचपी एवं नॉन-यूएचपी दोनों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना की गई और वह निम्नवत है :

संरचित सामान्य मूल्य		
	रुपए/एमटी	यूएस डालर/एमटी
यूएचपी	****	****
नॉन-यूएचपी	****	****

च.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

56. निम्नलिखित नमूनाकृत उत्पादकों और निर्यातकों को स्थल सत्यापन किया गया :

(i) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड (चाइना पिंगमीशेन्मा ग्रुप) कैफेंग

(ii) मैसर्स पिंगडिंग शान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, पिंगडिंमशान

(iii) मैसर्स फुशुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड, फुशुन शहर

(iv) मैसर्स अससेन मेटलार्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, डालियान शहर

57. ऊपर उल्लिखित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सत्यापन रिपोर्टों पर टिप्पणी करने हेतु सत्यापन रिपोर्टें जारी की गईं। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

58. सैम्पल निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने नमूनाकृत निर्यातकर्ता उत्पादकों तथा उनकी व्यक्तिगत प्रश्नावली प्रत्युत्तरों में प्रदर्शित निर्यातक निर्यात कीमत को ध्यान में रखा है। तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निम्नवत पाटन मार्जिन एवं निर्यात मार्जिन का निर्धारण किया है :

च.1. नमूनाकृत निर्यातकर्ता उत्पादकों तथा उनके निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

1. मैसर्स फैफेंग कार्बन लिमिटेड, चीन पिंगमेई शेन्या ग्रुप, चीन (कैफेंग)

(क) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन उत्पादक एवं निर्यातक के रूप में

59. मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन, चीन की कंपनी विधि के अनुसार स्थापित एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। कैफेंग कार्बन का वर्तमान नाम कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड से बदलकर दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को झांगपिंग इनर्जी एंड कैमिकल ग्रुप कर दिया गया है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स कैफेंग कार्बन की अन्य शेयरधारकों की तरह ही मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन ("सान्जी कार्बन") में शेयरधारिता है, जो आरपी और एचपी ग्रेड के संबंधित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने का कार्य करती है।

60. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स कैफेंग चीन जन.गण. में ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स की उत्पादक है और यह कंपनी यूएचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का उत्पादन एवं उसकी बिक्री करती है। आरपी/एचपी (नॉन-यूएचपी) ग्रेड के अन्य ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स जिनका जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया गया, उनका विनिर्माण मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह नोट किया गया कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान परिशिष्ट-2 में भारत को बिक्री के *** एमटी निर्यात की सूचना दी है। इन निर्यातों में से कंपनी *** एमटी यूएचपी ग्रेडों का निर्यात किलोग्राम जिनका विनिर्माण कैफेंग कार्बन का अपनी निजी फैक्टरी में किया जाता है। कैफेंग कार्बन द्वारा शेष *** आरपी/एचपी ग्रेडों, जिनका भारत को निर्यात किया गया, का विनिर्माण मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड द्वारा अपनी निजी फैक्टरी में किया गया था। सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि भारत को यह बिक्री सीआईएफ तथा सीएफआर आधार पर की गई थी और भारत को निर्यात पर फैक्टरी बाह्य खर्चों का वहन कैफेंग कार्बन द्वारा किया गया।

61. इस कंपनी द्वारा निर्यातित वस्तु की फैक्टरी बाह्य कीमत का निर्धारण करने क लिए अंतरदेशीय भाड़ा, प्रहस्तन प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के कारण हुए समायोजन निर्यातों के सीआईएफ/सीएफआर मूल्य के आधार पर, कंपनी के आधारभूत रिकार्डों/समर्थनकारी दस्तावेजों से सत्यापित दावों के अनुरूप निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ किया गया। दस्तावेजों से यह भी नोट किया गया कि यद्यपि निर्यातक द्वारा 17 प्रतिशत वैट का

भुगतान किया गया था तथापि जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद के लिए वैट वापसी शून्य थी और इस प्रकार रिफंड न किए गए वैट को निर्यातक की फैक्टरी बाह्य निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए निर्यात कीमत से घटाने का प्रस्ताव किया जाता है। तदनुसार, मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :

उत्पाद कोड	मात्रा का योग (टन)	निवल बीजक मूल्य का योग (यूएस डालर)	निवल निर्यात कीमत का योग (यूएसडी)	वैट समायोजन सहित निवल निर्यात कीमत का योग (यूएस डालर)	निवल एनईपी यूएसडी/एमटी
यूएचपी 500*1800	****	****	****	****	****
यूएचपी 500*2100	****	****	****	****	****
यूएचपी 600*2400	****	****	****	****	****
यूएचपी 600*2700	****	****	****	****	****
कुल योग	****	****	****	****	****

(ख) मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (सान्जी कार्बन) (उत्पादक) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई सेन्मा ग्रुप के जरिए निर्यातकर्ता

62. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन (जिसे एतद्पश्चात "सान्जी कार्बन" कहा जाएगा) 08 मार्च, 2005 को स्थापित एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। मैसर्स कैफेना कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई शेन्या ग्रुप (कैफेंग कार्बन) की इस कंपनी में 66 प्रतिशत शेयरधारिता है। इस प्रकार, कैफेंग कार्बन सान्जी कार्बन, जो संबद्ध उत्पाद के आरपी और एचपी ग्रेड का उत्पादन करने एवं उसकी बिक्री करने का कार्य करती है, में शेयरधारिता होने के कारण उसकी संबद्ध कंपनी है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स सान्जी कार्बन ने जांच की अवधि के दौरान भारत को आरपी/एचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का निर्यात कैफेंग कार्बन के जरिए किया था। यह भी नोट किया जाता है कि इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारत को प्रत्यक्षत: निर्यात नहीं किया है।

63. यह नोट किया जाता है कि इस कंपनी ने घरेलू बाजार में *** एमटी घरेलू बिक्रियां की हैं। यह भी नोट किया जाता है कि विभिन्न ग्राहकों को की गई *** एमटी की घरेलू बिक्रियों में से जांच की अवधि के दौरान *** एमटी राशि की बिक्री मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चाइना पिंगमेई शेन्या ग्रुप को की गई थी। इन बिक्रियों में से कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चाइना पिंगमेई शेन्मा ग्रुप में *** एमटी आरपी/एचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का भारत को निर्यात किया है।

64. उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर किया जाता है और यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उनके केवल रेगुलर पावर ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स और हाई पावर ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स (नॉन-यूएचपी) का ही निर्यात किया गया है। उपर्युक्त प्रकार के ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का उनके द्वारा भारत को निर्यात सीआईएफ के साथ-साथ सीएफआर आधार पर भी किया गया है। फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमतों के समायोजनों पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ प्रहस्तन प्रभारों, अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, ऋण लागत तथा बैंक प्रभारों का प्रयोग, सत्यापन के पश्चात प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एवं स्वीकृत रिकार्ड के अनुरूप किया गया है। दस्तावेजों से यह भी नोट किया गया कि यद्यपि जांच की अवधि के दौरान वैट का भुगतान किया गया परंतु उसका रिफंड शून्य था और इस प्रकार यह प्रस्ताव किया जाता है कि निवल निर्यात कीमत से रिफंड न किए गए वैट को कम कर दिया जाएगा। मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन के लिए निर्धारित किया गया निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित है :

उत्पाद कोड	मात्रा का योग (टन)	निवल बीजक मूल्य का योग (यूएस डालर)	निवल निर्यात कीमत का योग (यूएसडी)	वैट समायोजन सहित निवल निर्यात कीमत का योग (यूएस डालर)	निवल एनईपी यूएसडी/एमटी
एचपी 400*1850	****	****	****	****	****
एचपी 450*1900	****	****	****	****	****
आरपी 350*1800	****	****	****	****	****
कुल योग	****	****	****	****	****

(ग) मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चाइना पिंगमेई शेन्मा ग्रुप

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है और यह वस्तु का निर्यात मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से करती है क्योंकि इसके पास अपने खुद का निर्यात लाइसेंस नहीं है। इसलिए मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड और मैसर्स पिंगडिंगशाना सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड को पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एक एकल समूह के रूप में माना गया है।

66. अपने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में मैसर्स कैफेंग और मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड ने यह तर्क दिया है कि पिंगडिंगशान सान्जी मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चाइना पिंगपेई शेन्मा ग्रुप के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी नहीं है और इसलिए इन दोनों के लिए संयुक्त पाटन मार्जिन तथा संयुक्त शुल्क का आशय उन अन्य शेयरधारकों के हितों से समझौता करना होगा जिनकी मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 38.73 प्रतिशत की शेयरधारिता है। इसलिए उपर्युक्त दो कंपनियों के लिए संयुक्त पाटन मार्जिन की संगणना करना वर्तमान जांच में न्यायोचित नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कपंनी लिमिटेड, स्पष्टत: कैफेंग की एक अनुषंगी कंपनी है और मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का निर्यात कैफेंग के जरिए किया जा रहा है। इसलिए इस ग्रुप के लिए एक साथ पाठन मार्जिन का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

67. यह भी तर्क दिया गया है कि रिफंड न किए गए वैट के लिए अपनाया गया वैट समायोजन फार्मूला सही नहीं है क्योंकि यह प्रकल्पना की जाती है कि इनपुटों के संबद्ध में संदत्त वैट को निर्यात कीमत में शामिल किया जाता है और निर्यातक ने एक वैकल्पिक वैट समायोजन का सुझाव दिया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस क्रियापद्धति की सत्यापन के दौरान किसी भी प्रत्युत्तरदाता निर्यातक द्वारा वास्तविक संदत्त वैट और इसको निर्यात कीमत में प्रयोग किए जाने के संबंध में किसी साक्ष्य द्वारा साक्ष्यांकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस वैट समायोजन क्रियापद्धति पर किसी अन्य प्रत्युत्तरदाता निर्यातक ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्यातक का तर्क संधारणीय नहीं है।

2. मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मटीरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (फांग्डा) (उत्पादक निर्यातक)

68. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड चीन, चीन जनवादी गणराज्य की कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यह शंघाई स्टाक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड, चीन ने भारत को संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष निर्यात करने के साथ-साथ मैसर्स अंससेन मेटलार्जी ग्रुप कंपी लिमिटेड के जरिए भी किया है और इसने निर्यातक प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-2 में सूचना प्रदान की है। प्रत्युत्तरदाता उत्पादक एवं निर्यातक द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की जांच करने के दौरान यह नोट किया गया कि मैसर्स फांग्डा ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्षत: निर्यात किया है और इसमें *** एमटी नान-यूएचपी तथा *** एमटी यूएचपी शामिल है। यह निर्यात बिक्रियां सीआईएफ आधार पर की गई हैं और फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन और क्रेडिट लागत का अनुप्रयोग निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के अनुरूप किया गया है। दस्तावेजों से यह भी नोट किया गया कि वैट का भुगतान तो किया गया परंतु जांच की अवधि के दौरान इस

उत्पाद के लिए रिफंड शून्य था और इसलिए रिफंड न किए गए वैट को फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए निर्यात कीमत में से कम कर देने का प्रस्ताव है। मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित है :

उत्पाद कोड	मात्रा का योग (टन)	निवल बीजक मूल्य का योग (यूएस डालर)	निवल निर्यात कीमत का योग (यूएसडी)	वैट समायोजन सहित निवल निर्यात कीमत का योग (यूएस डालर)	निवल एनईपी यूएसडी/एमटी
नॉन-यूएचपी	****	****	****	****	****
यूएचपी	****	****	****	****	****
कुल योग	****	****	****	****	****

3. मैसर्स अंससेन ग्रुप कंपनी लिमिटेड (अंससेन) (निर्यातक) जो मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यूमैटीरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जनगण (फांग्डा) (उत्पादक) और मैसर्स फुशन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) (फुशुन) से प्राप्त संबद्ध वस्तु का निर्यात करता है।

69. मैसर्स अंससेन मैटलार्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. का एक व्यापारी/निर्यातक है और इसने चीन जन.गण. में स्थित छह उत्पादकों से प्राप्त संबद्ध वस्तु ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का भारत को निर्यात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स अंससेन ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी दायर किया है और उसने भारत को निर्यातों के परिशिष्ट-2 में आपूर्तिकर्ताओं के नाम तथा अन्य ब्यौरे दिए हैं।

70. यह नोट किया गया कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत को की गई सभी बिक्रियां एलसी, डीए और डीपी के माध्यम से की गई थी। यह नोट किया गया कि परिशिष्ट-2 में कंपनी ने 91 खेपों की सूचना दी है जिनमें जांच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी ग्रेफाइट इलेक्ट्राड का निर्यात किया गया। इसमें से *** एमटी निर्यात यूएचपी का था (और शेष निर्यात नान-यूएचपी का था)। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया कि भारत को सभी निर्यात प्रत्यक्षत: भारतीय ग्राहकों को किए गए है। यह नोट किया गया है कि इस संबद्ध वस्तु को भारत को की गई सभी बिक्रियां सीआईएफ, सीएफआर तथा एफओबी आधार पर की गई हैं। निर्यातक में अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा कमीशन और क्रेडिट लागत के आधार पर समयोजन का दावा किया है। यह नोट किया गया कि चीन जनवादी गणराज्य के आयात एवं निर्यात प्रशुल्क विनियमन के अनुसार इस संबंधित उत्पाद पर वैट रिफंड नहीं किया गया। दस्तावेजों से यह भी नोट किया गया कि जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद के लिए वैट रिफंड शून्य था।

71. संबद्ध वस्तु के दो नमूनाकृत सहयोगकर्ता उत्पादकों अर्थात मैसर्स फुशुन कार्बन कंपनी लिमिटेड तथा मैसर्स फांग्डा कार्बन, जिनकी वस्तु की जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया गया था, ने प्राधिकारी को संगत दस्तावेज तथा प्रत्युत्तर प्रयुक्त किए है।

72. मैसर्स फुशुन के लिए यह नोट किया जाता है कि यह चीन जन.गण. को कारपोरेट विधि के अनुसार स्थापित एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। यह भी नोट किया जाता है कि इस उत्पादक ने भारत में प्रत्यक्ष बिक्री नहीं की है। प्रत्युत्तर से यह नोट किया जाता है कि यह इस संबद्ध वस्तु की बिक्री मैसर्स अंससेन मेटलार्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड को करता है और मैसर्स अंससेन इस संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में निर्यात करता है। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातक उत्पादक ने मैसर्स अंससेन के जरिए केवल नान-यूएचपी संबद्ध वस्तु की ही बिक्री की है। इस कंपनी ने संबद्ध वस्तु की *** एमटी घरेलू बिक्री होने की सूचना दी है, इसमें से जांच की अवधि के दौरान *** एमटी की बिक्री अंससेन को की गई थी। जांच के दौरान यह नोट किया गया कि इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान गृह बाजार में मैसर्स असंसेन को इस संबद्ध वस्तु (सभी नान-यूएचपी) की *** एमटी की (आरएमबी ***) बिक्री की गई थी जिसका भारत को निर्यात किया गया।

73. फांग्डा के संबंध में यह नोट किया गया कि फांग्डा ने जांच की अवधि के दौरान *** एमटी संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री की थी। जिसमें से जांच की अवधि के दौरान *** एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री मैसर्स अंससेन को की गई थी। संबद्ध वस्तु की *** एमटी की बिक्री में से जांच की अवधि के दौरान मैसर्स अंससेन ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री की थी।

74. निर्याकर्ता कंपनी मैसर्स अंससेन के प्रत्युत्तर का सत्यापन करने के दौरान यह नोट किया गया कि भारत को इस संबद्ध वस्तु के किए गए निर्यात डीजी सिस्टम्स के उन रिकार्डों से मेल नहीं खाते हैं, जो सिस्टम्स एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय से प्राप्त किए गए हैं जो इस संबद्ध वस्तु की भारत को खेंपवार सूचना दर्शाते है। विशेष रूप से निर्यातक के प्रत्युत्तर से यह नोट किया गया कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना आयातक के आंकड़ों से मेल नहीं खाती है। यह भी नोट किया जाता है कि भारतीय आयातकों से प्राप्त सूचना और डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी को भारतीय आयातकों से प्राप्त भुगतान कंपनी द्वारा कई खेपों में अपने रिकार्डों में दर्शाए गए भुगतान से मेल नहीं खाता है। विशेष रूप से आयातक प्रश्नावली के अनुसार अलाय स्टील संयंत्र सेल द्वारा किए गए भुगतान तथा डीजी सिस्टम्स के अनुसार दिए गए आंकड़े, निर्यातक द्वारा कई संव्यवहारों में अपने दस्तावेजों में दर्शाए गए भुगतान से भिन्न है।

75. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निर्यातक द्वारा दो सैम्पल्ड उत्पादकों अर्थात मैसर्स फुशुन ओरियंटल और मैसर्स फांग्डा से प्राप्त संबद्ध वस्तु के कारण दावाकृत निर्यात कीमत को प्राधिकारी ने अस्वीकार कर दिया है और इस संबद्ध वस्तु के लिए मैसर्स असंसेन द्वारा किए गए निर्यातों के लिए किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है।

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स असंसेन मैटलर्जिकल ग्रुप कंपनी ने संबद्ध देश के दो अन्य गैर-नमूनाकृत उत्पादकों अर्थात मैसर्स लिन्यी काउंटी लुबेई कार्बन कंपनी लिमिटेड और मैसर्स शानडांग बासन कार्बन प्लांट द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का निर्यात भी किया है। इन उत्पादकों की निर्यात खेंपों और मैसर्स अंससेन द्वारा किए गए एसोसिएटेड निर्यात संव्यवहारों की जांच की गई क्योंकि उत्पादकगण नमूनाकृत नहीं थे। तथापि, दो नमूनाकृत उत्पादकों के संबंध में मैसर्स अंसेसन के संव्यवहारों के सत्यापन से यह व्यक्त हुआ है कि मैसर्स असंसेन द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और उन्हें खारिज कर दिया गया है इसलिए प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि इस निर्यातक द्वारा सभी निर्यात संव्यवहारों के लिए प्रस्तुत आंकड़ों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उत्पादक भरोसेमंद नहीं है और उसे खारिज कर दिया जान चाहिए। तदनुसार, इस निर्यातक तथा उससे जुड़े सभी उत्पादकों चाहे वे नमूनाकृत हो या न हों, के संबंध में कोई भी निर्धारण नहीं किया जा रहा है।

मैसर्स फुशुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) तथा मैसर्स जिन्नाइ कार्बन (एचके) कंपनी लिमिटेड (जिन्नाइ) (निर्यातक)।

77. मैसर्स फुशुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड ने भी इस संबद्ध वस्तु का आयात को निर्यात जिन्नाइ कार्बन (एचके) कंपनी लिमिटेड, जो हांगकांग की कंपनी विधि के अंतर्गत पंजीकृत एक प्राइवेट कंपनी है, के जरिए किया है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स फुशुन भारत को इस संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए बीजक मैसर्स जिन्नाइ कार्बन (एचके) के नाम तैयार करता है और मैसर्स जिन्नाइ कार्बन (हांगकांग) इस वस्तु का भारत को पोतलदान करता है। तथापि, भौतिक रूप से, यह संबद्ध वस्तु उत्पादक से सीधे भारत को आती है।

78. यह नोट किया जाता है कि जिन्नाइ कार्बन (हांगकांग) ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस संबद्ध वस्तु के नान-यूएचपी टाइप्स का ही निर्यात किया है। निर्यातकर्ता उत्पादन ने अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दस्तावेजों से यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद के लिए वैट का भुगतान किया गया परंतु रिफंड शून्य था ओर इस प्रकार रिफंडन किए गए वैट को फैक्टरी बाह्य सतर पर निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए निर्यात कीमत में से कम कर देने का प्रस्ताव है। मैसर्स जिन्नाइ कार्बन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में मैसर्स फुशुन ओरियटल कार्बन कंपनी लिमिटेड के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित है :

उत्पाद विवरण	**मात्रा (एमटी)**	**निवल बीजक मूल्य (यूएस डालर)**	**वैट यूएस डालर**	**कुल समायोजन (यूएसडी)**	**यूएस डालर में 17 प्रतिशत वैट समायोजन के पश्चात कुल**	**वैट समायोजन के पश्चात फैक्टरी बाह्य यूएस डालर**	**एनईपी यूएसडी/ एमटी**
नान-यूएचपी	****	****	****	****	****	****	****
नान-यूएचपी	****	****	****	****	****	****	****
कुल	****	****	****	****	****	****	****

5. मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन (सिनोस्टील जिलिन)

79. यह नोट किया जाता है कि सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन, शेन्झेन स्टाक एक्सचेंज में लिस्टेड एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। यह भी नोट किया जाता है कि सिनोस्टील जिलिन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ("जिलिन कार्बन") है जो जांच की अवधि के दौरान भारत को इस विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री करने में अंतर्ग्रस्त थी। मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन का संबंध सिनोस्टील झेजियांग कंपनी से भी है। यह कंपनी भी जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री करने में अंतर्ग्रस्त रही है। मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात के इन दोनों मार्गो की इस ग्रुप के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जांच की गई :

(क) मैसर्स सिनोस्टील जिलिन, मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए निर्यात

80. मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी (जिलिन) ने भारत को इस संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसको उसने नमूनाकृत सहयोगकर्ता उत्पादक मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी से प्राप्त किया है। मैसर्स जिलिन ने भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-2 में सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स सिनोस्टील जिलिन, उत्पादक ने *** एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री घरेलू बाजार में की है जिसमें से उन्होंने मैसर्स जिलिन को *** एमटी की बिक्री की और मैसर्स जिलिन ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है। इस निर्यात में यूएचपी (*** एमटी) और नान-यूएचपी (*** एमटी) शामिल है। फैक्टरी बाह्य निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए यथा सत्यापित समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, क्रेडिट लागत के कारण निर्यात कीमत का समायोजन किया गया है। दस्तावेजों से यह भी नोट किया जाता है कि इस जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद के लिए वैट रिफंड शून्य था और इसलिए इस रिफंड न किए गए वैट की निवल निर्यात कीमत में से कटौती कर दिए जाने का प्रस्ताव है। मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी चीन जन.गण. के जरिए भारत को किए गए निर्यातों के लिए मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नवत है :

	मात्रा का योग	निवल बीजक मूल्य का योग (यूएसडी)	17 प्रतिशत के पश्चात निवल निर्यात कीमत का योग यूएस डालर	निवल निर्यात कीमत यूएसडी/एमटी
नान-यूएचपी	****	****	****	****
यूएचपी	****	****	****	****
कुल योग	****	****	****	****

(ख) मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन द्वारा मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी (निर्यातक) और मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी (निर्यातक) के जरिए निर्यात।

81. मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने इस संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी और मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी (निर्यातक) के जरिए भी किया है और उसने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-2 में सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को केवल यूएचपी टाइप की संबद्ध वस्तु का ही निर्यात किया है। फैक्टरी बाह्य निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए यथा सत्यापित समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन तथा क्रेडिट लागत के कारण निर्यात कीमत का समायोजन किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि इस जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद के लिए वैट रिफंड शून्य था और इसलिए इस रिफंड न किए गए वैट की निवल निर्यात कीमत में से कटौती कर दिए जाने का प्रस्ताव है। मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी (निर्यातक) तथा मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी (निर्यातक) के माध्यम से भारत में किए गए निर्यातों के लिए मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित है :

उत्पाद विनिर्देशन	मात्रा एमटी	सकल बीजक मूल्य (यूएसडी)	निवल बीज मूल्य (यूएसडी)	कुल समायोजन यूएसडी	फैक्टरी बाह्य निवल बिक्री कीमत (यूएसडी)	वैट समायोजन सहित निवल निर्यात कीमत यूएसडी	एनईपी यूएसडी/ एमटी
यूएचपी 500 * 1800	****	****	****	****	****	****	****
कुल योग	****	****	****	****	****	****	****

82. चूंकि मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन, मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी और मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी सभी संबद्ध कंपनियां है इसलिए इस ग्रुप के लिए समग्र रूप एक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

च.3. चीन जन.गण. सेम्पल्ड उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

83. चीन में किसी निर्यातक से व्यक्तिगत सामान्य मल्य के लिए किसी दावे के अभाव में चीन के सभी निर्यातकों के लिए संरचित सामान्य मूल्य की तुलना निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु पिछले खंडों में निर्धारित फैक्टरी बाह्य निवल निर्यात कीमत से की गई है जो निम्नवत है :

क्र.सं.	निर्यातक	उत्पाद प्रकार	मात्रा एमटी	निवल मूल्य यूएस डालर/ एमटी	निर्यात कीमत यूएस डालर/ एमटी	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ एमटी	भारित औसत पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
1	कार्बन कंपनी लिमिटेड (कैफेंग ग्रुप)							
1.क	मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड उत्पादक निर्यातक के रूप में	यूएचपी	****	****	****	****		20-30%
1.ख	मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. कैफेंग के माध्यम से निर्यात	नॉन-यूएचपी	****	****	****	****		55-6%
	मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड (कैफेंग ग्रुप)	कुल/ भारित औसत	****	****	****	****	****	25-35%
2	मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी	यूएचपी	****	****	****	****		85-95%
		नॉन-यूएचपी	****	****	****	****		35-45%
		कुल/ भारित औसत	****	****	****	****	****	45-55%
3	मैसर्स फुशुन ओरियंटल मैसर्स जिन्नाइ कार्बन के जरिए	नान-यूएचपी	****	****	****	****	****	75-85%
4	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी (सिनोस्टील ग्रुप)							
4.क	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी जिलिन कार्बन के जरिए	यूएचपी	****	****	****	****		65-75%
		नॉन-यूएचपी	****	****	****	****		50-60%
		कुल/ भारित औसत	****	****	****		****	50-60%

क्र.सं.	निर्यातक	उत्पाद प्रकार	मात्रा एमटी	निवल मूल्य यूएस डालर/ एमटी	निर्यात कीमत यूएस डालर/ एमटी	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ एमटी	भारित औसत पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
4.ख	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन, मैसर्स जिलिन कार्बन और मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी के जरिए	यूएचपी	****	****	****	****	****	35-45%
	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी ग्रुप	कुल/ भारित औसत	****	****	****		****	50-60%

च.4. गैर-नमूनाकृत निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

84. चीन जन.गण. के गैर-नमूनाकृत निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप किया गया है और नमूनाकृत निर्यातकों के संबंध में सुस्थापित भारित औसत पाटन मार्जिन निम्नलिखित है :

गैर नमूनाकृत निर्यातकों के लिए भारित औसत का परिकलन	उत्पाद प्रकार	मात्रा एमटी में	निवल मूल्य यूएस डालर/एमटी में	निर्यात कीमत यूएस डालर/ एमटी में	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ एमटी में	पाटन मार्जिन%
	यूएचपी	****	****	****	****	20-30%
	नान-यूएचपी	****	****	****	****	45-55%
कुल/भारित औसत		****	****	****	****	30-40%

85. चीन के अन्य गैर-प्रतिभागिताकारी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोगकर्ता निर्यातकों के **** यूएस डालर प्रति एमटी के रूप में (80.13 प्रतिशत) संव्यवहारों पर विचार करते हुए किया गया है।

86. संबद्ध वस्तु के लिए इस तरह निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण

87. यह निर्धारित करके कि संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर भारी मात्रा में आगमन हो रहा है, इसलिए प्राधिकारी इन पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर क्षतिकारी प्रभाव की जांच की कार्रवाई करते है। घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में दिए गए तर्कों का प्रस्तुतिकरण कर दिया है संक्षेप में निम्नलिखित है।

छ.1. घरेलू उद्योग के विचार

88. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में किए गए अपने विभिन्न प्रस्तुतिकरणों में निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

(i) यह कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में विगत वर्षों में वृद्धि और खासकर जांच की अवधि में भारी वृद्धि हुई है और इन आयातों में भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

(ii) यह कि मांग में संबद्ध देश के बाजार हिस्सा बहुत अधिक बना रहा। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। ऐसा संबद्ध देश से भारी आयातों के कारण हुआ है।

(iii) यह कि विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कीमत में कमी से भारतीय उत्पादक अपनी कीमतों को विदेशी कीमतों के अनुरूप बनाने के लिए मजबूर हो गए नहीं तो उनको अपने आर्डर खो देने का जोखिम था।

(iv) यह कि घरेलू उद्योग की कीमत उस कीमत के प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है जिसकी व्यापारियों द्वारा पेशकश की जा रही थी। घरेलू उद्योग को प्रपाती ढंग से और यदा-कदा अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया गया।

(v) यह कि आयातित वस्तु घरेलू उद्योग की यूएचपी और नान-यूएचपी दोनों ग्रेडों की कीमतों का अधोरदन कर रही है। इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कीमत अधोरदन समग्र रूप से बहुत अधिक है।

(vi) यह कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उच्चतर क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम था। तथापि, वर्ष 2010-11 और 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई है।

(vii) यह कि घरेलू उद्योग की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान तथा उसके तत्कालीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है।

(viii) यह कि लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी हद तक प्रपाती गिरावट आई है।

(ix) यह कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट संबद्ध देश से आयात मात्रा में भारी वृद्धि के कारण आई है।

(x) यह कि याचिका में उनके द्वारा गैर-क्षतिकारी कीमत की संगणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III तथा डीजीएडी की सुस्थापित परम्परा के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि ग्रेडवार तथा संयंत्रवार गैर-क्षतिकारी कीमत का परिकलन किया गया है और क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण करते वक्त उनको ध्यान में रखा गया है।

(xi) यह कि नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिलाभ का उनका दावा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत प्रक्रिया के अनुरूप है।

(xii) यह कि इस उद्योग द्वारा अपनी क्षमता में मामूली सी वृद्धि इस संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है।

(xiii) यह कि क्षमता संवर्धन के संवर्धन में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया तर्क निराधार है क्योंकि इससे यह सुझाव मिलता है कि घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता में विस्तार बाजार मांग होने पर भी नहीं करना चाहिए था। इस संबद्ध वस्तु की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 37 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की यथास्थिति की जांच करना अपेक्षित है।

छ.2. आयातकों/उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

89. घरेलू उद्योग के अलावा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) यह कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011-12 में भारी निवेश करके अपनी क्षमता में वृद्धि की है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पर इन कथित पाटित आयातों का कोई प्रतिलोभित प्रभाव नहीं पड़ा है। घरेलू उद्योग की लागत में नियत लागत में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई है जो प्राथमिकत: संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में इसकी क्षमता के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के मूल्यह्रास और वित्त लागत में बढ़ोतरी हुई।

(ii) यह कि आधार वर्ष 2009-10 की तुलना में मांग में जांच की अवधि के दौरान 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जांच की अवधि में घरेलू बिक्रियों में केवल 21 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु की बिक्री पर कोई विपरीत मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ा। घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार के अनुरूप निर्यात मात्रा में गिरावट का घरेलू उद्योग की लागत एवं कीमत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(iii) यह कि घरेलू उद्योग की भारतीय मांग में बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान मामूली सी गिरावट मांग में कमी होने के कारण आई थी।

(iv) यह कि क्षति अवधि के दौरान कीमत अधोरदन में भारी गिरावट आई। तथापि, इन तथ्यात्मक परिस्थितियों के विपरीत, याचिकाकर्ता ने अपने लाभ में भारी कमी का दावा किया है। अत: वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध का पूर्ण अभाव है।

(v) यह कि वर्ष 2011-12 के दौरान उतराई मूल्य बिक्री कीमत की तुलना में बहुत कम था, फिर भी घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी कीमत में वृद्धि की है। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि घरेलू कीमतें उतराई कीमत से प्रभावित नहीं हुई।

(vi) यह कि विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति यूनिट लागत में वृद्धि हुई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को लागत में इस भारी वृद्धि के कारणों की जांच करनी चाहिए।

(vii) संबद्ध वस्तु की मालसूची में वृद्धि बिक्री मात्रा में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई है।

(viii) यह कि याचिकाकर्ता के पारिश्रमिक में जांच की अवधि के दौरान 36 बिन्दुओं तक वृद्धि हुई जिसका उत्पादन लागत और लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है।

(ix) यह कि घरेलू उद्योग द्वारा गैर-क्षतिकारी कीमत का परिकलन करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए याचिका से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग ने गैर-क्षतिकारी कीमत का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में किए गए प्रावधान के अनुसार किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण प्रत्येक संयंत्र और प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग-अलग किया जाना चाहिए था।

(x) घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान निर्यात बाजारों के प्रयोजनार्थ अपनी क्षमताओं में विस्तार किया था। इसलिए प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस संवर्धित क्षमता के संबंध में गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए नियोजित पूंजी का परिकलन करते समय आस्तियों के सकल ब्लॉक और निवल ब्लॉक से किए गए निवेश का अपवर्जन कर दे।

(xi) यह कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धति का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण प्रत्येक संयंत्र और प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग-अलग किया जाना चाहिए।

(xii) यह कि घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर क्षति अवधि में सर्वोच्च स्तर का प्रतिलाभ 8.35 प्रतिशत का वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। तद्नुसार, घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत प्रतिलाभ के रूप में 22 प्रतिशत का प्रतिलाभ देने की अनुमति देने का कोई तर्क नहीं है।

(xiii) यह कि प्राधिकारी को ब्याज, मूल्यह्रास, वेतन एवं पारिश्रमिक तथा कार्यशील पूंजी की तर्कसंगतता पर विचार करना चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावे के संबंध में अपने तर्कों को दोहराया है और पिछले पैराग्राफों में किए गए विस्तृत विवरण के अनुरूप अपने प्रकट विवरण में यथा प्रदर्शित मुद्दों की जांच के कतिपय पहलुओं के संबद्ध में टिप्पणियां की हैं। इस मामले की जांच की गई है और उसका अधोलिखित ढंग के साथ-साथ इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर समाधान कर दिया गया है।

91. गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप अनुरक्षित घरेलू उद्योग के लागत रिकार्डों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और उसकी बिक्री करने तथा उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिलाभ की अनुमति प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत परम्परा के अनुरूप दी गई है।

92. ग्रेफाइट उद्योग के कार्य निष्पादन का संबंध वैश्विक इस्पात उद्योग के साथ जोड़ने तथा क्षमता विस्तार करने के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उद्योग की क्षमता में विस्तार भावी प्रत्याशा और इस उत्पाद की मांग तथा उपयोक्ता उद्योग की प्रत्याशाओं को देखते हुए किया गया है। इस संबद्ध वस्तु की देश

में मांग जांच की अवधि के दौरान 37 प्रतिशत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का पूरे वर्ष भर अच्छा निर्यात निष्पादन रहा है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारी मांग है। इसलिए, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के कम निष्पादन के लिए इस अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की निर्यातोन्मुखता तथा अपने निर्यातोन्मुख निर्यातों तथा अपने घरेलू प्रचालनों में लाभप्रदता का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी है और अपने निर्यात संव्यवहारों में बेहतर लाभ मार्जिन अर्जित कर रहा है इससे स्पष्टत: यह तथ्य सिद्ध होता है कि घरेलू बिक्रियां उन कारकों से प्रभावित हुई हैं जिनका घरेलू उद्योग की आंतरिक स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है। प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी छानबीन में क्षति जांच घरेलू प्रचालनों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में की जाती है क्योंकि पाटित आयात की घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते है। इसलिए संबद्ध देश से पाटित आयातों का घरेलू उद्योग के निष्पादनों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण केवल घरेलू बाजार से संबंधित सूचना को ध्यान में रखकर किया गया है।

94. जहां तक लागत के विभिन्न संघटकों जैसे ब्याज लागत और मूल्यह्रास की तर्कसंगतता और क्षति निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति एवं लागत पैरामीटरों को निर्धारण प्राधिकारी की संगत परम्परा के अनुरूप घरेलू उद्योग के आंकड़ों का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात किया गया है और इन तत्वों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में विधिवत विचार किया गया है।

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने कीमत एवं मात्रा में उतार-चढ़ाव तथा पाटित आयातों का कीमत एवं मात्रा प्रभाव और क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों द्वारा कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोबिक्रयण के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए हैं जो तथ्यात्मक प्रकृति के हैं और तद्नुसार उनका इस जांच परिणाम के संगत खंडों में विश्लेषण किया गया है।

96. "अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में वे सभी कारक अंतर्ग्रस्त किए जाएंगे जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु पर उन कीमतों के प्रभाव और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह आवश्यक समझा जाता है कि यह जांच की जाए कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है अथवा इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण होगा या यह कीमतों में वृद्धि होने से वंचित कर रही है जो अन्यथा भारी मात्रा घटित हुआ होता"।

97. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की उद्देश्यापरक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के समग्र रूप में या संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को भारी मात्रा में निग्रह करना है अथवा कीमतों वृद्धि होने से रोकना है, जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

98. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :

> *"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन करना शामिल होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है इनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव शामिल है।"*

99. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उन सभी देशनांकों पर विचार किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) के अनुसार उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री प्रमात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण पाटन मार्जिन एवं उसकी मात्रा आदि शामिली है। घरेलू उद्योग ने कुछ क्षति पैरामीटरों के संबंध में, प्रकटन विवरण में किए गए उल्लेख के अनुसार, आंकड़ों की संगणना करने में लिपिकीय त्रुटि की ओर भी इशारा किया है। इस जांच परिणाम में उन आंकड़ों में संगत पाई गई सीमा तक सुधार कर दिया गया है।

छ.3.1 मांग एवं बाजार हिस्सा

100. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का आकलन करने के प्रयोजनार्थ सभी घरेलू उत्पादों की बिक्री मात्रा को, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत परम्परा के अनुरूप भारत को सभी स्रोतों से होने वाले कुल आयातों में जोड़ा गया है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग एवं समर्थनकर्ता की बिक्री	एमटी	25831	27513	32716	31288
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	107	127	121
अन्य उत्पादों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
उद्योग की बिक्री समग्र रूप से	एमटी	25831	27513	32716	31288
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	107	127	121
संबद्ध देश (चीन) – आयात	एमटी	4903	7735	13135	13600
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	158	268	277
अन्य देश – आयात	एमटी	6561	10466	13508	6240
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	160	206	95
कुल मांग/खपत	एमटी	37296	45714	59358	51128
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	123	159	137

101. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, विगत वर्ष की तुलना में उसमें मामूली सी गिरावट आई है। हालांकि आधार वर्ष में घरेलू मांग में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं संबद्ध देश से आयातों में 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य देशों से आयात में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में केवल 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि घरेलू मांग में हुई वृद्धि के एक बड़े भाग पर संबद्ध देश से होने वाले आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क) आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

102. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में भारत में उत्पादन या खपत के समग्र रूप से या संगत रूप से वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
संबद्ध देश (चीन जन.गण.)	एमटी	4903	7735	13135	13600
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	158	268	277
अन्य देश	एमटी	6561	10466	13508	6240
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	160	206	95
कुल आयात मात्रा	एमटी	11465	18201	26642	19840
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	159	232	173
आयातों में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश (चीन)	%	43%	42%	49%	68%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	99	115	160
अन्य देश	%	57%	58%	51%	31%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	100	88	55
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश (चीन)	%	13%	17%	22%	27%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	129	168	202
अन्य देश	%	18%	23%	23%	12%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	130	129	69
घरेलू उद्योग एवं समर्थक	%	69%	60%	55%	61%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	87	80	88
अन्य भारतीय उत्पादन	%	0%	0%	0%	0%
घरेलू उद्योग समग्र रूप से	%	69%	60%	55%	61%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	87	80	88
कुल आयात	%	31%	40%	45%	39%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	130	146	126

103. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में वृद्धि हुई। आयात जो आधार वर्ष में 4903 एमटी थे जांच की अवधि के दौरान बढ़कर 13600 एमटी हो गए जो लगभग 177 प्रतिशत की वृद्धि है। बढ़ने की यह प्रवृत्ति संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान देखी जा सकती है। इस जांच की अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात में आधार वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है।

104. समग्र आयातों संबंध में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में भी भारी वृद्धि हुई है, जो आधार वर्ष में 43 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 69 प्रतिशत हो गई। इसी तरह कुल मांग में संबद्ध देश का बाजार हिस्सा भी जो 13 प्रतिशत था उसी अवधि के दौरान दो गुना से अधिक बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया। तथापि, अन्य देशों के आयातों का बाजार हिस्सा जो आधार वर्ष में 57 प्रतिशत था, घटकर जांच की अवधि के दौरान केवल 31 प्रतिशत रह गया। मांग में अन्य देशों का बाजार हिस्सा जो आधार वर्ष में 18 प्रतिशत था, जांच की अवधि के दौरान घटकर केवल 12 प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में देश में मांग तथा समग्र आयातों के संबंध में तथा निरूपाधि रूप से बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

छ.3.4 आयातों का कीमत प्रभाव

105. पाटित आयातों का कीमत पर प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों के प्रभाव से भारी मात्रा में कीमत निग्रहण होगा अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोका जाएगा, जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती। पाटत आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत, निग्रहण और कीमत अवमंदन के संबंध में की गई है।

क) कीमत अधोरदन

106. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में अधोरदन कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की उतराई कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण से की गई।

कीमत अधोरदन (ग्रेफाइट इलेक्ट्राड समग्र रूप से)					
संबद्ध देश (चीन)	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
संबद्ध देश (चीन)	रुपए/एमटी	143639	136905	150437	177674
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	105	124
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	81	82	90
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	55	40	26
कीमत अधोरदन (%)	%	****%	****%	****%	****%
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	58	38	21
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	50-60	25-35	35-45	5-15
कीमत अधोरदन (यूएचपी)					
संबद्ध देश (चीन)	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	194864	197965	174716	221376
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	102	90	114
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	78	74	79
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	34	49	13
कीमत अधोरदन (%)	%	****%	****%	****%	****%
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	33	50	13
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	50-60	20-25	25-35	7-15

कीमत अधोरदन (नॉन-यूएचपी)					
संबद्ध देश (चीन) (गैर- यूएचपी)	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	POI
आयातों की उतराई कीमतम	रुपए/एमटी	114065	115011	130785	149415
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	115	131
निवल बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	90	90	96
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	67	41	26
कीमत अधोरदन (%)	%	****%	****%	****%	****%
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	66	36	20
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	45-55	30-40	15-25	5-15

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उतराई मूल्य में, वर्ष 2010-11 में मामूली सी गिरावट आने के पश्चात, जांच की अवधि में वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में सुधार नहीं हुआ और यह अभी भी आधार वर्ष के कीमत स्तर से काफी कम बनी रही। इसके साथ ही साथ उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम थी जो संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों द्वारा कारित किए जा रहे भारी कीमत अधोरदन को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्षों के दौरान कीमत अधोरदन के स्तर में गिरावट रही है परंतु यह क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत में भारी कटौती करने के लिए मुख्यत: उत्तरदायी है। जांच की अवधि के दौरान कीमत अधोरदन अभी भी बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उनकी बिक्री कीमत में इस तथ्य के कारण अनिवार्यत: भारी गिरावट आई कि उन्हें पाटित आयातों की संवर्धित मात्रा के कारण अपनी कीमतों को उतराई मूल्य के बराबर करना पड़ा। इस बिक्री कीमत में गिरावट के कारण ही उन्हें क्षति हुई है।

ख) कीमत अधोविक्रयण

108. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही कीमत अधोविक्रयण की जांच भी की है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत प्रक्रिया के अनुरूप, संबद्ध वस्तु की यथानिर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश के पाटित आयातों के उतराई मूल्य से की गई, जो निम्नलिखित है :

कीमत अधोविक्रयण (चीन जन.गण.)	**यूनिट**	**चीन**
यूएचपी		
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	*****
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	221376
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	*****
कीमत अधोविक्रयण %	%	*****%
कीमत अधोविक्रयण %	रेंज %	20-30
नॉन-यूएचपी		
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	*****
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	149415

कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	*****
कीमत अधोविक्रयण %	%	*****%
कीमत अधोविक्रयण %	रेंज %	10-20
विचाराधीन उत्पाद समग्र रूप से		
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	*****
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	177674
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	*****
कीमत अधोविक्रयण %	%	*****%
कीमत अधोविक्रयण %	रेंज %	15-25

109. उपर्युक्त आंकड़ों से यह इंगित होता है कि उत्पाद प्रकार स्तर तथा उत्पाद स्तर पर संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य गैर-क्षतिकारी कीमत से कम रहा और इसलिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी कीमत अधोविक्रयण सहन करना पड़ा है।

ग) कीमत निग्रहण एवं अवमंदन

110. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का निग्रहण अथवा अवमंदन कर रहे हैं और क्या इन आयातों के प्रभाव स्वरूप भारी मात्रा में कीमत निग्रहण हुआ है या यह कीतों में वृद्धि होने को रोक रहे हैं, जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत एवं कीमत में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ यूएचपी और नॉन यूएचपी ग्रेडों की औसत कीमत पर विचार किया है।

	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
(विचाराधीन उत्पाद समग्र रूप से)					
आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	****	****	****	****
इन्डेक्स	*अनुक्रमित*	100	95	105	124
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	100	122	139
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	81	82	90
(यूएचपी)					
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	194864	197965	174716	221376
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	102	90	114
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	102	114	129
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	78	74	79
(नॉन-यूएचपी)	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	114065	115011	130785	149415
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	115	131
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****

प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	130	141
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	90	90	96

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री कीमत में इस विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से तथा उसके साथ-साथ यूएचपी तथा नान-यूएचपी के लिए क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि यूएचपी और नॉन-यूएचपी के लिए समग्र रूप से इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। अत:, घरेलू उद्योग को कीमतों में कमी का सामना करना पड़ रहा है।

112. यद्यपि विचाराधीन उत्पाद यूएचपी और नान-यूएचपी की बिक्री लागत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 39 प्रतिशत, 29 प्रतिशत और 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद यूएचपी और नान-यूएचपी की बिक्री कीमत में 10 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह स्थिति क्षति अवधि के दौरान उनकी घटती हुई लाभप्रदता में प्रदर्शित हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि उतराई मूल्य में जांच की अवधि में, विगत वर्ष और आधार वर्ष में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। परंतु यह वृद्धि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण किया है।

छ.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर्स

113. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति निर्धारण में, इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में पुन: प्रावधान किया जाता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों का पक्षपात रहित एवं उद्देश्यपरक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, पारिश्रमिक, विकास, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।

114. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों पर चर्चा अधोलिखित रूप में की गई है :

विवरण	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
क्षमता (पीयूसी)	एमटी	122900	122900	136900	141900
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	100	111	115
उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	73608	97572	110297	108817
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	133	150	148
संयंत्र क्षमता उपयोग	%	60%	79%	81%	77%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	133	135	128
बिक्री मात्रा					
घरेलू	एमटी	25831	27513	32716	31288
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	107	127	121
निर्यात	एमटी	51867	64833	78405	74844
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	125	151	144
कुल बिक्री	एमटी	77699	92346	111121	106131
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	119	143	137

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011-12 में अपनी क्षमता में लगभग 11 प्रतिशत का विस्तार किया था जो घरेलू मांग में हो रही निरंतर वृद्धि के अनुरूप था और यह वृद्धि आधार वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत के आसपास थी। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा उसकी बिक्री में भी, घरेलू मांग में हुई वृद्धि के कारण भारी वृद्धि हुई थी। परंतु जैसाकि पहले नोट किया गया है घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में आयात कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतें कम करता जा रहा था। क्षमता उपयोग में भी वर्ष 2011-12 तक सुधार हुआ और यह क्षमता में संवृद्धि होने के बाबजूद 80 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया, परंतु यह क्षमता वृद्धि क्षति का कारण नहीं है। तथापि, इन सभी पैरामीटरों में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सी कमी आई है जबकि आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

116. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग के निर्यातों में, जो उनके उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है, और बिक्री में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात जांच की अवधि में इसमें मामूली सी गिरावट आई है।

i. बाजार हिस्सा

117. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

मांग में बाजार हिस्सा	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग एवं समर्थकों की बिक्री	%	69%	60%	55%	61%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	87	80	88
अन्य उत्पादों की बिक्री	%	0%	0%	0%	0%
संबद्ध देश से आयात	%	13%	17%	22%	27%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	129	168	202
अन्य देशों से आयात	%	18%	23%	23%	12%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	130	129	69
कुल आयात	%	31%	40%	45%	39%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	130	146	126

118. जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयात, जो आधार वर्ष में 4903 एमटी थे, जांच की अवधि के दौरान बढ़कर 13600 एमटी हो गए, यह लगभग 177 प्रतिशत की वृद्धि है। तथापि, मांग में भारी वृद्धि होने तथा घरेलू उद्योग द्वारा अपनी बिक्री कीमत में पर्याप्त कमी कर दिए जाने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कीमत एवं मात्रा प्रभाव के कारण अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में सफल नहीं हो सका।

ii. लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

119. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का निम्नवत विश्लेषण किया गया है :

विवरण	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	100	122	139
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	81	82	90
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	****	****	****	****

प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	48	10	2
लाभ/हानि	लाख रुपए	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	52	13	2
कर एवं ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपए	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	45	64	71
नकद लाभ	लाख रुपए	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	64	35	31
निवेश पर प्रतिलाभ	%	****%	****%	****%	****%
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	38	45	48

120. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2010-11 को छोड़कर क्षति अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई है परंतु इस अवधि के दौरान पाटित आयातों में वृद्धि होने के कारण आधार वर्ष की तुलना में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संवेदनशील इनपुटों की लागत में वृद्धि होने के कारण बिक्री कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उत्पाद इस तथ्य के बावजूद कि उसकी बिक्री लागत में वृद्धि हो रही थी, फिर भी घरेलू बाजार में अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए अपनी कीमतों को आयात कीमतों के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पाद के लाभ में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है। लाभ में इस गिरावट के परिणामस्वरूप आधार वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ तथा नकद लाभ में भी भारी गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उत्पाद के प्रति यूनिट लाभ में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 98 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और निवेश पर प्रतिलाभ में समनुरूपी गिरावट यह दर्शाती है कि घरेलू उत्पाद को भारी क्षति हुई है।

iii. मालसूची

121. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
अन्य भंडार	एमटी	****	****	****	****
इति भंडार	एमटी	****	****	****	****
औसत स्टॉक	एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	99	117	114

122. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान औसत स्टॉक में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है तथापि, विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें मामूली सी गिरावट आई है परंतु यह आधार वर्ष की तुलना में उच्च बना रहा इससे यह संकेत मिलता है कि पाटित आयातों की संवर्धित मौजूदगी के कारण मालसूची में वृद्धि हुई है, यद्यपि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियां भी अच्छी रही हैं।

iv. रोजगार एवं पारिश्रमिक

123. रोजगार एवं पारिश्रमिक के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	101	109	107
पारिश्रमिक	लाख रुपए	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	120	123	138

124. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है क्योंकि इस दौरान उद्योग ने अपनी क्षमता में विस्तार कर लिया था। जांच की अवधि के दौरान रोजगार में विगत वर्ष की तुलना में बिक्री में मामूली सी गिरावट आने के कारण स्पष्ट रूप से कमी आई थी। पारिश्रमिक में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान पारिश्रमिक में यह वृद्धि सभी सेक्टरों में पारिश्रमिक में हुई वृद्धि के सामान्यत: अनुरूप ही थी और यह घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण नहीं है।

v. उत्पादकता

125. घरेलू उद्योग के उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

विवरण	**यूनिट**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	133	150	148
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	132	137	139

126. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादन तथा प्रतिदिन उत्पादन के रूप में वृद्धि हुई है। इसलिए, उत्पादकता क्षति का एक कारक नहीं हो सकती है।

vi. पाटन की मात्रा

127. उस सीमा के संकेतक के रूप में जिस तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

vii. पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

128. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता भारी निवेश करके वृद्धि की है क्योंकि उस समय इस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि की संभावना थी। तथापि, पाटित आयातों के कारण अभिनव वर्षों में प्राप्त निवेश पर मामूली से प्रतिलाभ को देखते हुए इस सेक्टर में भावी निवेश अवरुद्ध हो गया। लाभप्रदता में गिरावट, घटता नकदी प्रवाह तथा कम होता हुआ प्रतिलाभ यह संकेत देता है कि इस सेक्टर के लिए पूंजी निवेश उगाहने की घरेलू उद्योग की क्षमता में पाटित आयातों के कारण अवरोध हुआ है।

viii. वृद्धि

129. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री के रूप में घरेलू उद्योग की सकारात्मक वृद्धि हो रही थी। तथापि, इससे वर्ष 2011-12 की तुलना में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान, मांग में भारी वृद्धि होने के बाबजूद, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग ने मांग अच्छी होने के कारण लाभ, सुलभ नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की थी। तथापि, घरेलू उद्योग उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ क्योंकि संबद्ध देश से पाटित आयात भारी मात्रा में मौजूद थे।

छ. 5 घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातित माल का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है, जिससे यह भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोविक्रयण कारित कर रहा है। उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपनी कीमतों को कम कर रहा है जिससे कि वह बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा या समनुरूपता कर सके और अपना बाजार हिस्सा बनाए रख सके क्योंकि संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि हो रही थी। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और उसकी कीमत, बढ़ती इनुपट लागत के कारण घरेलू उद्योग के लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा आदि घरेलू कीमतों को

प्रभावित कर रहे हैं। आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन देशों द्वारा पेशकश की जा रही कीमत बहुत अधिक है। इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हो रही है और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे कीमत अवमंदन के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत घरेलू उद्योग के कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन के लिए उत्तरदायी है।

ज. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

131. नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह अधिदेश है कि प्राधिकारी पाटित आयातों तथा इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों की जांच करे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में विस्तार, क्षमता संवर्धन तथा अन्य कारकों को घरेलू उद्योग को कारित की जाने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों का मात्रा एवं कीमत प्रभाव, कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण तथा कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन, भारतीय नियामवली तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य संकेतक पैरामीटरों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच यह देखने के लिए की गई कि क्या पाटित आयातों के अलावा कुछ ऐसे अन्य कारक भी हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने में अपना योगदान देंगे।

(क) तीसरी दुनियां के देशों से आयातों की कीमत एवं मात्रा

132. संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के आयात उच्चतर कीमतों पर हुए हैं। यह स्पष्ट है कि अन्य देशों से आयात कीमत संबद्ध देश से आयात कीमत की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट की प्रवत्ति प्रदर्शित हुई है जबकि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

(ख) मांग में संकुचन तथा खपत की प्रणाली में परिवर्तन

133. पूर्ववर्ती खंड में जांचे गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के लिए मांग में सकारात्मक वृद्धि दर्ज है। इसलिए मांग में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है, जैसाकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है। संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं अर्थात गौण इस्पात विनिर्माताओं के बीच खपत की प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आया है जिससे घरेलू उत्पादन और उसकी बिक्री पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ने का कोई संकेत हो।

(ग) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

134. ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का उत्पादन करने या गौण इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई भारी परिवर्तन नहीं आया है जिसके कारण इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन तथा खपत पर कोई प्रभाव पड़ा हो। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स के उत्पादन या उसकी खपत पर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण कोई प्रभाव पड़ा हो। इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है।

(घ) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन तथा उसकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात की जा सकती है और उसका देश के अंदर व्यापार किया जा सकता है। घरेलू बाजार में विभिन्न घरेलू उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी है। इसलिए, ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो क्योंकि कच्चा माल तथा संबद्ध वस्तु का देश में मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। तथापि, उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के विदेशी उत्पादक बाजार हिस्से में अनुचित पाठन करने का आश्रय ले रहे हैं।

(ड.) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

136. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का निर्यात कुल बिक्रियों में एक बड़ा हिस्सा बनता है और घरेलू उद्योग की निर्यात गहनता या निर्यातोन्मुखता के कारण इसके घरेलू कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा। घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियां निम्नलिखित हैं :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
निर्यात	एमटी	51867	64833	78405	74844
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	125	151	144

137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियां जांच की अवधि जहां मामूली सी गिरावट देखी जा सकती है को छोड़कर, स्वस्थ वृद्धि प्रदर्शित कर रही है। निर्यात की भारी मात्रा यह संकेत भी करती है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी रही होगी क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए निर्यात अधिक लाभप्रद रहे हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग की निर्यातोन्मुखता को सहन की गई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हर हाल में, घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों और क्षति के संबंध में संपूर्ण क्षति विश्लेषण किया गया है और इसे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का एक कारक नहीं माना गया है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

138. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन प्रति कर्मचारी तथा प्रतिदिन उत्पादन के रूप में संपूर्ण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है।

(झ) क्षति एवं कारणात्मक संबंधों पर निष्कर्ष

139. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में, विगत वर्ष के दौरान भारी वृद्धि के पश्चात जांच की अवधि में इससे गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में क्षति अवधि के दौरान संवेदनशील इनपुटों की लागत में वृद्धि होने के कारण, सतत वृद्धि हुई है, वहीं बिक्री कीमत में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण होने वाले कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण के कारण भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर प्रतिलाभ और लाभप्रदता में गिरावट आई है। इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव के कारण कारित की गई है।

(ञ) पाटन मार्जिन की मात्रा

140. यह निर्धारित करके कि संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आ रही है और पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है, और प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, शुल्क की प्रमात्रा का निर्धारण करने के लिए क्षति मार्जिन यदि कोई, की गणना की गई है, जो पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को दूर करने के लिए पर्याप्त हो, यह निम्नलिखित है :

ञ.1. नमूनाकृत निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

141. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग से संबंधित जांच की अवधि (01 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012) के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, जहां कहीं अनुप्रयोज्य हुआ, कंपनियों द्वारा अनुरक्षित वित्तीय एवं लागत रिकार्डों का विस्तृत विश्लेषण। जांच और उनका संराधन किया गया।

तदनुसार ग्रेफाइड इलेक्ट्राड्स (यूएचपी) तथा (नान-यूएचपी) की गैर-क्षतिकारी कीमत क्रमश: ****/-रुपए/एमटी और रुपए *****/ एमटी निर्धारित की गई है।

142. घरेलू उद्योग के व्यक्तिगत उत्पाद प्रकारों के लिए इस तरह निर्धारित की गई गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान व्यक्तिगत सैम्पल्ड निर्यातकों की भारित औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश के सैम्पल्ड निर्यातकों के उसके समान निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई जो निम्नवत है :

क्र.सं.	निर्यातक	उत्पाद प्रकार	मात्रा	सीआईएफ यूएस डालर/ एमटी	उतराई मूल्य यूएस डालर/ एमटी	एनआईपी यूएस डालर/ एमटी	आईएम यूएस डालर/ एमटी	भारित औसत/ क्षति मार्जिन यूएस डालर/ एमटी	क्षति मार्जिन %
1	**मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड (कैफेंग ग्रुप)**								
1 (क)	मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड	यूएचपी	****	****	****	****	****		0-10
1 (ख)	मैसर्स पिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. कैफेंग के जरिए	नॉन-यूएचपी	****	****	****	****	****		20-30
	मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड (कैफेंग ग्रुप)	कुल/भारित औसत	****	****	****	****	****	****	0-10
2	मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	यूएचपी	****	****	****	****	****		55-65
		नॉन-यूएचपी	****	****	****	****	****		5-15
		कुल/भारित औसत	****	****	****	****	****	****	15-25
3	मैसर्स फुशुन ओरियंटल मैसर्स जिन्नाइ कार्बन के जरिए	नॉन-यूएचपी	****	****	****	****	****		20-30
4	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी (सिलोस्टील ग्रुप)								
4.क	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी जिलिन कार्बन के जरिए	यूएचपी	****	****	****	****	****		30-40
		नॉन-यूएचपी	****	****	****	****	****		15-25
		कुल	****	****	****	****	****	****	15-25
4.b	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन, मैसर्स जिलिन कार्बन और मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग के जरिए	यूएचपी	****	****	****	****	****		15-25
	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी (सिनोस्टील ग्रुप)	कुल/भारित औसत	****	****	****	****	****	****	15-25

ञ. गैर-नमूनाकृत निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

143. गैर-नमूनाकृत निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण नमूनाकृत निर्यातकों के भारित औसत क्षति मार्जिन के रूप में किया गया है जो निम्नलिखित है :

गैर-नमूनाकृत निर्यातकों के लिए भारित औसत का परिकलन	उत्पाद प्रकार	मात्रा	सीआईएफ यूएस डालर/ एमटी	उतराई मूल्य यूएस डालर/ एमटी	गैर-क्षतिकारी कीमत यूएस डालर/ एमटी	क्षति मार्जिन यूएस डालर/ एमटी	भारित औसत क्षति मार्जिन यूएस डालर/ एमटी	क्षति मार्जिन %
	यूएचपी	****	****	****	****	****		0-10

	नान-यूएचपी	****	****	****	****	****		10-20
	कुल	****	****	****	****	****	****	5-15

144. चीन के अन्य गैर-प्रतिभागितावादी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर **** अमरीकी डालर प्रति एमटी (35-45% प्रतिशत) किया गया है।

ट. निष्कर्ष

145. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा किए गए प्रस्तुतिकरणों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी इस जांच परिणाम में निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(i) संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में संबद्ध देश से प्रवेश निर्यातकर्ता देश की घरेलू बाजार में अपने सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर हुआ है;

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और

(iii) घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देश में उद्भावित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत दोनों के प्रभाव से कारित की गई है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

146. ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स का प्रयोग इलेक्ट्रिक आर्क फरनेसेस में सैकेंडी इस्पात विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। उपयोगकर्ता उद्योग, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और आईएसटीएम लिमिटेड द्वारा किया गया, ने उपयोगकर्ताओं तथा अन्य ऐसे ही हितबद्ध पक्षकारों के हितों का मुद्दा उठाया। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेफाइड इलेक्ट्राड्स औद्योगिक वस्तु हैं जिनका प्रयोग सैकेंडरी इस्पात विनिर्माण में किया जाता है और यह अनुप्रवाही उत्पादों की लागत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि सामान्यत: पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा कारित की जा रही क्षति का उपशमन करना है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपातरहित ऐसी स्थिति पुनरस्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में हो। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इसका उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि पाटित आयातों द्वारा कारित की गई विकृति में सुधार नहीं किया जाता है तो इससे घरेलू उत्पादन आधार का क्षय होने लगेगा और फिर विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमत में वृद्धि की जाने लगेगी जिससे उपयोगकर्ता उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ड. सिफारिशें

147. प्राधिकारी ने निर्धारित नियमों में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ की और उसका आयोजन किया और संबद्ध देश के विरूद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन स्थापित करके और यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात घरेलू उद्योग को इन पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी का यह विचार है कि घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का निवारण करने के लिए निर्णायक शुल्क का अधिरोपण किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, प्राधिकारी अधोलिखित विहित प्रारूप एवं स्वरूप में निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं।

148. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश में उद्भावित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर, इसके साथ अनुबिद्ध शुल्क तालिका के स्तम्भ 9 में यथा-उल्लिखित राशि के बराव पाटनरोधी शुल्क का केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उपशीर्षक या प्रशुल्क मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	85.45	ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स	सभी व्यास	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई सेन्मा ग्रुप	मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई सेन्मा ग्रुप	278.19	यथा मूल्य	यूएस डालर
2	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	M/s Pफिंगडिंगशान सान्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.	M/s मैसर्स कैफेंग कार्बन कंपनी लिमिटेड चीन पिंगमेई सेन्मा ग्रुप	278.19	-वही-	-वही-
3	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	558.38	-वही-	-वही-
4	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स फुशुन ओरियंटल कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स जिन्नाई कार्बन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड	658.94	-वही-	-वही-
5	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी	590.13	-वही-	-वही-
6	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स जिलिन कार्बन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी तथा/या मैसर्स सिनोस्टील झेजियांग कंपनी	590.13	-वही-	-वही-
7	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स सिचुआन गुआंघान शिदा कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स सिचुआन गुआंघान शिदा कार्बन कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही-	-वही-
8	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स नानटांग यांग्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स नानटांग यांग्जी कार्बन कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही-	-वही-
9	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स लिआओयांग कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स जिन्नाई कार्बन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही-	-वही-
10	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स लिंघाई हांगफेंग कार्बन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	मैसर्स लिंघाई हांगफेंग कार्बन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही-	-वही-

क्र.सं.	उपशीर्षक या प्रशुल्क मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
11	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स लिंघाई हांगफेंग कार्बन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	मैसर्स जिन्नाई कार्बन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही-	-वही-
12	-वही-	-वहीं-	-वहीं-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स सीआईएमएम डोंग्घाई एडवान्स्ड कार्बन कंपनी लिमिटेड	मैसर्स सीआईएमएम ग्रुप कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही-	-वही-
15	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मैसर्स फुशुन कार्बन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)	मैसर्स फांग्डा कार्बन न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड	391.84	-वही--	-वही-
16	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	उपर्युक्त के अलावा कोई अन्य संयोजन		922.03	-वही-	-वही-
17	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	922.03	-वही-	-वही-
18	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य	चीन जन. गण.	कोई	कोई	922.03	-वही-	-वही-

149. इन सिफारिशों से आविर्भूत केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

150. प्राधिकारी, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार इसमें यथासंस्तुत निर्णायक शुल्क की निरंतरता, संशोधन या समापन की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेंगे। ऐसी समीक्षा के लिए किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर नहीं किया जाता है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2014

Final Findings

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning import of "Graphite Electrodes of all diameters" originating in or exported from China PR

F. No. 14/02/2013-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on

Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules).

BACKGROUND

1. The Designated Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, (hereinafter referred to as "the Authority") had received a written application from M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd. (hereinafter also referred to as the petitioners or the applicants) alleging dumping of Graphite Electrode of all diameters (hereinafter referred to as subject goods) from China PR (hereinafter referred to as subject country) and consequent injury to them and requesting for initiation of an Antidumping investigation in accordance with the Rules. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicants. The application was, thereafter, considered as properly documented.

2. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 20th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and consequent injury to the domestic industry and to recommend imposition of anti-dumping duty, if so required, to remove the injurious effects of dumping, if any.

A. PROCEDURE

3. The Procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 20th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti Dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

iii. The Authority forwarded copies of the public notice to all known exporters and industry associations in the subject country (whose details were made available by the applicants) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the Anti-dumping Rules.

iv. The Authority also forwarded copies of the public notice to all the known importers of the subject goods in India (whose details were made available by the applicants) and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

v. The Authority provided copies of the Non-confidential version of the application of the domestic industry to the known exporters and the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules. Copies of the application were also made available to other interested parties, upon request.

vi. The Authority sent questionnaires to the following known exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the Anti- dumping Rules to elicit relevant information:

a) M/s CIMM Donghai Advanced Carbon Co., Ltd

b) HTU Industrial Inc.

c) Sichuan Shuangyou Carbon Industry CO., Ltd

d) Fushun Carbon Co. Ltd

e) Nantong Jiangdong Carbon Co., Ltd

f) Jilin Carbon (Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd.)

g) Anssen Metallurgy Group

h) Kaifeng Carbon Co., Ltd

i) M/s. Fangda Carbon New Material Co., Ltd

j) Carbon I/E Co Ltd

k) Shida Carbon Group Co., Ltd

l) Sinotech (Dalian) Carbon & Graphite Manufacturing Corporation

vii. The Authority received questionnaire response from the following producers/exporters in the subject country:

a) M/s. Sinosteel Zhejiang Co., Ltd.

b) M/s. Jilin Carbon Import and Export Company

c) M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd.

d) M/s. Linyi County Lubei Carbon Co., Ltd.,(Producer), China PR

e) M/s. Shandong Basan Carbon Plant (Producer) China PR

f) M/s. Fushun Oriental Carbon Co. Ltd.

g) M/s. Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., (Exporter) China PR,

h) M/s Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. ("Nantong Yangzi")

i) M/s Sichuan Guanghan Shida Carbon Co.,Ltd. ("Shida Carbon")

j) M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group

k) M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd.

l) M/s Fushan Oriental Carbon Co. Ltd.

m) M/s Liaoyang Carbon Co. Ltd

n) M/s Linghai Hongfeng Carbon products Co. Ltd.

o) M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd

p) M/s Fushan Carbon Co. Ltd

q) M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd

r) M/s. CIMM Group Co., Ltd., ("CIMM") China PR

s) M/s CIMM Donghai Advanced Carbon Co., Ltd.

viii. The Authority has also received a submission on initiation from China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME).

ix. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

a) SAIL, Alloy Steel Plant

b) Bhushan Steel Ltd.

c) Bhushan Ltd.

d) SAIL, Bhilai Steel Plant

e) SAIL, Bokaro Steel Plant

f) Visvesvaraya Iron & Steel Plant

g) SAIL, Rourkela Steel Plant

h) Sunflag Iron & Steel Co.Ltd.

i) Jindal Steel & Power Ltd.

j) Jindal Vijaynagar Steel Ltd.

k) Jindal Stainless Ltd.

l) Lloyd Steel Inds. Ltd.

m) Mukand Ltd.

n) SAIL, Durgapur Steel Plant

o) JSW Ispat Steel

p) ISMT Limited

q) Bhushan Power & Steel Ltd.

x. The following importers have submitted response in the form and manner prescribed in the importers questionnaire:

i. SAIL, Alloy Steel Plant

ii. SAIL, Bhilai Steel Plant

iii. SAIL, Bokaro Steel Plant

iv. Visvesvaraya Iron & Steel Plant

v. SAIL, Rourkela Steel Plant

vi. SAIL, Durgapur Steel Plant

vii. ISMT LIMITED

xi. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG Systems to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The transaction wise import data received from the DGCI&S has been relied upon by the Authority in this Finding. The transactions wise data received from DG systems as well as data received from co-operating importers have been used for cross-checking the data submitted by the interested parties in their responses.

xiii. The cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant and on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out in accordance with Annexure III of the Anti Dumping Rules so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.

xiv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

xv. On the spot verification of the information provided by the interested parties was carried out to the extent considered necessary by the Authority.

xvi. Investigation was carried out for the period starting from 1st January 2012 to 31st December 2012 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2009-March 2010, April 2010-March 2011 April, April 2011-March 2012 and the POI.

xvii. The Authority held a public hearing on 16th July, 2014 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by the domestic industry and other interested parties. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. Interested parties were also provided opportunity for making rejoinder submissions on the views expressed by opposing interested parties. The Authority has considered the written submissions and rejoinders received from the interested parties, to the extent found relevant and they have been addressed at relevant places in this disclosure statement.

xviii. The Central Government, upon the request of the Authority, has extended the time period to complete this investigation and notify the final findings till 19th November, 2014.

xix. The Authority disclosed the essential facts of the case to all interested parties in the form of a disclosure statement on 28th October 2014. The interested parties were given an opportunity to comment on various aspects of the investigations disclosed in the statement by 3rd November 2014. The comments received from the interested parties, to the extent they are relevant and duly substantiated, have been considered and addressed in this finding at appropriate places.

xx. "***" in this Finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxi. The exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs 53.69

B. Product Under Consideration and Like Article

4. The product under consideration as defined in the initiation notification read as follows:

"The product under consideration for the purpose of present investigation is "Graphite Electrodes of all diameters" from China PR. The main function of Graphite Electrodes is to be used for melting of steel by passing electric current

into the charge fed into the furnaces. This method of steel making is also known as secondary steel making. Graphite Electrodes are used in arc furnaces as current carrying conductors and are required to carry a very high rate of power feed. Graphite electrodes can be broadly categorized as Ultra High Power (UHP) and others which include the High Power Grade (HPG) and Normal Power Grade (NPG). Accordingly, they are required to have properties capable for taking such high current and power feeds and classified under chapter heading 85.45".

5. The interested parties have raised certain issues with respect to the scope of the product under consideration which have been examined as follows :

B.1 Views of the other interested parties comprising exporters, importers and others

6. China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (hereinafter referred to as "CCCME"), which is a nationwide chamber of commerce in machinery and electronics sector, has submitted that definition of PUC in the initiation notification is an attempt to include each and every type of Graphite Electrodes whatsoever into the ambit of anti-dumping duties without differentiation of the diameters, lengths, grades, powers, quality, etc. It is further submitted that power grade and diameter have an impact on the production of the Product under Consideration and on their uses as perceived by customers and users as well as on the costs and prices.

7. CCCME also requested to exclude those diameters from the scope of the PUC which have not been manufactured by the domestic industry during the POI. It has cited the extracts of the final finding of DGAD in the case of Graphite Electrode from Brazil and Poland. Specifically, it has requested to exclude UHP grade with diameter equal to or larger than 700mm from the scope of the PUC.

8. It has also been submitted that UHP and Non UHP are not like article as raw materials and production process are different. Also, technical properties and commercial end use are different.

9. It has also been submitted that Cumulating UHP and Non-UHP as a single product is erroneous and PUC determined is too wide without any differentiation of diameters, lengths, grades etc. They have also drawn the attention of the Authority with regard to practices followed by the Authority in the earlier investigations.

10. It has also been submitted that since the product under consideration comprises of two grades/types in the electrodes market, separate injury analysis including dumping and injury margin should be made by the Authority.

11. In their post disclosure submissions, CCCME has argued that the issues raised around the PUC in the present investigation stands have not been addressed properly in the disclosure and has reiterated its earlier submissions once again. It has been argued that as per the National Standard of the PRC, Graphite Electrodes can be categorized into Regular Power (RP), High Power (HP), High Density (HD), Super High Power (SHP) and Ultra High Power (UHP). CCCME has submitted that under such circumstances classification of PUC to include all grades and later to conduct an injury examination by categorizing them into UHP and Non UHP is highly inappropriate. The factor of price differences between grades stands unaddressed by the Authority and inclusion of different grades of products of extreme price differences, under one PUC definition, needs reconsideration by the Authority.

12. In the post disclosure submissions, M/s Economic Law Practice has made the following submissions on behalf of M/s ISMT Limited in respect of product under consideration and like article issues:

- That the Hon'ble Designated Authority has erroneously concluded that UHP and Non-UHP subject goods are "like articles". It is respectfully submitted that the two grades are not technically and commercial substitutable and there are significant differences in commercial end-use applications, consumer requirement and perception;
- That in the earlier investigation the Initiation Notification No. ADD/IW/43 dated 30th September, 1996 concerning the *Initiation of anti dumping investigations concerning import of Graphite Electrodes from USA, People's Republic of China, Germany, Belgium, Austria*, *France, Spain and Italy* specifically considered UHP and Non-UHP, i.e., H/NPG as separate and distinct products;
- That since the Hon'ble Designated Authority has already made an earlier order that UHP and Non-UHP graphite electrodes are not 'like articles' which is the admitted and accepted position of the Domestic Industry. In the present investigation, there are no new factual developments which can affect the said factual or legal position and the deviation from its own earlier order, concerning the same products, is a grave error on the face of record;
-

- It has been further argued that the matter has been examined by the Appellate Tribunal and the Hon'ble CESTAT proceeded to uphold the treatment of UHP and Non-UHP graphite electrodes to not be 'like articles' and agreed with the differential duties applied on the two;

- That it is settled law that in order to determine products to be '*like articles'* the Hon'ble Designated Authority is liable to examine several parameters such as manufacturing process, technical and commercial substitutability, interchangeability, commercial end-use or applications and consumer perception and requirements. In this regard various factors will lead to an irrefutable conclusion that indeed both UHP and Non-UHP are distinct and different and thus cannot be considered as '*like article';*

B.2 Views of the Domestic Industry

13. The domestic industry, in its various submissions, has refuted the above arguments of the interested parties and has submitted that Graphite Electrodes can be broadly categorized into two grades i.e., Ultra High Power (UHP) and Non-UHP which includes the High Power Grade (HP or HPG) and Normal Power Grade (NPG). The Domestic Industry has submitted that the Product under Consideration (PUC) merely defines the scope of the products under investigation. All imports from the subject country can be categorized into UHP and Non-UHP electrodes even though the nomenclature may vary. Further, it has submitted that for this reason only Domestic Industry has provided the cost and price information on a per ton basis for UHP and Non-UHP grade separately so as to address differences in terms of diameter, grades, quality etc. on the costs and prices for proper comparison.

14. It has been argued that the claims of the interested parties that cumulating UHP and Non-UHP as a single product is erroneous and PUC determined is too wide, is without any legal or logical basis. The domestic industry reiterates that all the imports from the subject country can be categorized as UHP and Non-UHP electrodes even though the nomenclature within a particular category may vary. For instance, the Non-UHP electrodes may include different sub-sets / types like RPG, HPG, etc. It has also been submitted that there are no standard specifications which can conclusively differentiate amongst these sub-sets / types. At the same time, the nomenclature may also vary from manufacturer to manufacturer. It has been submitted that Graphite Electrodes, irrespective of whether they are UHP or Non-UHP, remain electrodes and fulfill all the requirements to be classified under the broad category of "Graphite Electrodes" which is the PUC and interested parties have also not provided any evidence in the form of international standards etc., to substantiate their claims in this context.

15. It has been further submitted that the proposition of the interested parties that the UHP and Non-UHP are different products and could not have been combined for the purpose of this investigation is not correct. It has also been added that there is no requirement under law or in jurisprudence that all the sub-sets / types or sub-sets of the PUC should be absolutely homogenous for them to be covered under the same PUC and the same investigation and it is for this reason only that the Authority had never in the past accepted this proposition and, accordingly, whenever there are sub-sets/types of any PUC, the PUC is always defined as a single product. In support of their contention, the domestic industry has cited the AD investigation concerning ARW from China and others, solar cells from Malaysia and others, insulators from China PR wherein the PUC contained various types or sub-sets which are not *inter se* homogenous or comparable.

16. It has been submitted that claim for exclusion of subject goods of diameter equal to or more than diameter of 700 mm made by CCCME is baseless and without any merit. In order to support their contention, Domestic Industry had enclosed the invoices of the sales of subject goods of diameter of 700mm and above made by the applicants. Further, it has submitted that Electrodes above 700mm are very much a part of the product range of the Domestic Industry though the demand of electrodes above 700mm is very sporadic. The Domestic Industry has argued that the invoices submitted by them prove beyond doubt that the Domestic Industry have not only the capability of producing electrodes above 700mm but has, in fact, supplied it whenever such orders have been placed. Moreover at the same time, Domestic Industry has requested that CCCME should be compelled to provide information with regard to the actual export data of 700mm and above electrodes as well as full details of the market demand in the country. Domestic Industry has argued that the Authority should not allow such claims which are not backed by any factual data or the legal authority. Accordingly, Domestic Industry has requested to summarily reject the claims of exclusion of subject goods of diameter equal to or more than diameter of 700 mm made by CCCME.

B.3 Examination of the Authority

17. The Authority has noted the arguments of the interested parties and the domestic industry with respect to the scope of the product under consideration and like article, including the post disclosure submissions made on behalf of few interested parties. The investigation was initiated with the product under consideration as "Graphite Electrodes of all diameters". The Authority notes that Graphite Electrodes can be broadly categorized into two grades i.e. Ultra High Power (UHP) and Non-UHP which includes the High Power Grade (HPG), and Normal Power Grade (NPG). During the investigation, it has been noted that the imports of Non-UHP subject goods include Regular Power Grade (also known as RP Grade).

18. The issues raised by CCCME for excluding subject goods of diameter equal to or more than 700 mm from the ambit of the product under consideration have been examined. It is noted that the domestic industry has indeed manufactured and sold Graphite Electrodes of diameter equal to and more than 700 mm. They have furnished some sample invoices of the sales done in support of their claims. The Authority also notes that none of the exporters, importers or the end-users has asked for such exclusion with necessary evidence. The import data of DGCI&S also does not indicate imports of electrodes over 700mm during the period under consideration. As such, claim of exclusion by CCCME is without any merit. Accordingly, the Authority accepts the claim of the Domestic Industry that subject goods of diameter equal to and more than 700 mm are very well within its product range and hence cannot be excluded.

19. As regards the arguments of the interested parties that UHP and Non-UHP electrodes are not like articles and therefore, should not have been covered under the same investigation and the practices followed by the Authority in the earlier investigation in respect of the same product, The Authority notes that both product types fall under the same broad product description and are used in arc furnaces for making steel though the power ratings and capacities varies. It is also noted that UHP and Non-UHP electrodes have similar chemical properties and their production process and uses are broadly similar. UHP Electrodes have lower electrical resistivity and higher current capacity. Both the types are used in similar applications for generating electric arc in the process of steel making in the electrical arc furnaces. They are clearly two product types. However, the arguments of the interested parties have been tested in the context of jurisprudence on the subject. In this connection the Authority notes that WTO Panel in its Report No. WT/DS337/R dated 16th November 2007 against imports of Farmed Salmon from Norway dealt on the subject of internal homogeneity of product types within the scope of product under consideration and concluded as under:

"7. of dumping can only be made through a comparison of "the prices of an exported product – referred to as the 'product under consideration' – and a 'like product', Norway provides no analysis of the text of this provision. Moreover, Norway identifies no explicit obligation in the text of Article 2.1 to support its claim that the "product under consideration" must consist of a single, internally homogeneous, product or, alternatively, categories that are each individually "like" each other so as to constitute a single homogenous product.

7.48 We agree that Article 2.1 refers to "a product" as being dumped, but cannot agree that there is any obligation concerning the scope of that product in that provision. There is simply nothing in the text of Article 2.1 that provides any guidance whatsoever as to what the parameters of that product should be. The mere fact that a dumping determination is ultimately made with respect to "a product" says nothing about the scope of the relevant product. There is certainly nothing in the text of Article 2.1 that can be understood to require the type of internal consistency posited by Norway.

7.49 At the same time, other provisions of the AD 47 Beyond stating that the language of Article 2.1 reveals that a determination Agreement, relevant as context, suggest that whatever the parameters of "a product" in Article 2.1 may be, the concept is not so limited as Norway argues. For instance, Article 6.10 provides for limited examination in cases where the number of "types of products involved" is so large as to make it impracticable to determine an individual margin of dumping. Similarly, the Appellate Body has recognized that an investigating authority may divide a product into groups or categories of comparable goods for purposes of comparison of normal value and export price – the practice of "multiple averaging". Neither of these would be necessary if Norway's view of the meaning of "a product" in Article 2.1 were the only permissible interpretation. There would be no possibility of investigating more than one "type of product" as mentioned in Article 6.10, and no reason to group comparable goods for purposes of making price comparisons for each group in the process of calculating a single dumping margin for the product as a whole. These considerations lead us to conclude that, while Article 2.1 establishes that a dumping determination is to be made for a single product under consideration, there is no guidance for determining the parameters of that product, and certainly no requirement of internal homogeneity of that product, in that Article.

7.68 Thus, we conclude that, contrary to Norway's claim, product under consideration is made up of categories of Articles 2.1 and 2.6 of the AD Agreement do not establish an obligation on investigating authorities to ensure that where the products, all such categories of products must individually be "like" each other, thereby constituting a single "product"".

20. The above observations clearly establish that there is no requirement of internal homogeneity of the product under consideration in an Anti Dumping investigation and various product types included in an investigation need not be *inter se* like articles within the meaning of the term in AD Rules. The determination of like article is required to be with respect to the product being dumped and domestic product and not inter se between various product types within the product under consideration. It is noted that UHP and Non-UHP electrodes are clearly treated as two types of Graphite Electrodes by the exporters as well as domestic industry and the responding exporters have clearly responded with information for these two types of electrode. The initiation notification also clearly mentioned that they are being treated as two product types and all dumping and injury examination has been done at product type levels for a like to like comparison. Therefore, Authority concludes that they have been rightly treated as two product types within the scope of product under consideration.

21. As regards the differences on account of grades and dimensions of the product under consideration, it is noted that all imports from the subject country can broadly be categorized into UHP and Non-UHP electrodes even though within Non UHP, the nomenclature may vary. It is also noted that there are no international standard specifications which can conclusively differentiate amongst these sub-sets / types for example RP grade, high power grade, SHP grade etc. It is also noted that after initiation of the investigation, all the exporters have submitted information in terms of 2 sub-types of Graphite Electrodes i.e. UHP and Non-UHP grade. Moreover, the Authority could not come across any major differences in the raw material, production process, physical and chemical characteristics and broad uses of these different electrodes. With regard to the other parameters like density, current carrying capacity, resistivity etc., it is also noted that there are no clear dividing lines between these grades as there are overlaps in the various physical parameters.

22. The Authority further notes that the Domestic Industry has provided the cost and price information on a per ton basis for UHP and Non-UHP grade separately so as to address differences in terms of diameter, grades, quality etc. on the costs and prices for proper like to like comparison to the extent possible. With regard to separate analysis and determination of dumping and injury margin of both types, it is noted that the Authority has carried out separate determination of dumping margin and injury margin for both types before determining dumping and injury margins for product under consideration as a whole, i.e. Graphite Electrodes. Similarly, the price effect analysis has also been carried out for both types before combining them for product under consideration.

23. In view of the above, the Authority holds that the argument of the interested parties that the product scope is too wide and the UHP and Non-UHP electrodes cannot be combined, is without any legal basis. The description of the Product under Consideration is wholly in line with the legal provisions and the jurisprudence on the issue. Therefore, the Authority confirms the product under consideration as defined in initiation notification.

24. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."

25. After considering the information on record, and submissions made by various interested parties and questionnaire response of responding exporters the Authority finds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country within their respective product types. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject country, within their respective product types, are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The consumers are using the two interchangeably. It is further noted that the PUC is being imported into India with different nomenclatures. Mere difference in the nomenclature of the subject goods does not make the imported goods different and non-substitutable with the goods produced by the domestic industry. The Authority, on the basis of the examination, holds that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the goods imported or produced in subject country within the meaning of the Rules.

C. Domestic Industry and Standing

26. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: -

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

27. The application has been filed jointly by M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd. It is also noted that applicants/petitioners are the only producers/manufacturers of the domestic like product in the country. The Authority notes that the petitioners account for 100% of the total Indian production. It is further noted that none of petitioners have imported the product under consideration nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration. The petitioners, therefore, constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. It is also noted that the application, having been made by or on behalf of the domestic industry, satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules.

D. Miscellaneous Submissions

D.1 Views of the importers/consumers and other interested parties:

28. The following submissions have been made by the various interested parties comprising exporters, importers and other interested parties other than the domestic industry

i. Manufacturers of the domestic industry are having export orientation and performance of the domestic industry is not driven by Indian situation but depends on the global scenario of steel demand/production and also of steel prices. It is further submitted that production of the steel sector has significantly declined in 2011-12 and POI due to economic crisis.

ii. Excessive confidentiality has been claimed by the domestic industry which is completely against the confidentiality provisions provided in the AD Rules. Non-confidential version of the petition is deficient, seriously hampering the rights of interested parties to file the submissions in a comprehensive manner.

iii. Domestic industry does not have separate capacity for the Graphite Electrodes as evidenced by their annual reports. Accordingly, they have requested disclosure of the basis on which the capacity for Graphite Electrodes was determined for the purposes of this investigation.

iv. Domestic Industry has not disclosed any information in the application with regard to closure of the Bangalore plant of GIL during the POI.

v. Hon'ble Authority has arrived at its determination in a number of cases in which market economy treatment has not been sought by any Chinese exporter on the basis a limited response. Accordingly, Fangda and Fushun had filed such a limited response, as required by the EU/EC.

vi. There is difference in the quality of the Chinese and Indian product. Accordingly, an adjustment should be made to accommodate the poor quality of the Chinese product as done in the previous investigation.

vii. It has been claimed that the proceedings are bad in law as the Central Government had granted the extension of time after the expiry of one year from the date of initiation, which is not permitted in terms of Rule 17 of the AD Rules and therefore, investigation is required to be terminated.

viii. It has been submitted that the petitioner has made substantial changes to the import price by resorting to certain unjustified methodologies to suit their case. It has been requested that import data relied upon by the petitioner should be provided to them to offer meaningful rebuttals.

ix. It has also been submitted that the petitioner has not exercised any due diligence while analyzing the import information as an import transaction from Malaysia dated 26th June 2010 presumably of 18 MT has been reported as 18542 MT which has evidently frustrated demand and market share associated with figures for the year 2010-11 and for eventual periods. Thus, the credibility of import information as claimed by the petitioner is highly disputed.

x. With regard to the arguments of the domestic industry that CCCME should not be considered as an interested party in the present investigation, it has been submitted that the claim of the petitioner should be rejected as the same is factually and legally untenable as the fundamental definition of interested party in the WTO anti dumping agreement itself provides for a very liberal definition of the term so that parties showing interest in a particular investigation can fairly be accommodated by the investigating Authorities. It has further been submitted that CCCME is a nationwide industrial and non-profit organization, formed jointly and voluntarily by various economic organizations engaged in manufacturing, import and export and other related activities in machinery and electronic industry. As the only nationwide Chamber of Commerce in Machinery and Electronics Sector, CCCME has nearly 10,000 members, including both leading enterprises and small and medium-sized companies, representing the industry as a whole. According to the provisions in Article 56, Chapter 9 of the Foreign Trade Law of the People's Republic of China, the mission of the Chamber is to provide its members with foreign trade related services in aspects of manufacturing, marketing, information and training, play a positive role in coordination and self-discipline, safeguard the interests of their members and the industry etc. As a registered intermediary organization, CCCME provides its services based on equity, justice and openness, takes in supervision from the Ministry of Civil Affairs and operational guidance from the Ministry of Commerce. It has thus been submitted that they constitute an interested party within the meaning of sub-rule (c) clause (i) of Rule 2 of Anti Dumping Rules. Notwithstanding the above legal provision and without any prejudice, it has been submitted with illustrations that majority of known producers/exporters of subject goods in China PR are members of CCCME.

D.2 Views of the Domestic Industry

29. Domestic industry in its various submissions has inter alia argued that:

i. That CCCME (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products) cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of Anti-dumping Rules, 1995 as only those

trader or business associations can participate in any investigation "a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article".

ii. That CCCME has itself accepted the fact that it is a nationwide industrial and non-profit organization, formed jointly and voluntarily by various economic organizations engaged in manufacturing, import and export and other related activities in machinery and electronic industry. It is a nation-wide chamber of commerce in machinery and electronics sector and it has nearly 10,000 members, including both leading enterprises and small and medium-sized companies, representing the industry as a whole.

iii. That such an association would qualify as an interested party in terms of Rule 2(c) of AD Rules, only if a majority of its 10,000 members are either producers, exporters or importers of the concerned article i.e. the Graphite Electrodes. It is seen that there is neither any evidence on record nor even an assertion that CCCME's majority of membership consists of the eligible entities as mandated in law.

iv. That CCCME cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, domestic industry submitted that in such case it is not necessary to offer any comments on the issues raised by CCCME. Domestic Industry reserved their right to offer their comment on the same subject to the decision of the authority on the eligibility of CCCME to participate in the investigation. In their post disclosure submissions the domestic industry has iterated its stand on the status of CCCME's as an interested party in this investigation.

v. That submissions made by the interested party about the alleged export-orientation of the Domestic Industry and the demand of the subject goods being driven by the demand in the steel industry are misplaced and contrary to their own submission. Further, it has been submitted that Domestic Industry has ample surplus capacity to cater the demand of the subject goods in the domestic market. Particularly, in POI the un-utilized capacity was 23%. Furthermore, it has been submitted that the Domestic Industry has left with no option but to tap the global market so as to control their declining profit as dumped imports from the subject country was not allowing the Domestic Industry to increase their sales in the domestic market up to their potential.

vi. That it is clear from the document submitted by CCCME itself that the demand in the POI has shown an upward trend as can be seen from the excerpts of the World Steel Association. Further, Domestic Industry states that it has not considered the export performance of the petitioner companies while carrying out the injury analysis which is in accordance with the established practice of the Designated Authority. It has been submitted that CCCME has failed to appreciate that in the absence of exports by the Domestic Industry, their condition would have been worse due to higher average cost of production. Further, it is submitted that the domestic sales of the Domestic Industry have increased by 21% only despite the fact that the demand in the domestic market increased by 37% in the POI as compared to the base year. At the same time, substantial surplus capacity was available with the Domestic Industry during POI. This clearly shows the impact of the dumped subject goods from China and also corroborates the views of the Domestic Industry that they have been prevented from increasing their domestic sales to their full potential due to the existence of the dumped imports.

vii. That it has claimed confidentiality on their business sensitive information with adequate reasons in accordance with the legal provisions and the guidelines being followed by the Authority. The reasons and grounds for claiming confidentiality have been given in the non-confidential version of the application. Thus the claims of the CCCME in this context are without any merit.

viii. That the capacity for the Graphite Electrodes was determined on the basis of the graphitization capacity of the plant. Further, it has submitted that it is pertinent to note that graphitization is required only for manufacturing Graphite Electrodes and not for other products produced by the applicants.

ix. That the submission of the CCCME on the closure of the Bangalore plant is a hollow statement and without any substantiation. According to them, the Bangalore plant was fully operational during the entire period of investigation (POI). In support of their contention, they have provided copies of the excise monthly return (ER-1) for the entire POI i.e., January 2012 - December 2012 displaying the monthly production. Further, Domestic Industry has requested to reject such unsubstantiated submissions summarily.

x. That filing of limited response is the consistent practice of the Authority, in case MET has not been claimed, is without any merit and substantiation. Furthermore, guidelines prescribed in the General Introduction section of the Exporters Questionnaire Format explicitly provides that the exporter is required to fill all the Appendices so as to be treated as co-operative. Therefore, domestic industry has requested the Authority to reject all such responses filed by the exporters that have not filed the complete information as requested in the questionnaire.

xi. That they have been forced to disclose in absolute terms their actual production, capacity and domestic sales quantities. Accordingly, domestic industry has requested that actual absolute quantities of the capacity, production and exports sales to India of the exporters during the POI and preceding 3 years should also be provided to the domestic industry.

xii. That the interested parties have themselves accepted in the public hearing that the product concerned manufactured in China PR is identical and substitutable to the product concerned being produced in India, accordingly, request of the interested party for adjustment in the landed value should be rejected outright.

xiii. That the claims of the interested parties that the proceedings are bad in law as the Central Government had granted the extension of time after the expiry of one year from the date of initiation, which is not permitted in terms of Rule 17 of AD Rules, is without any legal or logical merit. It has been submitted that there is nothing in the said Rule 17 to suggest that the extension of time ought to have been granted prior to the expiry of the initial period

xiv. That it has reasons to believe based on its market intelligence that there is significant variation in the export quantities and the corresponding import prices reported to the Indian authorities by certain exporters. Accordingly, domestic industry has requested the Authority to reject such export prices as done by the Authority in the case of ARW [Preliminary Findings No. 14/7/2012-DGAD dated 13.1.2014, paragraphs, 49 to 51] and such exporters should be treated as non-cooperative and not eligible for individual dumping margin.

D.3 Examination by the Authority

30. The submissions made by the interested parties have been analyzed by the Authority as follows:

a. Rule 2(c) of the AD Rules defines interested party as under:-

"interested party" includes -

(i) an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in India, or a trader or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;

(ii) the government of the exporting country; and

(iii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India;

b. The Authority notes that certain submissions have been made by CCCME on the initiation of the investigation. CCCME is a nationwide industrial and non-profit organization, formed jointly and voluntarily by various economic organizations engaged in manufacturing, import and export and other related activities in machinery and electronic industry. It is a nation-wide chamber of commerce in machinery and electronics sector and it has nearly 10,000 members, including both leading enterprises and small and medium-sized companies, representing the industry as a whole.

c. The Authority after examining the contentions of interested parties holds that there is sufficient evidence on record that CCCME constitutes the interested party in terms of Rules and Agreement on Anti Dumping. The Authority has therefore, addressed the issues raised by the said Association in this disclosure statement.

d. The Authority has examined the claims of the CCCME in the context of the export orientation of the domestic industry and the fact that this industry is driven by steel industry. In this regard, it is noted that during the POI the demand in the country increased by 37% as compared to the base year while the domestic sales increased by only 21% during the same period despite the fact that the Domestic Industry had an un-utilized capacity of 23%. In view of the above, the Authority notes that the claim made by the CCCME is without any merit.

e. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been treated as confidential and not disclosed to other interested parties. It is observed that the claims of confidentiality by the interested parties are backed with adequate reasons and is in accordance with the legal provisions and the guidelines of the Authority and the same have been accepted by the Authority. The Authority does not find any merit in the contention of CCCME that the Domestic Industry has claimed excessive confidentiality.

f. The Authority notes that capacity of the Graphite Electrode has been determined by the Domestic Industry on the basis of graphitization capacity of each plant.

g. As regards the issue of the closure of the Bangalore plant, the domestic industry has submitted excise production records which show that the plant was operational during the entire period of investigation.

h. With regard to the claim of one of the interested parties that the proceedings are bad in law as the Central Government had granted the extension of time after the expiry of one year from the date of initiation, which is not permitted in terms of Rule 17 of AD Rules, is without any legal or logical merit. It is noted that there is nothing in the said Rule 17 to suggest that the extension of time by the Central Government ought to have been granted prior to the expiry of the initial period. Further, it is submitted that the act of extension of period is purely an administrative

act and does not vitiate the investigation in any manner.

i. With regard to the submissions made by one of the interested party that since cooperating sampled producers and exporters have not submitted full response, their response should not be accepted by the Authority, it is noted that after initiation of the investigation and issuance of the exporters questionnaire, the responses filed by one of the exporters were deficient and the complete response was filed by the exporter after the deficiency was pointed out to them.

j. With regard to the import volume and price of the subject goods from subject countries not being available to the interested parties following the receipt of the same by the Authority, it is noted that the summary of the import data in terms of volume and value has been put in the public file after having received the same from the DGCIS. It is also noted that after receipt of the transaction wise import data from DGCI&S, the determination of dumping and injury have been made after taking into account the DGCI&S data.

E. Post Disclosure Submissions of the Interested Parties

31. The interested parties have made certain submissions in response to the disclosure statement issued by the Authority on 28th October 2014. The issues raised by the interested parties, to the extent they had not been raised earlier and addressed by the Authority, have been summarized below.

E.1 Submissions by M/s ANM Global Inc

32. M/s ANM Global Inc. has made the following submissions on behalf of i) M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group, ii) M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., iii) M/s Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd., and iv) M/s Sichuan Guanghan Shida Carbon Co. Ltd., In response to the disclosure statements issued by the Authority:

- That the Authority should impose separate duties for UHP grades and non-UHP grades **or** ad-valorem in the present investigation in view of the fact that there is a significant difference in the prices and cost of the two grades. The cost and price of UHP grade are almost double of the cost and price of non-UHP grades due to different raw materials used. It has been argued that the purpose of anti-dumping, in general, is to remove the price distortion but not to punish the exporters for their price differential behavior. The imposition of single duty when there is a significant difference between the cost and price of UHP and non-UHP grades would not be appropriate. The separate duty for the two grades or ad-valorem duty would serve the interests of the trade and industry in a better way. It has been further argued that wherever there is a significant difference between the prices of various grades and types, the separate duties or ad-valorem duties have been imposed by the Authority in previous cases.

- That M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd. is not a fully owned subsidiary of M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group and the directors of the two companies are also not common. Therefore, combined dumping margin and combined duty for the two would compromise the interest of the other shareholder which holds direct and indirect shareholding of 38.73% in M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd. Since there are two groups of shareholders all the decision for affairs of M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd. are not taken by Kaifeng Carbon alone and the same are always affected by the interest of the other shareholders which account for substantial share. Therefore, computation of combined dumping margin for the aforesaid two companies is not justified in the present investigation.

- That the adjustment of VAT on the export price proposed in the present investigation is not justified in view of the fact that the normal value for the Chinese exporters is constructed. The exporters are not able to appreciate the proposed adjustment of VAT @ 17% to the export price by assuming that VAT is included in the export price as VAT refund rate on export sales concerning the subject goods is nil. It has been argued that a direct adjustment of 17% to export price is not at all correct. The non-refundable portion of VAT on export sales is the one which is levied on the inputs used for subject goods but not on the sale price of the subject goods. Further, the adjustment, if any, is required to be made, it ought to be made for non-deductible/non-refundable part of VAT only and that its adjustment ought to be made to the normal value but not to the export price. Since normal value is constructed in the present investigation for all the exporters, there is no adjustment required to be made for non-deductible/non-refundable portion of VAT to export price and comparison of normal value is to be made with export price without VAT adjustment for the determination of dumping margin.

- That there appears to be a formula error for making adjustment of 17% on the net export price as the VAT is assumed to be included in the net export price and therefore, the formula for VAT adjustment should be corrected as Net Export Price x VAT Rate/(100 +VAT Rate);

- That there is no causal link between the dumped imports from China and the injury suffered by the domestic industry as the domestic industry in their application has not made any analysis with respect to the fact that there is an inverse relationship between the import price from China and the domestic prices. It may be seen that the import prices from China have significantly increased by 11% over the injury investigation period. However,

on the other hand the domestic prices have significantly come down by about 10% which clearly indicates that the import prices from China have no bearing on the domestic prices and they are moving independently of the import prices. It has been submitted that the prices of the domestic producers are affected due to competition between them but not because of the alleged dumped imports from the subject country;

- That the performance of subject goods has also suffered because of the bad condition of the steel industry. Thus, the affect on the situation of the domestic industry is not because of imports from China but because of the condition of the steel industry;
- That the domestic industry's main market is exports. They have exported 240% of their domestic sales in the POI. Since the global position of the steel industry is also not good their export performance has deteriorated in the POI as compared to previous year which has resulted in decline in capacity utilization and increase in per unit fixed costs. Thus, the thrust of the domestic industry has also affected their performance in the domestic market. The decline in capacity utilization and production in the period of investigation as compared to previous year clearly indicates that the same has declined because of decline in exports over the same year;
- That the domestic industry has increased its capacity over the injury investigation period and that it has directly affected their cost as the depreciation cost and interest costs as stated above increased over the same period.

E.2 Submissions by M/s TPM Consultants

33. M/s TPM Consultants, in its submissions on the behalf of M/s Fushan Oriental Carbon Co Ltd, Liaoyang Carbon Co Limited, Linghai Hongfeng Carbon Products Co. Ltd., Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd., has made the following submissions:

- That the domestic industry is having significant export orientation and therefore, Authority may kindly examine whether deterioration in performance is selectively in domestic market or the same is also in export markets;
- That segregation of product under consideration to only two types, i.e. UHP and Non- UHP is not sufficient for dumping and injury analysis as in Non- UHP grade, there are two different types of electrodes – normal power grade (NPG) and high power grade (HPG) and the cost and price of these NPG and HPG electrodes varies very significantly. The high dumping and injury margin determined in case of Non-UHP grade while the same is low in case of UHP grade is because of cumulation of different types of products in Non-UHP grade;
- That the dumping margin and injury margin in case of Non-UHP products is abnormally higher than the dumping margin and injury margin in case of UHP products. There is no rationality for such wide variation in UHP and Non-UHP products, but for the fact that the Non-UHP product indeed is not a homogenous product;
- That the trends in price parameters when compared to volume parameters do not show that the decline in price parameters is because of imports from China. Imports increased significantly in 2011-12 and profit before interest and return on investment also increased in 2011-12, whereas profit after interest declined. This clearly establishes that the decline in profits in 2011-12 is not because of the increase in imports in this period. The same is because of increase in interest cost;
- That when the extent of price undercutting was higher, the volume of imports from China was lower and the profits of the domestic industry were better. As the price difference between domestic and imported product declined significantly over the injury period, the imports from China have shown an increase. This clearly breaks causal link. Had the price undercutting improved over the injury period, the same could have established that the adverse price effect is because of imports. However, the price difference between domestic and imported product declined and the profits of the domestic industry have declined. This clearly establishes inability of the domestic industry to raise prices, reasons for which cannot be attributed to imports;
- That there is no co-relationship between import price and domestic industry prices; and imports from China have not led to price suppression/depression suffered by the domestic industry;
- That the price suppression claimed to have been suffered by the domestic industry is not because of imports. It is because of some other factors. Such other factors could be the decline in demand in the period of investigation and consequent increase in competition within the domestic industry. Since (a) demand for the product declined by 8231 MT, (b) the domestic industry has better profitability in the domestic market as compared to exports and (c) the domestic industry is faced with unutilized facilities, it follows that the domestic industry was fiercely competing with each other and was not able to increase its prices to the extent of increase in import price;
- That for the same product investigated earlier by the Authority in 1997 the Authority had carried out an adjustment for quality difference between the domestic and imported product. Quality adjustment made by the Designated Authority was challenged by the domestic industry before the CESTAT which upheld the decision of the Designated Authority. Under the above circumstances, and in the absence of any material from the domestic industry that this difference between domestic and Chinese product no longer remained, the

Designated Authority is required to carry out this adjustment while determining dumping margin and injury margin.

E.3 Submissions by M/s M. S. Pothal & Associates

34. In addition to the issues regarding the scope of product under consideration and like articles M/s M. S. Pothal & Associates has made the following submission on behalf of CCCME:

- That the Authority may specify the names of non sampled category of exporters in the final finding and the same may also be specified in the duty table, if any, to avoid unwanted difficulties in the future;
- That the ROCE@22% considered by the Authority is highly unreasonable. To make the ROCE reasonable we request the Authority to consider highest ROCE achieved by the petitioner during the injury period or the 22% considered as a regular practice by the Authority, whichever is lower as a reasonable basis for ROCE. ROCE@22% is highly unjustified in the present case;
- That in an event if any anti-dumping duty is sought to be imposed, it has to be levied on an ad-valorem basis and not in any other manner. Ad valorem form of duty, if at all duties needs to be imposed, is desirable and logical in the present case as the PUC contains two unambiguous categories which are UHP and Non-UHP and there is a huge difference in price of these two grades;
- That a fixed form of duty would create a situation of putting undue burden of a higher priced grade on the cheaper grade. CCCME shares it extreme concerns of a fixed form of duty in light of huge price difference between UHP and Non UHP grades and would urge the Authority to consider an ad-valorem form of duty, if at all any duty is required to be imposed;
- That the Chinese producers are wrongly accused of causing injury to Indian producers whereas the admitted facts by Indian producers itself shows existence of other reasons which could have adversely impacted performance of domestic industry such as down time in the steel industry, temporary plant closure etc.;
- The performance of Graphite Electrode industry is directly linked to occurrences in Steel industry. This is admitted by the domestic industry. This aspect is ignored while pursuing facts of the present case which shows an inverse relation between alleged dumping and alleged injury;
- That the focus of the domestic industry is exports. Even the huge investments undertaken by them are targeting such benevolent export market. The comparatively low demand in India can never provide an answer to the issues owing to the excess capacity which is actually set up for exports;
- There is no injury to the domestic industry on account of alleged dumping. The landed prices are not putting any pressure on the domestic prices; Profitability of the domestic industry is not impacted on account of alleged dumping from China and the domestic industry was making profit throughout the injury period;
- That an important aspect of the present case is that the Graphite Producers world over suffered adverse effects of sluggish or negative growths in the steel industry wherein the subject product is primarily used. However, the Indian producers were in profit and were making investments in the product. While the outlook also says recovery of steel industry is the only road ahead for Graphite Electrode producers, there is no purpose that anti dumping duties can serve in this case. Thus, a temporary adverse situation triggered by decline in demand for subject goods is interpreted as dumping in the present case which is not tenable at all;
- That considering such factual position of the present case, CCCME prays for an immediate termination of the present anti dumping investigation without any measures.

E.4 Submissions by M/s Economic Laws Practice

35. M/s Economic Laws Practices in their submissions on behalf of M/s ISMT Ltd. has inter alia submitted that:

- That the Applicants have selectively provided segregated injury parameters dumping margin, injury margin, under-cutting, imports volume and price, cost of sales and selling price for UHP and Non-UHP, whereas the Domestic Industry has not provided a separate analysis of profitability, demand, domestic sales, production and capacity for UHP and Non-UHP;
- That the Authority ought to disclose the constructed normal value figures at least in ranges. Since the raw material pricing or consumption norms are not being disclosed, the disclosure of final normal value will not lead to any confidential information being made public;
- That the Authority should adhere to the established procedure wherein the export price for the non-sampled and the non-cooperating producers from China PR is clearly disclosed as well as the methodology and basis for the same;

- That the figures for all relevant econometric analysis, since the Petition, have been altered in the said Disclosure Statement. Such variance at such a belated stage in the investigation is unfair, unjustified and violative of the principles of natural justice. It also implies that the Hon'ble Designated Authority failed to examine the adequacy and accuracy of the evidence at the time of initiation of the present investigation and the initiation is void *ab initio;*
- That though the total import volumes have increased throughout the injury period, the imports from the subject country have merely replaced the other imports, which is evident from the fact that the share of subject country imports in total imports has increased from 42% to 68% while that of other sources has declined from 57% to 31%. Despite the same, the market share of the Domestic Industry remained relatively constant from 69% in the period of investigation as compared to 61% the base year. Thus, there is in essence no impact of the increased imports on the Domestic Industry;
- That there is minimal price under-cutting. Further, the price under-selling is unduly inflated on account of erroneous consideration of rate of return which has been considered to be 22% for the Domestic Industry, without any justification;
- That the selling price has declined by merely 10% in the POI while landed value has increased vis-à-vis the cost of sales and the price-under-cutting has also declined. Hence, the conclusion concerning price-effect is totally erroneous and requires reconsideration;
- That the Domestic Industry being export oriented has diverted the increase in production towards exports, therefore the domestic sales have not increased to the same level while the exports have increased by 44% in the POI as compared to the base year;
- That as regards profitability, it is noted that there is a dip in profitability in the injury period. Similarly, the return on investment may also be observed to have declined in the injury period. This decline is not due to the subject imports but rather due to extraneous factors completely unrelated to the subject imports;
- That the decline in profitability, under-cutting, under-selling and price suppression claimed by the domestic industry is clearly attributable to other factors and not to the alleged dumped imports from the subject country;
- That in the financial years 2011-12 and 2012-13, there has been an unprecedented increase in cost of the imported raw materials coupled with the depreciation of the rupee which has caused severe losses to the Domestic Industry. Clearly, this has attributed to the injury presented by the Domestic Industry and the same is not attributable to the alleged dumped imports of the subject goods;
- That it is settled law that "causal link" between the dumped imports and the injury is a *sine qua non* factor for the imposition of anti-dumping duty. It is respectfully submitted that in the factual matrix of the case at hand, there are several factors which displace the causal link and the injury to the domestic industry is not caused by the dumped;
- That in the instant case, the export sales of the Domestic Industry have increased by 44% which is at a much higher rate than the domestic sales. Export sales are also more remunerative as the export sales value has increased by 59% in the POI. Though the capacity has been increased by 15%, the proportion of export and domestic sales has remained unaltered by the Domestic Industry and exports remain at up to 69% of the production. Clearly, the Domestic Industry is focused on the export market, despite an increase in domestic demand by 30% and appears to have also diverted the increased capacities towards exports. Hence, the causal link is clearly affected on account of the export orientation of the domestic industry;
- That admittedly, there has been a change in furnace technology and capacities have led the domestic users to shift to different technology whereby the consumer preference for UHP has increased as opposed to Non-UHP electrodes. Clearly, the change in technology and consumer preferences has led to an injury in the Non-UHP market which directly affects the causal link;
- That the highest ROCE of the Domestic Industry was merely 8.53%. Hence, in such a scenario granting an ROCE of 22% is clearly erroneous and bad in law. Hence, the Hon'ble Designated Authority ought to re-examine the price-underselling by calculating a reasonable rate of return, not exceeding 8.53% and not at 22%.

E.5 Submissions on behalf of Fushun Carbon Co., Ltd ("Fushun") and Fangda Carbon New Material Co., Ltd

36. The above exporters in their post disclosure submissions have argued that that there appears to be little difference between the Constructed NV of UHD and non-UHD categories and similarly little difference in the respective NIP which could be the result of some calculation errors and may be rechecked as it is prima facie different from the reality of significant differences in prices of UHD and non-UHD categories. For construction of NV for non-UHD

category there should be adjustments for the considerable differences in physical characteristics between the domestic and lower specifications imported non-UHD. It is also not clear why products excluded from the PUC on finding of fact and not law as unlike articles in an earlier finding of Hon'ble Authority are now treated as like articles.

E.6 Submissions of Steel Authority of India

37. Steel Authority of India in its post disclosure submissions, has reiterated most of the arguments made by other interested parties regarding dumping and injury claims of the domestic industry. Those arguments have not been repeated here for the sake of brevity. Further SAIL has inter alia argued that

- That the domestic industry has effectively increased its price of the subject goods in the injury investigation period by approximately 60-90% and is guilty of price manipulation to feign material injury;
- That the domestic producers have significant export orientation and they compete with the same Chinese producers in the international market at similar prices and continue to earn healthy profits whereas in the domestic operations they claim injury;
- That the domestic producers have not suffered any injury as SAIL as per its practice, offers the DI the opportunity to take 30% of its ordesr where they are not L-1 on condition that the DI matches the L-1 price. However DI continually choose not to match the L-1 prices, due to their confidence in selling in the international market at their desired price of higher prices.
- That the quality of the subject goods imported /originating from China PR are equivalent to the quality of subject goods of the domestic producers.

E.7 Submissions on behalf of domestic Industry

38. The domestic industry in its post disclosure submissions has reiterated its arguments and have argued that

- That CCCME is not eligible to be considered as an interested party in this case in terms of Rule 2(c) of AD Rules.
- That submission of basic information requested in the questionnaire response after prescribed time frame or subsequent to the public hearing cannot be accepted by the Authority as it would violate the principle of natural justice and the past practices of the Designated Authority.
- That interested parties themselves accepted in the he public hearing that the product concerned manufacture in China PR is identical and substitutable to the product concerned being produced in India. Assuming but not accepting the fact that the there is quality difference, adjustments in the landed value is not permissible on account of difference in quality in terms of Art. 2.4 of ADA as well as para 6(i) of Annexure 1 of AD Rules. Moreover, the interested parties have not provided any evidence to substantiate their claim of adjustment in the landed value on account of difference in quality. Therefore, the claims of the interested parties for such adjustments should be rejected.
- The domestic industry has also requested for rectification of certain inadvertent clerical errors in the injury tables.

E.8 Examination by the Authority

39. The Authority notes that the interested parties, including the domestic industry have mostly reiterated their arguments on various aspects of the case, including the dumping and injury determination.

40. As far as the arguments of the domestic industry regarding ineligibility of CCCME as an interested party to the investigation is concerned, the Authority notes that the issue was dealt adequately in the disclosure statement and no additional argument has been adduced by the domestic industry not to treat CCCME as an interested party. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument of the domestic industry in this regard.

41. As far as the issues raised by the interested parties regarding non-homogeneity of the Product under consideration and price difference between UHP and Non-UHP product types thereby distorting the dumping and injury margin determinations, the Authority notes that once the product under consideration is defined including several product types the Authority is required to determine the dumping margins at product type levels after making apple to apple comparison at product type level and then determine weighted average margins at product level for the product under consideration. This methodology has been strictly followed in all determinations, which is consistent with the ADA.

42. As regards further segregation of the Non-UHP type graphite electrodes to sub-types for determination of dumping and injury margin is concerned, this issue has been examined in detail and the Authority clearly noted that in the absence of international standards and specifications further sub classification of product types was not possible.

Moreover, the participating exporters have clearly ;categorized their products as UHP and Non-UHP both in domestic and export markets and all comparisons for dumping margin determinations have been done on like to like basis. Therefore, the arguments of the interested parties in this regard are not sustainable.

43. As regards the arguments of the interested parties for applying adjustments for quality difference as admitted in the earlier investigations assuming that the Chinese goods are poor in quality compared to the domestic goods, it may be noted that the Rules only provide for adjustments towards quality difference between goods sold in the domestic market of the exporting country and the goods exported to the importing country market on the basis of substantiated claims. None of the participating exporters have claimed any quality adjustment vis a vis their domestic sales. Moreover, admittedly the subject goods being exported from the subject country have been found to be identical and substitutable to the goods being manufactured and supplied by the domestic industry. Therefore, arguments of the domestic industry to allow adjustment on the basis of past precedence are not found to be acceptable.

44. Other submissions made by the interested parties on various aspects of dumping and injury determinations, in response to the disclosure statement, have been addressed in the respective sections in this finding to the extent they are relevant to the investigation and are duly substantiated.

F. Methodology and determination of dumping and dumping margins

F.1 Normal values

45. Under section 9A (1) (c) of AD Rules, normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

46. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The questionnaire responses have been filed by the following exporters/producers:

(i) M/s. Sinosteel Zhejiang Co., Ltd.

(ii) M/s. Jilin Carbon Import and Export Company

(iii) M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd.

(iv) M/s. Linyi County Lubei Carbon Co., Ltd.,(Producer), China PR

(v) M/s. Shandong Basan Carbon Plant (Producer) China PR

(vi) M/s. Fushun Oriental Carbon Co., Ltd.

(vii) M/s. Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., (Exporter) China PR,

(viii) M/s Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. (“Nantong Yangzi”)

(ix) M/s Sichuan Guanghan Shida Carbon Co.,Ltd. (“Shida Carbon”)

(x) M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd.

(xi) M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group

(xii) M/s Fushan Oriental Carbon Co. Ltd.

(xiii) M/s Liaoyang Carbon Co Ltd

(xiv) M/s Linghai Hongfeng Carbon products Co. Ltd.

(xv) M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd

(xvi) M/s Fushan Carbon Co. Ltd

(xvii) M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd

(xviii) M/s. CIMM Group Co., Ltd., ("CIMM") China PR

(xix) M/s CIMM Donghai Advanced Carbon Co., Ltd.

47. Since the number of producers/exporters responding to the questionnaire was large, the Authority considered it appropriate to do the dumping margin analysis on the basis of sampling in terms of Rule 17(3) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, a list of sampled exporting producers was drawn in terms of Rule 17(3) of the Anti-dumping Rules and was sent to all interested parties for their comments. The comments from the interested parties were examined and based on the examination, the Designated Authority selected the following exporting producers on the basis of their volume of exports to India during the POI:

(i) M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd., China

(ii) M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group

(iii) M/s Fushun Oriental Carbon Co. Limited

(iv) M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., China

(v) M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd., China

48. The Authority informed all the concerned parties about the selection process and the criterion adopted for their comments. The comments submitted by the interested parties were examined and after examination, a revised list of sampled exporting producers was sent to all interested parties for their comments. No further comments were received from any of the interested parties with regard to sampling of the exporting producers.

49. Accordingly, questionnaire responses filed by the sampled exporting producers and exporters have been examined for the determination of the normal values, export prices and individual dumping margins.

50. It was noted that none of the producers and exporters from China PR has requested for MET. In view of the above, no market economy status has been granted to any of the exporting producers.

51. It is submitted by the domestic industry that China has been treated as a non-market economy country by various authorities world over and in recent cases China has been treated as non-market economy country in India also. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Para 7 of Annexure I reads as follows:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

52. The normal value for China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

53. In the absence of any price and cost details for the subject goods in any market economy third country and the fact noted that none of the sampled producers has claimed market economy treatment in terms of Para 8(3) of Annexure 1 to the Anti Dumping Rules, the Designated Authority is left with no alternative but to determine normal value estimated on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.

54. In view of the above, the normal value for all producers and exporters from China PR has been constructed by the Authority. For working out the constructed normal value for all producers and exporters from China PR, the

same has been determined based on constructed costs of production duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits.

55. Based on the information made available by the domestic industry, producers and the exporters and other information available with the Authority, the normal value for both UHP as well as Non-UHP have been constructed and are as follows:

Constructed Normal Values		
	Rs/MT	US$/MT
UHP	****	****
Non-UHP	****	****

F.2 Determination of Export Price

56. Onsite verification was conducted with respect to following sampled producers and exporters.

(i) M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd. (China PingmeiShenma Group), in Kaifeng

(ii) M/s PingdingshanSanji Carbon Co., Ltd., in Pingdigshan

(iii) M/s Fushun Oriental Carbon Co., Ltd., in Fushun City.

(iv) M/s Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., in Dalian City

57. Verification reports were issued to the above mentioned producers and exporters for comments, if any, on the verification reports. No comments were received within the time line specified by the Authority.

58. For the purpose of determining the individual dumping margin for the sampled exporters, the Authority has taken into account the sampled exporting producers and their exporters export prices reflected in the individual questionnaire response. Accordingly, the Authority has determined export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject country as follows:

F.2.1 Export price of Sampled Exporting Producers and their Exporters

1. M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group,China (Kaifeng)

(a) M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China as Producer and Exporter

59. M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd., China is a limited liability company established in accordance with the Company law of China. The present name of Kaifeng Carbon was changed from Kaifeng Carbon Co., Ltd. Zhongping Energy & Chemical Group on 12th April, 2012. It is noted that Kaifeng Carbon has its shareholding along with other shareholders in M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd., China ("Sanji Carbon") which is also engaged in the activity of manufacturing and selling of the RP and HP grade of product concerned.

60. It is noted that M/s Kaifeng is a producer of Graphite Electrodes in China PR and the company produces and sells UHP Graphite Electrodes. The other grades RP/HP (Non-UHP) Graphite Electrodes exported to India during the POI are manufactured by M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd. It was noted that the company has reported **** transactions of sales to India in Appendix 2 totaling **** MT in the period of investigation. Out of these exports, the company exported **** MT of UHP grades which are manufactured by Kaifeng Carbon at its own factory. The balance of **** of RP/HP grade exported to India by Kaifeng Carbon is manufactured by M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd. at their factory. It was noted during the verification that sales to India were carried out on CIF and CFR basis and the expenses relating to exports to India after ex-factory are incurred by Kaifeng Carbon.

61. To arrive at the ex-works price of the goods exported by this company adjustments on account of inland freight, handling charges, ocean freight, ocean insurance, credit cost and bank charges were made to the CIF/CFR value of exports as per the claims verified from the basic records/supporting documents of the company for the purpose of determination of Net Export Price. It is also noted from the documents that while VAT @ of 17% has been paid by the exporter the VAT refund was NIL for the product during the investigation period and thus the un-refunded VAT are proposed to be deducted from the export price to arrive at ex-works net export price of the exporter. Accordingly, the net export price for M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd., China has been determined as follows:

Product code	Sum of Quantity (Ton)	Sum of Net Invoice Value (USD)	Sum of Net EP USD	Sum of Net EP with VAT Adjustment USD	Net NEP USD/MT
UHP500*1800	****	****	****	****	****
UHP500*2100	****	****	****	****	****
UHP600*2400	****	****	****	****	****
UHP600*2700	****	****	****	****	****
Grand Total	****	****	****	****	****

(b) M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., China PR (Sanji Carbon) (Producer) Exporting through M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group.

62. It is noted that M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co Ltd., China (hereinafter referred to as "Sanji Carbon") is a limited liability company established on Mar. 8th, 2005. M/s Kaifeng Carbon Co.,Ltd. China Pingmei Shenma Group (Kaifeng carbon) has 66.7% holding in this company. Thus, Kaifeng Carbon is the related company by having its shareholding in Sanji Carbon which is engaged in the activity of producing and selling of the RP and HP grade of product concerned. It is noted that M/s Sanji Carbon exported RP/HP Graphite Electrodes to India during the period of investigation through Kaifeng Carbon. It was also noted that the company has not directly exported the subject goods to India during the POI.

63. It is noted that the company had made domestic sales of **** MT in the domestic market. It was also noted that out of the **** MT of domestic sales made to different customers, the sales made to M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group amounted to **** MT during the POI. Out of these sales, Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group has exported **** MT of RP/HP Graphite Electrodes to India.

64. The export price for the producer/exporter is determined on the basis of the questionnaire response submitted by them and it is noted that only Regular Power Graphite Electrodes and High Power Graphite Electrodes (Non UHP) have been exported by them in the period of investigation. The aforesaid types have been exported by them to India on CIF and as well as on CFR basis. For the purposes of arriving at the ex-factory export price adjustments on account of handling charges, inland transportation, ocean freight, overseas insurance, credit cost and bank charges have been applied as per the records verified and accepted by the Authority after verification. It is also noted from the documents that while VAT has been paid refund was NIL for the product during the investigation period and thus the un-refunded VAT are proposed to be deducted from the net export price. The net export price determined for M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co Ltd., China is as follows:

Product code	Sum of Quantity (Ton)	Sum of CIF Value USD	Sum of Adjustments	Sum of Net EP without VAT Adjustments	Sum of Net EP after VAT adjustments	Net EP USD/MT
HP400*1850	****	****	****	****	****	****
HP450*1900	****	****	****	****	****	****
RP350*1800	****	****	****	****	****	****
Grand Total	****	****	****	****	****	****

(c) M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group as a whole

65. The Authority notes that M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd is a subsidiary of M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd and exports the goods through M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd since it does not have its own export licence. Therefore, M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd and M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd. have been treated as a single group for the purpose of determination of dumping Margin.

66. In their post disclosure submissions M/s Kaifeng and M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd. Have argued that Pingdingshan Sanji is not a fully owned subsidiary of M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group and therefore, combined dumping margin and combined duty for the two would compromise the interest of the other shareholder which holds direct and indirect shareholding of 38.73% in M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd. Therefore, computation of combined dumping margin for the aforesaid two companies is notjustified in the present investigation. Authority notes that M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd is clearly a subsidiary of Kaifeng and subject goods manufactured by M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co. Ltd are being exported through Kaiefeng. Therefore, the dumping margin needs to be determined for the group together.

67. It has also been argued that the VAT adjustment formula adopted for non-refunded VAT is not correct as it is assumed that the VAT paid on inputs are included in the export price and the exporter has suggested an alternative method of VAT adjustment. However, the Authority notes that this methodology was not substantiated by any of the responding exporters during the verification with evidence of actual VAT paid and how it is accounted for in the export price. Moreover, no other responding exporter has commented on the VAT adjustment methodology. Therefore, the arguments of the exporter in this regard are not tenable.

2. M/s Fangda Carbon New Material Co Ltd., China PR (Fangda) (Producer Exporter)

68. It is noted that M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd, China is a public limited company, incorporated under the Company law of People's Republic of China and listed in Shanghai Stock Exchange. M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd, China has exported the subject goods to India directly as well as through M/s. Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., and has given the information in the Appendix 2 of the response of the exporters' questionnaire. During the examination of the response of the responding producer and exporter, it was noted that M/s Fangda had exported **** MT of subject goods to India directly and this included **** MT of Non-UHP and **** MT of UHP. The export sales are on CIF term and to arrive at ex-works prices adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance, commissions and credit costs have been applied as per the verified data of the exporter. It is also noted from the documents that VAT has been paid but refund was NIL for the product during the investigation period and thus the un-refunded VAT are proposed to be deducted from the export price to arrive at net export price at ex-works level. The net export price determined for M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd, China PR on account of direct exports to India is as follows:

Grades	Sum of Quantity MT	Sum of Net Invoice Value(USD)	Sum of Net EP US$	Sum of Net EP with VAT adjustment US$	Net EP USD/MT
Non-UHP	****	****	****	****	****
UHP	****	****	****	****	****
Grand Total	****	****	****	****	****

3. M/s. Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., (Anssen) (Exporter) exporting the subject goods sourced from M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd., China PR (Fangda) (Producer) and M/s FUSHUN ORIENTAL CARBON Co. Limited (Producer) (Fushun)

69. M/s Anssen Metallurgy Group Co. Ltd. is a Trader/exporter from China PR and has exported Graphite Electrodes to India sourced from six producers located in China PR. It is noted that M/s Anssen Metallurgy Group Co., Ltd has also filed response to the exporter's questionnaire and has given suppliers names and other details in the Appendix 2 of the exports to India.

70. It was noted that all the sales of the subject goods to India during the POI were through LC, DA & DP. It was noted that in Appendix-2 the company reported 91 transactions showing exports of **** MT of Graphite Electrodes comprising **** MT of UHP (and balance Non UHP) to India during the POI. It was further noted that all exports to India has been made directly to the Indian customers. It was noted that all sales of the subject goods to India were made on CFR, CIF and FOB basis. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance, commissions and credit costs. It was noted that this product concerned does not enjoy any VAT refund according to Import and Export Tariff Regulation of PRC. It was also noted from the documents that VAT refund was NIL for the product during the investigation period.

71. Two sampled cooperating producers of the subject goods i.e. M/s Fushun Oriental Carbon Co. Ltd and M/s Fangda Carbon, whose goods have been exported to India during the POI have submitted the response and relevant documents to the Authority.

72. As for M/s Fushun, it is noted that it is a limited liability company established according to "P.R.C Corporate Law". It is also noted that the producer does not have direct sales to India. It is noted from the response that it sells subject goods to M/s Ansssen Metallurgy Group Co., Ltd, and M/s Anssen exports the subject goods to Indian market. It is also noted that the exporting producer has sold only Non UHP subject goods to India through M/s Anssen. The company has reported domestic sales of **** MT of subject goods, out of which **** MT was sold to Anssen during the POI. During the investigation, it was noted that the company had made sales of **** MT (RMB ****) of subject goods (all Non UHP) in home market to M/s Anssen during the POI which was exported to India.

73. As for M/s Fangda, it was noted that M/s Fangda has sold **** MT of subject goods in the domestic market during the POI. Out of which **** MT of the subject goods were sold to M/s Anssen during the POI. Out of the **** MT of subject goods, M/s Anssen had exported **** MT of subject goods to India during the POI.

74. During verification of the response of the exporter M/s Anssen, it has been noted that their exports of subject goods to India did not match with the DG systems record which has been procured from the Directorate General of Systems & Data Management which show transaction wise information of subject goods to India. In particular, it is noted from the response of the exporter that information submitted by the exporter did not tally with the importers data. It is also noted that payments received from Indian importers to the company as per information received from Indian importers and also data received from DG systems does not tally with the payments shown by the company from their records in many transactions. In particular, payments made by Alloy Steel Plant SAIL, as per the importers questionnaire and also data as per DG systems differ with the payments shown by the exporters in their documents in many transactions.

75. In view of the above, export price claimed by the exporter on account of subject goods procured from two cooperating sampled producers i.e. M/s Fushun oriental and M/s Fangda have been rejected by the Authority and no individual dumping margin has been determined for the exports made by M/s Anssen on account of export subject goods.

76. The Authority notes that M/s Anseen Metallurgical Group Co. has also exported the subject goods manufactured by two other non-sampled producers from the subject country namely, M/s Linyi County Lubei Carbon Co., Ltd and M/s Shandong Basan Carbon Plant. Details of export transactions of these producers and associated export transactions of M/s Anseen have not been examined as the producers were not sampled. However, verification of transactions of M/s Anseen in respect of two sampled producers has revealed that the data submitted by M/s Anseen are not reliable and have been rejected. Therefore, the Authority holds that the data submitted by this exporter in respect of all export transactions, irrespective of the producers is unreliable and are liable for rejection. Accordingly, no determination is being made in respect of this exporter and all its linked producers, whether sampled or otherwise.

4. M/s FUSHUN ORIENTAL CARBON Co. Limited (Producer) with M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd (Jinnai) (Exporter)

77. M/s Fushun Oriental Carbon Co. Ltd. has also exported the subject goods to India through Jinnai Carbon (HK) Co. Limited, which is a private company, registered under the Company Law of Hong Kong. It is noted that M/s Fushun invoices the subject goods for exports to India to M/s Jinnai carbon (HK) and M/s Jinnai carbon (HK) ships the goods to India. However, physically, the subject goods move from producer to India directly.

78. It is noted that M/s Jinnai carbon (HK) has exported to India only Non-UHP types of subject goods during the POI. The exporting producer have claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance, commissions and credit costs which have been accepted by the Authority. It is also noted from the documents that VAT has been paid but refund was NIL for the product during the investigation period and thus the un-refunded VAT are proposed to be deducted from the export price to arrive at net export price at ex-works level. The net export price determined for M/s Fushun Oriental Carbon Co. Limited on account of exports to India through M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd (Exporter) is as follows:

Product Description	**Quantity MT**	**Net Invoice Value (USD)**	**VAT US$**	**Total Adjustment (USD)**	**Total Adjustment after VAT 17% in US$**	**Ex factory US$ after VAT adjustment**	**NEP USD/MT**
Non-UHP	****	****	****	****	****	****	****
Non-UHP	****	****	****	****	****	****	****
Total	****	****	****	****	****	****	****

5. M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd., China (Sinosteel Jilin)

79. It is noted that M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd., China is a limited liability company listed on Shenzhen Stock Exchange. It is also noted that Sinosteel Jilin has a wholly owned subsidiary Jilin Carbon Import and Export Company ("Jilin Carbon") which is involved in the export sales of the PUC to India during the investigation period. M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd., China is also related to Sinosteel Zhejiang Co. which is also involved in the export sales of the PUC to India during the investigation period. These two routes of export by M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd. have been examined for determination of dumping margin for this group as follows:

(a) M/s. Sinosteel Jilin exporting through M/s Jilin Carbon Import and Export Company

80. M/s Jilin Carbon Import and Exports Company (Jilin) has exported the subject goods to India which has been procured from the sample cooperative producer M/s Sinosteel Jilin Carbon Co. For exports to India, M/s Jilin has given information in the Appendix 2 of the response of the exporters' questionnaire. It is noted that the M/s Sinosteel Jilin, the producer, has sold **** MT of subject goods in their domestic market out of which they have sold **** MT to M/s Jilin and M/s Jilin has exported **** MT of subject goods to India comprising both UHP (****MT) as well as Non-UHP (**** MT) during the POI. The export price has been adjusted on account of ocean freight, insurance, commissions and credit costs as verified to arrive at ex-works net export price. It is also noted from the documents that VAT refund was NIL for the product during the investigation period and thus the un-refunded VAT is proposed to be deducted from the net export price. The net export price determined for M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd on account of exports to India through M/s. Jilin Carbon Import and Export Company, China PR is as follows:

	Sum of Quantity MT	Sum of Net invoice value (USD)	Sum of NET EP US$ after 17% VAT	NEP USD/MT
Non-UHP	****	****	****	****
UHP	****	****	****	****
Grand Total	****	****	****	****

(b) M/s. Sinosteel Jilin Carbon exporting through M/s Jilin Carbon Import and Export Company (Exporter) and M/s Sinosteel Zhejiang Co. (Exporter)

81. M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd., China PR has also exported the subject goods to India through M/s Jilin Carbon Import and Export Company and M/s Sinosteel Zhejiang Co (Exporter), and has given the information in the Appendix 2 of the response of the exporters' questionnaire. It is noted that they have exported to India only UHP type of subject goods during the POI. The export price has been adjusted on account of ocean freight, insurance, commissions and credit costs as verified to arrive at ex-works net export price. It is also noted that VAT refund was NIL for the product during the investigation period and thus the un-refunded VAT is proposed to be deducted from the net export price. The net export price determined for M/s Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd on account of exports to India through M/s Jilin Carbon Import and Export Company (Exporter) and M/s Sinosteel Zhejiang Co. (Exporter) is as follows:

Product specification	Quantity MT	Gross invoice value (USD)	Net invoice value (USD)	Total Adjustment USD	Net ex-factory selling price (USD)	Net Export Price With VAT Adjustment USD	NEP USD/MT
UHP500 * 1800	****	****	****	****	****	****	****
Grand Total	****	****	****	****	****	****	****

82. Since M/s Sinosteel Jilin Carbon, M/s Jilin Carbon Import and Export Company and M/s Sinosteel Zhejiang Co are all related a single dumping margin has been determined for the group as a whole.

F.3 Dumping Margin for Sampled Producers and Exporters from China PR

83. In the absence of any claim for individual normal value from any exporter in that country the Normal Value constructed for all exporters in China has been compared with the ex-works net export prices determined in the previous section to arrive at the dumping margins for the exporters as follows:

Sl No	Exporter	Product Type	Quantity in MT	NV in US$/MT	EP in US$/MT	DM in US$/MT	Weighted Avg. DM	DM%
1	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. (Kaifeng Group)							
1.a	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. as producer exporter	UHP	****	****	****	****		20-30%
1.b	M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., China PR exporting through Kaifeng	Non-UHP	****	****	****	****		55-65%
	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. (Kaifeng Group)	Total/Wt Avg	****	****	****	****	****	25-35%
2	M/s Fangda Carbon New Material Co.	UHP	****	****	****	****		85-95%
		Non-UP	****	****	****	****		35-45%
		Total/ Wt. Avg	****	****	****	****	****	45-55%
3	M/s FUSHUN ORIENTAL Through M/s Jinnai Carbon	Non-UHP	****	****	****	****	****	75-85%
4	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co (Sinosteel Group)							
4.a	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. through Jilin Carbon	UHP	****	****	****	****		65-75%
		Non-UHP	****	****	****	****		50-60%
		Total/ Wt Avg	****	****	****		****	50-60%
4.b	M/s. Sinosteel Jilin Carbon through M/s Jilin Carbon and and M/s Sinosteel Zhejiang Co.	UHP	****	****	****	****	****	35-45%
	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Group	Total/ Wt Avg.	****	****	****		****	50-60%

F.4 Dumping margin for the non-sampled exporters

84. Dumping margin for the non-sampled exporters from China PR has been determined in terms of Rule 17(3) of the Rules as the weighted average of margins of dumping established with respect to the sampled exporters as follows:

Weighted average Calculation for Non Sampled exporters	Product Type	Quantity in MT	NV in US$/MT	EP in US$/MT	DM in US$/MT	DM%
	UHP	****	****	****	****	20-30%
	Non-UHP	****	****	****	****	45-55%
Total/ Weighted Average		****	****	****	****	30-40%

85. Dumping Margin for other non-participating exporters from China has been determined on the basis of facts available taking into consideration the transactions of the cooperating exporters as US$**** per MT (80.13%).

86. The dumping margins for the subject goods so determined are found to be more than de-minims and significant.

G. Determination of Injury and Causal Links

87. Having determined that the subject goods are entering the Indian market from the subject country at dumped prices in significant quantities the Authority proceeds to examine the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry, if any. The domestic industry and other interested parties have submitted their arguments on various aspects of the injury claims of the domestic industry which have been summarized below.

G.1 Views of the Domestic Industry

88. The domestic industry, in its various submissions with regard to injury and casual link has argued:

i. That the Imports of the product under consideration have shown significant increase over the years with a significant increase in POI and the imports have increased in relation to production and consumption in India;

ii. That the market share of the subject country in demand has remained significant. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year. The same is due to significant imports from subject country;

iii. That with reduction in the prices by the foreign producers/exporters, the Indian producers are forced to realign their prices or else they run the risk of losing orders;

iv. That the domestic industry's prices reflect the effect of the prices that are being offered by the traders. The domestic industry has been forced to reduce the prices too steeply and too frequently;

v. That the imported goods have been undercutting the prices of the domestic industry in both UHP and Non-UHP Grade. Price undercutting in respect of the product under consideration as a whole is quite significant;

vi. That the domestic industry was able to achieve higher capacity utilization in the POI as compared to the base year. However, the same declined in the POI as compared to 2010-11 and 2011-12;

vii. That the inventories with the domestic industry increased in the POI as well as in the immediate preceding year as compared with the base year;

viii. That the performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent;

ix. That the decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume from the subject country.

x. That non-injurious price has been computed by them in the petition in accordance with Annexure III to the Anti-dumping Rules and the established practices of the DGAD. Moreover, it has submitted that grade wise as well as plant wise non-injurious price has been calculated and taken into account while analyzing injury parameters.

xi. That their claim of 22% return on capital employed is in accordance with the consistent practice followed by the Designated Authority.

xii. That marginal increase in capacity was undertaken by the industry considering the increasing in demand in the domestic market of the subject goods.

xiii. That the arguments of the other interested parties, with respect to the capacity addition, are without any merit as it suggests that the Domestic Industry should never add new capacities even if the market so demands. The demand of subject goods increased by 37% in the POI as compared to the base year and the Authority is required to examine the state of the Domestic Industry as it exists.

G.2 Views of the Importers/consumers and other interested parties

89. Various interested parties, other than the domestic industry, have made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. That the domestic industry has increased the capacities by making huge investments since 2011-12. Thus, there is no adverse effect on the Domestic Industry due to any alleged dumped imports. Cost of the domestic industry has increased as a result of increase in the fixed costs which was primarily on account of increase in

the capacity to produce subject goods which, in turn, elevated the depreciation and finance costs of the domestic industry.

ii. That the demand increased by 30% in POI as compared to base year 2009-10, while the domestic sales have grown by about 21% in POI. It shows that there is no adverse volume effect on sale of subject goods domestically produced. Decline in export volume, in line of its capacity expansion, has an adverse cost and price effect on domestic industry.

iii. That market share of the domestic industry in Indian demand slightly declined during the POI because of decline in the demand.

iv. That price undercutting has significantly declined over the injury period. However, in contradiction to such factual circumstances, the petitioner has claimed significant decline in their profits. Thus, there is a total absence of causal link in the present case.

v. That landed price were significantly below the selling price during 2011-12, even then the domestic industry has increased their selling price during the POI. This clearly shows that the domestic prices have not been dictated by landed prices.

vi. That per unit of cost has increased in period of investigation as compared to the previous year. The Designated Authority should examine the reasons for such significant increase in the costs.

vii. That Inventories of subject goods have not increased in proportion to the sales volume.

viii. That wages of the petitioner have, however, increased by 36 points during the POI which could have caused adverse impacts on the cost of production and profitability.

ix. That methodology used by the domestic industry while calculating non-injurious price has not been disclosed. Therefore, it is not clear from the petition whether the domestic industry has been calculated non-injurious price according to guidelines provided in Annexure III of Anti-dumping Rules. Moreover, non-injurious price of the domestic industry should be determined for each plant as well as for each grade separately.

x. That domestic industry has expanded their capacities during the injury period for the purpose of export markets. Therefore, the Authority is required to exclude investments with regard to its expanded capacity from their gross block and net block of assets while calculating the capital employed for determination of non-injurious price.

xi. That methodology used by the domestic industry while calculating non-injurious price has not been disclosed. Moreover, non-injurious price of the domestic industry should be determined for each plant as well as for each grade separately.

xii. That highest level of return on capital achieved by the domestic industry in the injury period was 8.53% during 2009-10. Accordingly, there is no logic to allow 22% return on capital employed to the domestic industry as a reasonable return.

xiii. That the Authority should consider the reasonableness of interest, depreciation, salary & wages and working capital.

G.3 Examination by the Authority

90. The Authority notes that the interested parties, in their post disclosure comments, have reiterated their arguments with regard to the injury claims of the domestic industry and have commented on certain aspects of the examination of the issues as reflected in the disclosure statement as detailed in preceding paragraphs. The issues have been examined and addressed hereunder as well as at appropriate places in this finding.

91. With regard to the issues raised by the interested parties regarding determination of NIP, it is noted that the Non-injurious Price is determined as per the principles laid down under Annexure III of the Anti dumping Rules taking into the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based as per the cost records of the domestic industry maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 22% return is allowed on capital employed by the domestic industry in accordance with the consistent practice followed by the Authority.

92. With regard to expansion of capacity and linkage of the performance of the graphite electrode industry to global steel industry has been raised some of the interested parties, the Authority notes that the capacity enhancement of the industry is based on the future prospects and the demand of the product and the prospect of the user industry. The demand for the subject goods in the country increased by 37% during the POI. Moreover, the domestic industry has a healthy export performance all the years indicating good demand of the subject goods manufactured by the domestic industry in the international market as well. Therefore, the poor performance of the Domestic Industry in the domestic market cannot be attributed to the increase in capacity during this period.

93. The Authority notes that the interested parties have raised the issue of export orientation of the domestic industry and profitability of the DI in their export operations vis a vis their domestic operations. In this regards the Authority notes that the very fact that the domestic industry is competitive in the export market and is earning a better profit margin in its export transactions clearly establishes the fact that the domestic sales are affected by factors which are not internal to the domestic industry. The Authority further notes that injury examination in AD investigations are carried out with respect to the impact of the dumped imports on domestic operations as the dumped goods are directly competing in the domestic market. Therefore, the impacts of the dumped imports from the subject country, on the performance of the domestic industry, have been analyzed considering the information pertaining to the domestic market only.

94. As regards reasonableness of various components of cost such as interest costs and depreciation etc. and determination of injury the Authority notes that the cost and injury parameters have been determined after due verification of the data of the domestic industry as per the consistent practice of the Authority and due care has been taken in respect of the issues raised by the interested parties with respect to these elements.

95. The Authority notes that interested parties have raised several issues with regard to the movement of prices and volumes and price and volume effects of dumped imports, including price undercutting and underselling of dumped imports during the injury period which are factual in nature and have been analysed accordingly in the respective sections in this finding.

96. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

97. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

98. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry. Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

99. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra. The domestic industry has also indicated certain clerical errors in data computation in respect of few injury parameters, as reflected in the disclosure statement. To the extent the same was found to be correct the data has been corrected in this finding.

G.3.1 Demand and Market Share

100. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of all the domestic producers have been added to the total imports into India from all sources as per the consistent practice of the Authority. The same are summarized below :

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Sales of Domestic Industry and Supporter	MT	25831	27513	32716	31288
Trend	*Indexed*	100	107	127	121
Sales of Other Producers	MT	-	-	-	-
Sales of Industry as a whole	MT	25831	27513	32716	31288
Trend	*Indexed*	100	107	127	121
Subject country (China) -Imports	MT	4903	7735	13135	13600
Trend	*Indexed*	100	158	268	277
Other Countries-Imports	MT	6561	10466	13508	6240
Trend	*Indexed*	100	160	206	95
Total demand/consumption	MT	37296	45714	59358	51128
Trend	*Indexed*	100	123	159	137

101. It is noted that the demand of the subject goods has increased during the POI as compared to the base year. However, the same has shown marginal decline as compared to the previous year. While the domestic demand has increased by about 37% over the base year the imports from the subject countries has increased by about 177% while imports from other countries have declined. The sale of the domestic industry and other Indian producers has increased only by 21% indicating that a significant portion of the growth in domestic demand has been taken over by the imports from the subject country.

G.3.2 Volume Effects of Dumped Imports

a) Import Volume and Market Share

102. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Subject Country (China PR)	MT	4903	7735	13135	13600
Trend	*Indexed*	100	158	268	277
Other Countries	MT	6561	10466	13508	6240
Trend	*Indexed*	100	160	206	95
Total Imports Volume	MT	11465	18201	26642	19840
Trend	*Indexed*	100	159	232	173
Market share in Imports					
Subject Country (China)	%	43%	42%	49%	68%
Trend	*Indexed*	100	99	115	160
Other Countries	%	57%	58%	51%	31%
Trend	*Indexed*	100	100	88	55
Market share in demand					
Subject Country (China)	%	13%	17%	22%	27%
Trend	*Indexed*	100	129	168	202
Other Countries	%	18%	23%	23%	12%
Trend	*Indexed*	100	130	129	69
Domestic industry & Supporter	%	69%	60%	55%	61%
Trend	*Indexed*	100	87	80	88
Other Indian producers	%	0%	0%	0%	0%
Indian industry as a whole	%	69%	60%	55%	61%
Trend	*Indexed*	100	87	80	88
Total Imports	%	31%	40%	45%	39%
Trend	*Indexed*	100	130	146	126

103. It is noted from the above table that imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms throughout the injury investigation period. The imports have gone up from 4903 MT in the base year to 13600 MT during the POI, which is an increase of around 177%. The increasing trend can be seen during the entire injury investigation period. The imports from other countries during POI have decreased as compared to the base year as well as the previous year.

104. The market share of subject country in relation to the overall imports has also gone up significantly from 43% in the base year to 69% during the POI. Similarly, the market share of subject country in the total demand has also more than doubled from 13% to 27% during the same period. However, the market share in imports of other countries has decreased from 57% in the base year to 31% during the POI. The market share in demand of other countries has decreased from 18% in the base year to 12% in the POI. Thus, it is seen that the volume of imports from the subject country have increased very significantly in absolute terms as well as in relation to the overall imports and the demand in the country.

G.3.4 Price effect of imports

105. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

106. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry.

Price Undercutting (Graphite Electrode as a whole)					
Subject country (China)	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Landed price of imports	Rs./MT	143639	136905	150437	177674
Trend	Indexed	100	95	105	124
Net Sales Realization	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	81	82	90
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	55	40	26
Price Undercutting (%)	%	****%	****%	****%	****%
Trend	Indexed	100	58	38	21
Price Undercutting (%)	Range %	50-60	25-35	35-45	5-15
Price Undercutting (UHP)					
Subject country (China)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs./MT	194864	197965	174716	221376
Trend	Indexed	100	102	90	114
Net Sales Realization	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	78	74	79
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	34	49	13
Price Undercutting (%)	%	****%	****%	****%	****%
Trend	Indexed	100	33	50	13
Price Undercutting (%)	Range %	50-60	20-25	25-35	7-15
Price Undercutting (NON-UHP)					
Subject country (China) (NON UHP)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs./MT	114065	115011	130785	149415
Trend	Indexed	100	101	115	131
	Unit	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Net Sales Realization	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	90	90	96
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	67	41	26
Price Undercutting (%)	%	****%	****%	****%	****%
Trend	Indexed	100	66	36	20
Price Undercutting (%)	Range %	45-55	30-40	15-25	5-15

107. The Authority notes that the landed values of the subject goods after a marginal decline in 2010-11 has increased in the POI but the selling price of the domestic industry has not recovered and still remains much below the base year price level. The Landed prices have been all along much below the selling price of the domestic industry showing significant price undercutting being caused by the dumped imports from subject country. It is seen that even though there is a decline in the level of price undercutting over the years it is due largely to significant reduction in the domestic selling price of the DI over the injury period. The price undercutting during the POI is still significant. The Domestic Industry has argued that their selling prices have declined essentially on account of the fact that they are forced to match their prices with the landed values due to increased volume of dumped imports. The decline in selling prices has lead to the injury.

b) Price-underselling

108. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. For the purpose of this analysis the Non-Injurious Price of the subject goods determined as per the consistent practices of the Authority have been compared with the landed value of dumped imports from the subject country as follows:

Price Underselling (China PR)	**Unit**	**China**
UHP		
Non Injurious Price	Rs./MT	*****
Landed Price	Rs./MT	221376
Price Underselling	Rs./MT	*****
Price Underselling %	%	*****%
Price Underselling %	Range %	20-30
Non-UHP		
Non Injurious Price	Rs./MT	*****
Landed Price	Rs./MT	149415
Price Underselling	Rs./MT	*****
Price Underselling %	%	*****%
Price Underselling %	Range %	10-20
Product under consideration as a whole		
Non Injurious Price	Rs./MT	*****
Landed Price	Rs./MT	177674
Price Underselling	Rs./MT	*****
Price Underselling %	%	*****%
Price Underselling %	Range %	15-25

109. The above data indicates that the landed values of the subject goods at product type level as well as product level have been below the NIP and therefore, the domestic industry suffers significant price underselling on account of imports of the subject goods from the subject country.

c) Price suppression and depression

110. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. Authority has considered the average price of UHP and Non UHP grades for the purpose of this analysis.

	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
(PUC as a whole)					
Landed Value of Imports	Rs./MT	****	****	****	****
Index	*Indexed*	100	95	105	124
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	100	122	139
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	81	82	90
(UHP)					
Landed price of Imports	Rs./MT	194864	197965	174716	221376
Trend	Indexed	100	102	90	114
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	102	114	129
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	78	74	79
(Non-UHP)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of Imports	Rs./MT	114065	115011	130785	149415
Trend	Indexed	100	101	115	131
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	103	130	141
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	90	90	96

111. The Authority notes that the selling prices of the subject good in the domestic market have declined during the injury period for the PUC as a whole as well as for UHP and Non-UHP though cost of sales has shown an increasing trend over the injury investigation period for the PUC as a whole as well as for UHP and Non-UHP. Thus, the domestic industry has suffered price depression.

112. While the cost of sales of PUC, UHP and NO-UHP has gone up by 39%, 29% and 41% respectively, in the POI as compared to the base year, the selling price has in fact declined significantly by 10%, 21% and 4% for PUC as a whole, UHP and Non-UHP respectively. Domestic industry has claimed that this position is reflected in the falling of their profitability over the injury period. It is also noted that the landed value shows an increasing trend the POI as compared to the previous year as well as the base year. However, the same is not commensurate with the increase in the cost of the domestic industry over the same period. Accordingly, it is apparent that the dumped imports of subject goods from subject country have suppressed the domestic industry prices.

G.4 Economic parameters of the domestic industry

113. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

114. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

Particulars	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Capacity (PUC)	MT	122900	122900	136900	141900
Trend	*Indexed*	100	100	111	115
Production (PUC)	MT	73608	97572	110297	108817
Trend	*Indexed*	100	133	150	148
Plant Capacity Utilization	%	60%	79%	81%	77%
Trend	*Indexed*	100	133	135	128
Sales volume					
Domestic	MT	25831	27513	32716	31288
Trend	*Indexed*	100	107	127	121
Exports	MT	51867	64833	78405	74844
Trend	*Indexed*	100	125	151	144
Total Sales	MT	77699	92346	111121	106131
Trend	*Indexed*	100	119	143	137

115. The Authority notes that the domestic industry has added capacity during 2011-12 by about 11% which is in line with the healthy increase in domestic demand which was showing a robust growth of over 50% compared to the base year. The production and sales of the domestic industry also increased significantly during this period due to increase in domestic demand. But as noted earlier the domestic industry has been reducing the prices to align with import prices to remain in the domestic market. The capacity utilization also improved till 2011-12 and reached a level of about 80% in spite of capacity addition indicating that capacity addition is not a cause of injury. However, all these parameters have declined marginally in the POI as compared the year immediate preceding year while the volume of dumped imports increased significantly in the POI compared to the base year as well as the preceding year.

116. The Authority also notes that thee exports of the domestic industry, which constitute a significant portion of their production and sales went up by about 50% up to 2011-12 and thereafter declined marginally in the POI.

i. Market share

117. The effect of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry has been examined as below:

Market Share in Demand	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Sales of Domestic Industry & Supporters	%	69%	60%	55%	61%
Trend	*Indexed*	100	87	80	88
Sales of Other Producers	%	0%	0%	0%	0%
Subject country Imports	%	13%	17%	22%	27%
Trend	*Indexed*	100	129	168	202
Other Countries-Imports	%	18%	23%	23%	12%
Trend	*Indexed*	100	130	129	69
Total imports	%	31%	40%	45%	39%
Trend	*Indexed*	100	130	146	126

118. As mentioned earlier, imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms throughout the injury investigation period. The imports have gone up from 4903 MT in the base year to 13600 MT during the POI, which is an increase of around 177%. However, the market share of the domestic industry in demand has declined over the injury period despite increase in demand and substantial reduction in selling price by the domestic industry indicating thereby that the domestic industry is unable to retain its market share due to volume and price effects of dumped imports.

ii. Profits, Return on Investment and Cash Flow

119. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of sales	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	100	122	139
Selling price	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	81	82	90
Profit/Loss	Rs./MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	48	10	2
Profit/Loss	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	52	13	2
PBIT	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	45	64	71
Cash Profit	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	64	35	31
ROI	%	****%	****%	****%	****%
Trend	*Indexed*	100	38	45	48

120. The Authority notes that while the costs of sales have increased over the injury period except 2010-11 due to increase in cost of critical inputs the selling price has decreased throughout the injury period compared to the base year due to increased volume of dumped imports during this period. The domestic industry was apparently aligning its prices with the import prices to retain its market share in the domestic market in spite of the fact that the cost of sales was going up. Resultantly, the profits of the domestic industry have declined significantly in the POI as compared to the base year as well as previous year. As a result of decline in profits, the return on investment and cash profits also declined significantly during POI as compared to the base year as well as previous year. The decline in profit per unit of domestic sale in POI by about 98% compared to the base year and corresponding decline in the ROI indicates significant injury to the domestic industry.

iii. Inventories

121. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Opening Stock	MT	****	****	****	****
Closing Stock	MT	****	****	****	****
Average Stock	MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	99	117	114

122. It is noted from the above table that the average stocks in the POI has increased as compared to the base year, however the same has declined marginally in the POI as compared to the preceding year but remains high compared to the base year indicating that there is an inventory built up due to the increasing presence of dumped imports though the domestic industry has a good export sale.

iv. Employment and Wages

123. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Numbers of Employees	No	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	101	109	107
Wages	Rs Lacs	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	120	123	138

124. It is noted from the above table that Number of employees has increased marginally in the POI as compared to the base year as the industry has also added capacity. There is a marginal drop in employment in the POI apparently due to drop in sales compared to the previous year. The wages has increased in absolute term throughout the injury period. The wage increase is in line with the general increase in wage increase over all sectors during this period and is not a cause of injury to the industry.

v. Productivity

125. Data relating to productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity per day	MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	133	150	148
Productivity per employee	MT	****	****	****	****
Trend	*Indexed*	100	132	137	139

126. It is noted that productivity in terms of production per employee as well as production per day has increased in the POI as compared to the base year. Therefore, productivity is not a factor that can be attributed to injury.

vi. Magnitude of Dumping

127. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject country are above de minims and significant.

vii. Ability to raise Capital Investment

128. The Authority notes that the domestic industry had added capacity during the injury investigation with substantial investment because of the positive growth prospects of the sector. However, on the face of very marginal return of investment achieved in the recent years due to dumped imports future investment in the sector is bleak. The reduction in profitability, reduced cash flow and deteriorating returns indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is jeopardized by the dumped imports.

viii. Growth

129. It is noted that there was positive growth of the domestic industry in terms of sales and production in the POI as compared to the base year. However, same has declined in the POI as compared to 2011-12. Profits, cash profit as well as ROI declined significantly in the POI as compared to the base year despite significant increase in demand. The domestic industry has contended that with increase in capacity, the domestic industry had expected robust growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments as the demand is healthy. However, the domestic industry was not able to achieve the same due to the increased presence of the dumped imports from the subject country.

G.5 Factors affecting domestic prices

130. The Authority notes that the landed value of imported material from subject country is significantly below the selling price and Non-injurious price of the domestic industry causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. The above analysis indicates that the domestic industry is reducing its prices in the domestic market to match or align its prices with the import prices to retain its market share as there is an increase in dumped imports from the subject country. The volume and prices of imports from subject country, change in the cost structure of the domestic industry due to rising input costs, competition in the domestic

market, etc. are affecting the domestic prices. The data indicates that imports of the product under consideration from countries other than subject country are not injuring the domestic industry as the prices offered by these countries are significantly higher. Demand for the product is showing an increase and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression faced by the domestic industry. It is thus evident that the landed prices of subject goods from the subject country are responsible for the depressed and suppressed prices of the domestic industry.

H. Other Known Factors & Causal Link

131. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The Authority notes that other interested parties have submitted that export orientation of the domestic industry, capacity addition and other factors might have caused injury to the domestic industry. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-dumping as well as the issues raised by the interested parties have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

(a) Volume and prices of imports from third countries

132. Imports of the product under consideration from countries other than subject country are at higher price. It is evident that the import prices from other countries were much higher than import price from subject country. Further, volume of imports from other countries has shown declining trend as compared to 2010-11 and 2011-12, whereas volume of imports from subject country has shown rising trend.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

133. The data examined in the previous section shows a healthy increase in demand for the subject goods in the domestic market throughout the injury period. Therefore, decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry as has been argued by the interested parties. No change in consumption pattern of the consumers of the subject goods, i.e. secondary steel manufacturers have been brought to the notice of the Authority which could indicate a negative impact on the domestic production and sales.

(c) Developments in technology:

134. Neither the technology for production of graphite electrodes nor Secondary steel making technology has undergone any significant change affecting the production and consumption of the product under consideration. No material fact has been placed by any interested party to demonstrate that the production or consumption of Graphite electrodes have been affected by changes in technology. Therefore, the Authority concludes that development in technology is also not a factor causing injury to the domestic injury.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

135. The Authority notes that there is no entry barrier for production and sale of subject goods in the country. The subject goods are freely importable and traded within the country. There is also a healthy competition between various domestic producers in the domestic market. Therefore, there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country. However, the analysis above shows that the foreign producers in the subject country are resorting to unfair dumping to establish market share.

(e) Export performance of the domestic industry

136. The interested parties have argued that exports of the domestic industry constitute a significant share in their total sales and export intensity or orientation of the domestic industry could have affected its domestic performance. The export sales of domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Exports	MT	51867	64833	78405	74844
Trend	*Indexed*	100	125	151	144

137. The Authority notes that export sales of the domestic industry during the injury investigation period show a healthy growth except for the POI where a marginal drop is seen. Significant volume of export also indicates a very competitive production cost of the domestic industry as the exports have been found to be much more profitable for the domestic industry. Therefore, the export orientation of the domestic industry could not be attributed to the injury suffered. In any case the entire injury analysis has been carried out with respect to the

domestic operation of the industry and injury, if any, on account of its export operations, has not been attributed injury suffered by the domestic industry on account of its domestic operations due to the dumped imports.

(f) Productivity of the Domestic Industry

138. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period and therefore, this cannot be a factor affecting the domestic industry.

I. Conclusion on Injury and causal Links

139. The above analysis indicates that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry has declined in the period of investigation after a healthy growth during the previous years, whereas the import of the subject goods from the subject country has substantially increased over the injury period. While the cost of sales of the domestic industry has been constantly increasing over the injury period due to increase in cost of critical inputs, the selling price has been significantly declining due to significant price undercutting and underselling of the dumped imports from the subject country resulting in significant drop in profitability and return in investments. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and the injury has been caused by the volume and price effects of dumped imports from the subject country.

J. Magnitude of Injury Margin

140. Having determined that the subject goods are entering the Indian market at dumped prices and the dumped imports have caused injury to the domestic industry and having regard to lesser duty rules followed by the Authority, injury margins, if any, have been worked out for the purpose of determination of quantum of duty that may be sufficient to remove the injurious effects of dumped imports as follows:

J.1 Injury Margin for Sampled Exporters

141. The Non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation (1st January, 2012 to 31st December, 2012) in respect of the domestic industry in terms of the principles outlined in Annexure III to the Anti-dumping Rules. Detailed analysis/examination and reconciliation of the financial and cost records maintained by the companies, wherever applicable, were carried out for this purpose. Accordingly, NIPs for Graphite Electrodes (UHP) and (Non UHP) have been determined as Rs*****/MT and Rs*****/MT respectively.

142. The NIP for the domestic industry for individual product types so determined have been compared with the landed value of the exports of identical types from the sampled exporters from the subject country for determination of weighted average injury margins of individual sampled exporters during POI which works out as under:

Sl No	Exporter	Product Type	Quantity	CIF UD$/MT	Landed Value US$/MT	NIP US$/MT	IM US$/MT	Weighted Avg IM US$/MT	IM %
1	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd (Kaifeng Group)								
1 (a)	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd	UHP	****	****	****	****	****		0-10
1 (b)	M/s Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., China PR through Kaiefeng	Non-UHP	****	****	****	****	****		20-30
	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. (Kaifeng Group)	Total/ Wt Avg	****	****	****	****	****	****	0-10
2	M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	UHP	****	****	****	****	****		55-65
		Non-UHP	****	****	****	****	****		5-15
		Total/ Wt Avg	****	****	****	****	****	****	15-25
3	M/s FUSHUN ORIENTAL Through M/s Jinnai Carbon	Non-UHP	****	****	****	****	****		20-30
4	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co (Sinosteel Group)								
4.a	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co through Jilin Carbon	UHP	****	****	****	****	****		30-40
		Non-UHP	****	****	****	****	****		15-25

		Total	****	****	****	****	****	****	15-25
4.b	M/s. Sinosteel Jilin Carbon through M/s Jilin Carbon and and M/s Sinosteel Zhejiang	UHP	****	****	****	****	****		15-25
	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co (Sinosteel Group)	Total/ Wt Avg	****	****	****	****	****	****	15-25

J.2 Injury Margin for Non-Sampled Exporters

143. Injury Margin for the Non-sampled exporters has been determined as the weighted average injury margin of the sampled exporters as follows:

Weighted average Calculation for Non Sampled exporters	Product Type	Quantity	CIF UD$/MT	Landed Value US$/MT	NIP US$/MT	IM US$/MT	Weighted Avg IM US$/MT	IM %
	UHP	****	****	****	****	****		0-10
	Non-UHP	****	****	****	****	****		10-20
	Total	****	****	****	****	****	****	5-15

144. Injury Margin for other Non-participating exporters from China has been determined on the basis of facts available as US$**** per MT (35-45%).

K. Conclusions

145. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding the authority concludes that:

i) The subject goods have entered the Indian market from the subject country at prices less than their normal values in the domestic markets of the exporting country;

ii) The domestic industry has suffered material injury; and

iii) The injury has been caused to the domestic industry, both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

L. Indian industry's interest and other issues

146. Graphite electrodes are used by secondary steel manufacturers in electric arc furnaces. The user industry, represented by SAIL and ISTM Ltd., has raised the issues of the interests of the users and other such interested parties. However, the Authority notes that the graphite electrodes are industrial goods used in secondary steel making and constitute a small portion of the cost of the downstream products. The Authority further notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of free and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. On the other hand, if distortion caused by the dumped imports are not corrected it may lead to erosion of the domestic production base and subsequent price increase by the foreign producers, which will adversely affect the user industry.

M. Recommendations

147. The Authority initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down, and having established positive dumping margins against the subject countries, and having concluded that the domestic industry suffers material injury due to such dumped imports, the Authority is of the opinion that definitive measure is required to be imposed to offset dumping and injury being caused to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive antidumping duty in the form and manner prescribed below.

148. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty, equal to the amount indicated in Col 9 of the duty table annexed herewith, is recommended to be imposed by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	85.45	Graphite Electrodes	All diameters	China PR	China PR	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group	278.19	MT	USD
2	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s. Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., China PR	M/s Kaifeng Carbon Co. Ltd. China Pingmei Shenma Group	278.19	-do-	-do-
3	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	558.38	-do-	-do-
4	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Fushun Oriental Carbon Co. Limited	M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd.	658.94	-do-	-do-
5	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd.	M/s Jilin Carbon Import and Export Company	590.13	-do-	-do-
6	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s. Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd	M/s Jilin Carbon Import and Export Co. and/or M/s Sinosteel Zhejiang Co.	590.13	-do-	-do-
7	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Sichuan Guanghan Shida Carbon Co. Ltd.	M/s Sichuan Guanghan Shida Carbon Co. Ltd.	391.84	-do-	-do-
8	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd.	M/s Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd.	391.84	-do-	-do-
9	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Liaoyang Carbon Co. Limited	M/s Jinnai Carbon (HK) Co Limited	391.84	-do-	-do-
10	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Linghai Hongfeng Carbon Products Co. Ltd,	M/s Linghai Hongfeng Carbon Products Co. Ltd,	391.84	-do-	-do-
11	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Linghai Hongfeng Carbon Products Co. Ltd,	M/s Jinnai Carbon (HK) Co Limited	391.84	-do-	-do-

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
12	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s CIMM Donghai Advanced Carbon Co., Ltd.	M/s CIMM Group Co.,Ltd	391.84	-do-	-do-
15	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	M/s Fushun Carbon Co. Ltd Producer	M/s Fangda Carbon New Material Co. Ltd	391.84	-do-	-do-
16	-Do-	-Do-	-Do	China PR	China PR	Any combination other than above		922.03	-do-	-do-
17	-Do-	-Do-	-Do	China PR	Any; other than China PR	Any	Any	922.03	-do-	-do-
18	-Do-	-Do-	-Do	Any; other than China PR	China PR	Any	Any	922.03	-do-	-do-

149. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

150. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.